[2021] 14 एस. सी. आर. 204

पी. मोहनराज और ओ. आर. एस.

बनाम

एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2018 की सिविल अपील संख्या 10355)

1 मार्च, 2021

[रोहिंटन फाली नरीमन, नाविन सिन्हा और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 14-परक्राम्य

यू/एस की कार्यवाही जारी रखना। 138/141 , एन. आई. अधिनियम, यदि अधिस्थगन प्रावधान के अंतर्गत आता है अर्थात एस. 14, आई. बी. सी.-प्राकृतिक व्यक्ति यदि एस. द्वारा कवर किए गए हैं। 14 - आयोजित किया गया: ए एस। 138 / 141 एक निगमित देनदार के खिलाफ कार्यवाही है एस द्वारा कवर किया गया। 14 (1) (क) आई. बी. सी.-एन. आई. अधिनियम के अध्याय XVII में निहित एक अर्ध-आपराधिक कार्यवाही एक "कार्यवाही" के बराबर होगी।

एस के अर्थ के भीतर। 14 (1) (क), इसलिए ऐसी कार्यवाही से जुड़ी अधिस्थगन-जहां तक निगमित देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में निदेशकों/व्यक्तियों का संबंध है, क। 138 / 141 उनके खिलाफ कार्यवाही बिना शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती है।

निगमित देनदार-ऐसा इसलिए है क्योंकि एस। 141 कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्तियों की बात करता है-अधिस्थगन की अवधि के लिए, क्योंकि कोई नहीं। 138 / 141 सांविधिक अवरोधक कारण निगमित देनदारक विरुद्ध कार्यवाही जारी रहि सकैत अछि वा शुरू कयल जा सकैत अछि, धारा सभमे वर्णित व्यक्तिक विरुद्ध एहन कार्यवाही शुरू कयल जा सकैत अछि वा जारी राखल जा सकैत अछि। 141 (1) और एन. आई. अधिनियम के (2)-इस प्रकार, एस में निहित अधिस्थगन प्रावधान। 14 , आई. बी. सी. केवल निगमित देनदार, एस. में उल्लिखित प्राकृतिक व्यक्तियों पर लागू होगा। 141 एन. आई. अधिनियम के अध्याय XVII-क़ानूनों की व्याख्या के तहत वैधानिक रूप से उत्तरदायी होना जारी रखना।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 14, एस. एस. 3 (33) , 96 (3) , 101 (3) — " लेन-देन "एस में। 3 (33) - एस का दायरा। 14 - आयोजित किया गया: एस. 14 (1)

यह स्पष्ट करता है कि उप-धारा (2) और (3) में निहित अपवादों के अधीन, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अनिवार्य रूप से, आदेश द्वारा,

खंड (ए) से (डी) में निम्नलिखित को प्रतिबंधित करें - धारा 14 (1) (क) इस बात का संकेत नहीं देती कि उसमें निहित कार्यवाहियां किस पर लागू होती हैं।

204 पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

उप-धारा 3 (ए) यह उत्तर प्रदान करती है कि ऐसी "कार्यवाही" निगमित देनदार द्वारा पूर्व अधिरोपित "लेन-देन" से संबंधित है।

अधिस्थगन का - एस. 3 (33) "लेन-देन" को परिभाषित करता है-यह परिभाषा समावेशी होने के नाते प्रकृति में अत्यंत व्यापक है और इसमें ऋण या दायित्व का प्रमाण देने वाला लेन-देन शामिल होगा-यह एस द्वारा स्पष्ट किया गया है। 96 (3) और एस। 101 (3) जिनमें एस के समान भाषा होती है। 14 (3) (क) ये धाराएँ व्यक्ति या फर्म के 'ऋणों' की बात करती हैं।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 14 (3) (बी)-आयोजितः एस द्वारा। 14 (3) (बी), एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बकाया ऋण की गारंटी के अनुबंध में एक जमानत एक अधिस्थगन के रूप में लाभ नहीं उठा सकती है जिसके परिणामस्वरूप एक लेनदार एक गारंटी लागू कर सकता है, हालांकि अधिस्थगन की अवधि के दौरान मूल ऋण को लागू करने में सक्षम नहीं है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 14-चर्चा की गई वस्तु।

सिद्धांत/सिद्धांत-एक समाज या सामान्य दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत। 14 - " कार्यवाही "

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-ss. 138 , 141 - आयोजित किया गयाः एजुस्डेम जेनरिस और नोस्सिटुर ए सोसाइटिस को किसी कानून में उपयोग किए जाने वाले शब्दों के सादे अर्थ को रद्द करने के लिए ऊँचा नहीं किया जा सकता है यदि उनका उपयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है जहां एक अवशिष्ट वाक्यांश का उपयोग एक पकड़ के रूप में किया जाता है-सभी

वैधानिक प्रावधान-"कार्यवाहियां" अभिव्यक्ति की चौड़ाई को कम करने के लिए किसी समाज या सामान्य न्याय का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी कार्यवाहियों को दीवानी मुकदमों-क़ानूनों की व्याख्या-निर्माण नियमों के अनुरूप बनाने के लिए।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 14 बनाम-ए-बनाम एस. एस. 81 , 85 , 96 , 101 – कार्यवाही का दायरा-आयोजितः जब इन अनुभागों की भाषा को एस की भाषा के साथ जोड़ा जाता है। 14 , यह स्पष्ट है कि एस की चौड़ाई। 14 यह और भी बड़ा है, यह देखते हुए कि एस। 14 निगमित देनदार द्वारा किए गए लेन-देन के संबंध में, जिसमें ऋणों से संबंधित लेन-देन शामिल हैं, खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित लेन-देन पर रोक लगाने की घोषणा करता है।

एसएस। 81 , 85 , 96 , और 101-इसके अलावा, धारा 14 (1) (डी) इनमें से किसी भी धारा में इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है-इस प्रकार, जहां व्यक्तियों या फर्मों का संबंध है, किसी मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली, [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहां ऐसी संपत्ति व्यक्ति या फर्म द्वारा कब्जा कर ली गई है या उसके कब्जे में है, उसे कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के विपरीत, स्थगन अवधि के दौरान वसूल किया जा सकता है-परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

- s.138,141,143A, 148।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 14 , 32ए (1) एस के बीच अंतःक्रिया। 14 , 32ए-अधिस्थगन-पूर्व अपराध, कॉर्पोरेट देनदार का दायित्व-आयोजितः एस को पेश करने का कारण। 32ए था।

किसी भी अधिस्थगन प्रावधान से कोई लेना-देना नहीं है-यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दिए जाने की तारीख से कॉर्पोरेट देनदार के आपराधिक दायित्व को समाप्त कर देता है, ताकि नया प्रबंधन अतीत के साथ एक स्पष्ट विराम बना सके और एक स्पष्ट स्लेट पर शुरू कर सके-जबकि, एक अधिस्थगन प्रावधान केवल पहले से शुरू की गई और शुरू की जाने वाली कार्यवाही पर छाया डालता है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020-सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत-परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-एस. एस. 138 , 141 .

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-अध्याय 17 - s.138 142-आयोजित कार्यवाही की प्रकृतिः ए एस। 138 "आपराधिक भेड़िया" के कपड़ों में कार्यवाही को "सिविल शीप" कहा जा सकता है, क्योंकि यह पीड़ित के हित की रक्षा करने की मांग की जाती है, राज्य का बड़ा हित केवल पीड़ित द्वारा चेक उछाल के मामलों में अदालत का रुख करने में शामिल किया जाता है-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अध्याय XIII एस। 177 189 तक; एसएस। 62-64 , 302 , 357 .

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881। 138 - उद्देश्य -

कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या अन्य देयता-इस प्रकार, सीमा के कानून द्वारा वर्जित ऋण या अन्य देयता एस के दायरे से बाहर होगी। 138 . परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881। 138- दंड संहिता, 1860 - एस. 53-याचिका कि कार्यवाही यू/एस। 138 केवल आपराधिक कार्यवाही के रूप में वर्णित किया जा सकता है-आयोजितः अस्वीकृत-ऐसे कई कार्य हैं जो कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय हैं जिन्हें अर्ध-आपराधिक के रूप में वर्णित किया गया है-इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

उपशीर्षक "अर्ध-आपराधिक" के साथ एस पर लागू किया जा रहा है। 138 कार्यवाही-कंपनी अधिनियम, 1956 - s.630-न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 एस. एस. 2 , 11 , 12 .

पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - s.139-अनुमान

के तहत-चर्चा की गई।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - s.140-आयोजितः यह किसी अपराध के लिए अभियोजन पक्ष में बचाव नहीं होगा। 138 कि दराज़

जब उन्होंने चेक जारी किया तो उनके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि उस धारा में बताए गए कारणों के लिए चेक का अनादर किया जा सकता है, इस प्रकार सख्त दायित्व संलग्न होगा, क्योंकि अपराध का कोई घटक नहीं है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-ss. 14 , 25 (2) , 33 (5)

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-ss. 138 , 141 – के सिद्धांत

इजसडेम जेनरिस एंड नोसिटुर ए सोसाइटिस-नॉन-एप्लीकेशन ऑफ-आयोजितः यू / एस. 33, अभिव्यक्ति "कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं" होती है।

अधिनियमन भाग के साथ-साथ परंतुक दोनों में-पहले परंतुक के अनुसार, इस उद्देश्य को देखते हुए कि परिसमापक को समापन आदेश पारित होने के बाद कंपनी की ओर से कार्य करना है, जिसमें कंपनी की ओर से मुकदमे दायर करना और अन्य कानूनी कार्यवाही शामिल है,

एस क्यों इसका कोई कारण नहीं है। 138 / 141 कार्यवाही परंतुक के केन के बाहर होगी-ऐसा कोई कारण नहीं है कि परिसमापक एस को स्थापित नहीं कर सकता है। 138 / 141 कंपनी के चूक करने वाले देनदार के खिलाफ कार्यवाही-अनुचित मसौदा तैयार करने से बेतुके परिणाम या परिणाम नहीं मिल सकते हैं।

जो किसी प्रावधान के उद्देश्य को बाधित करता है, इसकी अन्यथा व्यापक भाषा को देखते हुए-क़ानूनों की व्याख्या।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 34-दिवाला

और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 14-आयोजितः एस. 34 कार्यवाही निश्चित रूप से निगमित देनदार के खिलाफ एक कार्यवाही है जिसके परिणामस्वरूप निगमित देनदार के खिलाफ एक मध्यस्थ पुरस्कार बरकरार रखा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप, धन तब निगमित द्वारा देय होगा।

देनदार-पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम। (2018) 246 डी. एल. टी. 485 के रूप में रिपोर्ट की गई ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड कानून को सही ढंग से नहीं बताती है।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ:

" या "एस में। 14 (1) (क)-आयोजित की व्याख्या: अभिव्यक्ति "या" s के पहले भाग में दो बार होती है। 14 (1) (ए)-पहले, के बीच

अभिव्यक्ति "मुकदमों की संस्था" और "लंबित मुकदमों की निरंतरता" और दूसरा, अभिव्यक्ति "लंबित मुकदमों की निरंतरता" और "कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कार्यवाही" के बीच। अभिव्यक्ति

" मुकदमों की स्थापना या लंबित मुकदमों की निरंतरता को पढ़ा जाना चाहिए।

एक श्रेणी के रूप में, और [2021] 14 एस. सी. आर. शब्द से पहले विसंगत "या"।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" कार्यवाही "से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसके विरुद्ध कार्यवाही

निगमित देनदार एक अलग श्रेणी होगी।

" कार्यवाहियों का अर्थ-चर्चा-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - एस. 14.

" "के संबंध में-आयोजित: यह एक ऐसा वाक्यांश है जो व्यापक है और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया कुछ भी शामिल है-- दिवाला और

दिवालियापन संहिता, 2016-ss. 81 , 85 , 96 , 101 .

" कार्रवाई का कारण "-आयोजित: अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए एक विदेशी है, और केवल नागरिक मामलों में लागू होगी।

धन की वसूली के मामले-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - धारा 14 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881। 138 , 142 – का कोड

आपराधिक दंड प्रक्रिया, 1973-अध्याय XIII-ss. 177 189 तक।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 धारा 14 (1) यह स्पष्ट करती है कि उप-धारा (2) और (3) में निहित अपवादों के अधीन रहते हुए, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

अनिवार्य रूप से, आदेश द्वारा, क्या प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिस्थगन की घोषणा करें

खंड (ए) से (डी) में इसका अनुसरण किया गया है। महत्वपूर्ण रूप से, उप-धारा (4) के तहत, स्थगन का यह आदेश अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहता है, लेकिन

स्थगन की घोषणा करने वाले आदेश की तारीख से लेकर केवल

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का पूरा होना जो समयबद्ध है, या तो निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के एक समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश में या

परिसमापन। धारा 14 (1) के दो अपवाद धारा 14 की उप-धाराओं (2) और (3) में निहित हैं। उप-धारा (2) के तहत निगमित देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति

इस अवधि के दौरान समाप्त या निलंबित या यहां तक कि नहीं किया जा सकता है

बाधित, अन्यथा निगमित देनदार को लाया जाएगा

अपने घुटनों तक और इस अवधि के दौरान एक चालू चिंता के रूप में कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। उप-धारा (3) में बनाया गया अपवाद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह "लेन-देन" को संदर्भित करता है जिसे वित्त के विशेषज्ञों के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। इस प्रकार, केंद्र सरकार विशेषज्ञों के परामर्श से कह सकती है कि अधिस्थगन प्रावधान ऐसे लेनदेन पर लागू नहीं होगा जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है। धारा 14 (1) (ए) इस बात का संकेत नहीं देती है कि उसमें निहित कार्यवाहियां किस पर लागू होती हैं। उप-धारा 3 (ए)

पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

स्थगन की अवधि। [पारस 10-13] [232-G-H; 233-A-C, F-G; 234-B-D] 1.2 "या" अभिव्यक्ति धारा 14 (1) (ए) के पहले भाग में दो बार आती है-पहला, "मुकदमों की स्थापना" और "लंबित मुकदमों की निरंतरता" और दूसरा, "लंबित मुकदमों की निरंतरता" और "कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कार्यवाही" अभिव्यक्तियों के बीच। प्रावधान का विस्तार वास्तव में बहुत व्यापक है क्योंकि इसमें मुकदमे और कार्यवाही की स्थापना, निरंतरता, निर्णय और निष्पादन शामिल है। एक मध्यस्थता पैनल का एक पुरस्कार या एक प्राधिकरण का आदेश भी शामिल है। यह मामला होने के कारण, यह अभिनिर्धारित करना असंगत होगा कि "मुकदमों की संस्था या लंबित मुकदमों की निरंतरता" अभिव्यक्ति को असंगत रूप से पढ़ा जाना चाहिए अन्यथा, मध्यस्थता कार्यवाही और अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही की संस्था को "मुकदमों" की अभिव्यक्ति संस्था के भीतर शामिल नहीं किया जा सकता है जो एक वादी द्वारा स्थापित दीवानी न्यायालयों में कार्यवाही हैं (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 26 देखें)। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति "मुकदमों की संस्था या लंबित मुकदमों की निरंतरता" को एक श्रेणी के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और असंगत "या" शब्द से पहले "।

" कार्यवाही "से यह स्पष्ट हो जाएगा कि निगमित देनदार के खिलाफ कार्यवाही एक अलग श्रेणी होगी। "कार्यवाही" अभिव्यक्ति की चौड़ाई पर जो बात प्रकाश डालती है वह है अभिव्यक्ति।

" कोई निर्णय, डिक्री या आदेश "और" कोई न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण "। चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ["सी. आर. पी. सी".] के तहत आपराधिक कार्यवाही

सी. आर. पी. सी. की धारा 6 में उल्लिखित न्यायालयों के समक्ष किया गया, यह स्पष्ट है कि धारा 138 की कार्यवाही [2021] 14 एस. सी. आर. के समक्ष की जा रही है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट निश्चित रूप से एक लेन-देन के संबंध में कानून की अदालत में एक कार्यवाही होगी जो कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बकाया ऋण से संबंधित है। [पैरा 14] [234-डी-एच; 235-ए-बी]

1.3 एजुस्डेम जेनरिस और नोसिटुर ए सोसाइटिस, क़ानूनों के निर्माण के रूप में नियम होने के कारण, मैदान को रद्द करने के लिए ऊंचा नहीं किया जा सकता है।

कानून में उपयोग किए जाने वाले शब्दों का अर्थ यदि उनका उपयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है। महत्वपूर्ण रूप से, जहां एक अवशिष्ट वाक्यांश का उपयोग एक पकड़ के रूप में किया जाता है-सभी अभिव्यक्ति को इसके दायरे में लेने के लिए जो उचित हो सकता है किसी प्रावधान द्वारा समझा जाए तो, इसके उद्देश्य और सेटिंग को ध्यान में रखते हुए, किसी समाज का उपयोग किसी अन्य व्यापक अभिव्यक्ति को रंग देने के लिए नहीं किया जा सकता है ताकि इसे कम किया जा सके और किसी वैधानिक प्रावधान के उद्देश्य को कम किया जा सके। [पैरा 22] [250-ए-बी]

असम राज्य बनाम। रंगा मोहम्मद, [1967] 1 एस. सी. आर. 454; जगदीश चंदर गुप्ता बनाम। कजारिया ट्रेडर्स (इंडिया) लिमिटेड, [1964] 8 एससीआर 50; राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। मोहन लाल, [1967] 3 एससीआर 377; सीबीआई बनाम। ब्रज भूषण

प्रसाद, (2001) 9 एससीसी 432: [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 627; गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2005) 2 एस. सी. सी. 515 [2005] 1 एस. सी. आर. 732; विक्रम सिंह बनाम। भारत संघ, (2015) 9 एस. सी. सी. 502 [2015] 10 एस. सी. आर. 816; पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. भारत संघ, (2019) 8 एस. सी. सी. 416: [2019] 10 एस. सी. आर. 381-- संदर्भित।

2. धारा 14 जैसे अधिस्थगन प्रावधान का उद्देश्य यह देखना है कि किसी निगमित देनदार की संपत्ति में कोई कमी न हो

दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान ताकि इसे इस दौरान एक चालू चिंता के रूप में चलाया जा सके, इस प्रकार सभी हितधारकों के लिए अधिकतम मूल्य। विचार यह है कि यह निगमित देनदार के व्यवसाय के निरंतर संचालन की सुविधा प्रदान करता है ताकि उसे अपने मामलों को व्यवस्थित करने के लिए जगह मिल सके ताकि एक नया प्रबंधन अंततः निगमित देनदार को वित्तीय बीमारी से बाहर निकाल सके और इस प्रकार सभी हितधारकों को लाभान्वित कर सके, जिसमें निगमित देनदार के कर्मचारी शामिल होंगे। ध्यान दें।

आई. बी. सी. द्वारा इस अधिस्थगन को लागू करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक अर्ध-आपराधिक कार्यवाही जिसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. समाप्त हो जाएगी।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

मुआवजे का भुगतान करने के परिणामस्वरूप, जो बाउंस हुए चेक की राशि का दोगुना हो सकता है, सीधे तौर पर कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को उसी तरह प्रभावित करेगा जैसे संस्था, ऋण या अन्य देयता की राशि के लिए दीवानी अदालत में ऐसे मुकदमे में डिक्री को जारी रखना या निष्पादित करना। इस उद्देश्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, जहां तक निगमित ऋणदाता का संबंध है, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आवश्यक अवसर प्राप्त करने पर मुकदमे और धारा 138 की कार्यवाही के प्रभाव के बीच किसी भी अंतर को समझना असंभव है। इसे देखते हुए

वास्तव में, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अभिव्यक्ति की चौड़ाई को कम करने के लिए एक समाज या इजस्डेम जेनरिस का उपयोग किया जाना चाहिए।

" "ताकि ऐसी कार्यवाहियों को दीवानी मुकदमों के अनुरूप बनाया जा सके। धारा 14 (1) का खंड (बी) यह भी स्पष्ट करता है कि अधिस्थगन अवधि के दौरान, निगमित देनदार द्वारा उसकी किसी भी संपत्ति या उसमें किसी भी कानूनी अधिकार या लाभकारी ब्याज के किसी भी हस्तांतरण, बोझ, अलगाव या निपटान पर भी रोक लगाई जा रही है, फिर भी धारा 138 के तहत देय मुआवजे के रूप में एक देयता किसी भी तरह से धारा 14 (1) के जाल से बच जाएगी। जबकि धारा 14 (1) (ए) निगमित देनदार की मौद्रिक देनदारियों को संदर्भित करती है, धारा 14 (1) (बी) निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को संदर्भित करती है, और ये दोनों खंड मिलकर एक योजना बनाते हैं जो निगमित देनदार को उसके खिलाफ आर्थिक हमलों से बचाती है।

स्थगन अवधि ताकि कॉर्पोरेट देनदार को अंततः खुद को बहाल करने के लिए एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने के लिए सांस लेने की जगह मिल सके। [पारस 23-25] [251-C-D; 252-B-D, E-G]

स्विस रिबन (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 4 एस. सी. सी.

17 : [2019] 3 एस. सी. आर. 535-पर निर्भर।

फरवरी, 2020 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया।

3. आई. बी. सी. के भाग III में, जो व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और दिवालियापन से संबंधित है, धारा 81, जो इसके अध्याय II में आती है, जिसका शीर्षक "नई शुरुआत प्रक्रिया" है, एक अंतरिम रोक लगाई गई है। इसी प्रकार, धारा 85, जो आई. बी. सी. के भाग III में अध्याय II में भी आती है, पर रोक लगा दी गई है। जब धारा 14 और [2021] 14 एस. सी. आर. की भाषा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 85 विपरीत है, यह स्पष्ट हो जाता है कि हालांकि धारा 85 की भाषा केवल ऋणों के संबंध में है, धारा 14 में निहित अधिस्थगन विषय विशिष्ट नहीं है। एकमात्र प्रकाश

विषय पर डाला गया है जिसमें निहित अपवाद प्रावधान द्वारा

धारा 14 (3) (ए) जो यह है कि "लेन-देन" धारा 14 (1) की विषय वस्तु हैं। लेन-देन "ऋण" की तुलना में बहुत व्यापक अभिव्यक्ति है, और इसे समाहित करता है। इसके अलावा, अभिव्यक्ति "कार्यवाही" धारा 14 (1) (ए) में विधायिका द्वारा उपयोग किए गए "कानूनी" शब्द को एक उपसर्ग के रूप में कुचला नहीं जाता है जो व्यक्तियों और फर्मों के लिए अधिस्थगन प्रावधानों में निहित है। इसी तरह, धारा 96 और धारा 101 के प्रावधान भाग III के अध्याय III में अधिस्थगन प्रावधान हैं जो दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित हैं।

"ऋण" के संबंध में कार्यवाही एक कानूनी कार्यवाही होगी। "के संबंध में एक ऐसा वाक्यांश है जो व्यापक है और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया कुछ भी शामिल है। यह, इस तथ्य के साथ कि यह धारा किसी भी ऋण की 'वसूली' तक सीमित नहीं है, यह इंगित करेगी कि किसी भी ऋण की वसूली से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी भी कानूनी कार्यवाही को शामिल किया जाएगा। जब इन धाराओं की भाषा को धारा 14 की भाषा के साथ जोड़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि धारा 14 की चौड़ाई और भी अधिक है, यह देखते हुए कि धारा 14 खंडों में उल्लिखित चीज़ों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिस्थगन घोषित करती है।

(क) से (घ) निगमित देनदार द्वारा किए गए लेन-देनों के संबंध में, जिसमें ऋणों से संबंधित लेन-देन शामिल हैं, जैसा कि धारा 81,85,96 और 101 में निहित है। इसके अलावा, धारा 14 (1) (डी) इनमें से किसी भी धारा में इसकी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट है। इस प्रकार,

जहां व्यक्तियों या फर्मों का संबंध है, किसी की वसूली एक मालिक या पट्टेदार द्वारा संपत्ति, जहां ऐसी संपत्ति व्यक्ति या फर्म द्वारा कब्जा कर ली गई है या उसके कब्जे में है, एक कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के विपरीत, अधिस्थगन अवधि के दौरान बरामद की जा सकती है। इन सभी कारणों से, इसलिए,

धारा 14 के उद्देश्य और संदर्भ को देखते हुए, अभिव्यक्ति "कार्यवाही" को निर्माण के किसी भी नियम द्वारा कम नहीं किया जा सकता है और इसे उद्देश्य और संदर्भ के साथ एक उचित अर्थ व्यंजन दिया जाना चाहिए। यह स्वीकार किया जाता है कि आपराधिक कार्यवाही जो सीधे पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. से संबंधित नहीं हैं।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

निगमित देनदार के ऋण या दायित्व का प्रमाण देने वाले लेन-देन इस अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर होंगे। [पारस 26,27,

28] [253 - ए; 255-बी-डी; 256-एफ-एच; 257-ए-सी]

भारतीय स्टेट बैंक बनाम वी. रामकृष्णन, (2018) 17 एससीसी

394 [2018] 10 एससीआर 974-प्रतिष्ठित। मैक्वेरी बैंक लिमिटेड बनाम शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2018) 2 एस. सी. सी. 674: [2017] 13 एस. सी. आर. 751; गिरिराज गर्ग बनाम। कोल इंडिया लिमिटेड (2019) 5 एस. सी. सी. 192: [2019] 2 एस. सी. आर. 239 संदर्भित है।

4. धारा 32 ए को संभवतः धारा 14 (1) (ए) की सही व्याख्या पर कोई प्रकाश डालने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

धारा 32 ए को लागू करने का किसी भी अधिस्थगन प्रावधान से कोई लेना-देना नहीं था। खंड के केंद्र में है निगमित देनदार के आपराधिक दायित्व का उन्मूलन, जिस तारीख से समाधान योजना को न्यायनिर्णायक द्वारा अनुमोदित किया गया है

प्राधिकरण, ताकि नया प्रबंधन अतीत के साथ एक साफ ब्रेक बना सके और एक साफ स्लेट पर शुरू कर सके। दूसरी ओर, अधिस्थगन प्रावधान किसी भी दायित्व को समाप्त नहीं करता है, नागरिक या आपराधिक, लेकिन केवल पहले से शुरू की गई कार्यवाही और शुरू की जाने वाली कार्यवाही पर एक छाया डालता है, जो अधिस्थगन अवधि समाप्त होने पर हटा दी जाती है। इसके अलावा, धारा 32 ए (1) केवल अधिस्थगन समाप्त होने के बाद ही काम करती है। धारा 32 ए के केंद्र में आई. बी. सी. का मूल्य अधिकतम करने का लक्षय है और कॉर्पोरेट देनदार के आपराधिक दायित्व के संपर्क में रहने के परिणामस्वरूप लेनदारों को कम वसूली से बचने की आवश्यकता है। बदकिस्मती से, इस खंड का अनिवार्य रूप से मसौदा तैयार किया गया है। धारा 32 ए (1) का दूसरा परंतुक उन व्यक्तियों की बात करता है जो किसी भी मामले में हैं।

निगमित देनदार का प्रभारी या उसके व्यवसाय के संचालन के लिए निगमित देनदार के प्रति उत्तरदायी या निगमित देनदार के साथ संबद्ध और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से "ऐसे अपराध" के करने में शामिल हैं, अर्थात, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध, "जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या दायर

शिकायत के अनुसार"। यहाँ प्रस्तुत रिपोर्ट में सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है, और उनके द्वारा दायर शिकायतों का उल्लेख किया गया है।

निजी शिकायतों के विपरीत विशेष अधिनियमों के तहत अधिकारियों की जांच करना। यदि दूसरे परंतुक की भाषा को "अपराध [2021] 14 एस. सी. आर". में धारा 32ए (1) की भाषा की व्याख्या करने के लिए लिया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 32ए (1) के तहत किए गए अपराधों में अपराध शामिल नहीं होंगे। सी. आर. पी. सी. की धारा 2 (डी) के तहत शिकायतों के आधार पर, भाषा की चौड़ाई में कटौती की जाएगी और धारा 32ए (1) के उद्देश्य को हासिल नहीं किया जाएगा क्योंकि सभी अभियोजन निजी मामलों से उत्पन्न होते हैं।

शिकायतों को हटा दिया जाएगा। धारा 32ए (1) को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है और स्पष्ट रूप से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले किए गए सभी अपराधों के लिए निगमित देनदार के दायित्व को शामिल करता है। निस्संदेह, एक धारा 138 कार्यवाही को शामिल किया जाएगा, और इसके बाद स्थगन अवधि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एक नए प्रबंधन द्वारा एक समाधान योजना के साथ समाप्त हो जाती है, जो कॉर्पोरेट देनदार के लिए एक अपराध नहीं है। एक धारा जिसे किसी अधिनियम में संशोधन द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पहले निगमित देनदार द्वारा किए गए अपराधों के लिए दायित्व के अधिशेषक पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेश किया गया है, का अर्थ इस तरह से नहीं लगाया जा सकता है कि धारा 14 में निहित अधिस्थगन प्रावधान को सीमित किया जा सके, जिससे वह बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। यदि धारा 32ए (1) के पहले परंतुक को सुझाए गए तरीके से पढ़ा जाता है, तो यह धारा 14 को अपनी मुख्य धारा 138/141 कार्यवाही से बाहर निकालकर प्रभावित करेगा, जो कि धारा 32ए (1) का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए, यह मानते हुए कि आई. बी. सी. की धारा 14 और धारा 32ए (1) के पहले प्रावधान के बीच टकराव है, इस टकराव का सबसे अच्छा समाधान सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करके किया जाता है ताकि -

दोनों प्रावधानों के उद्देश्य इस प्रक्रिया में एक प्रावधान को नुकसान पहुँचाए बिना या दूसरे की कीमत पर सीमित किए बिना कम हो जाते हैं। यदि, इसलिए, धारा 32ए (1) के पहले परंतुक में "अभियोजन" अभिव्यक्ति ठीक से आपराधिक कार्यवाही को संदर्भित करती है-या तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के माध्यम से या किसी जांच प्राधिकरण या शिकायत के माध्यम से दायर की गई शिकायत और अर्ध-आपराधिक कार्यवाही जो निगमित देनदार के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धाराओं के तहत स्थापित की जाती हैं, तो आईबीसी की धारा 14 (1) का उद्देश्य कम हो जाता है, जैसा कि धारा 32ए का उद्देश्य है, जो निगमित के खिलाफ सभी मामलों में आपराधिक अभियोजन को समाप्त करता है। ऋणी, इस

प्रकार एक नया प्रबंधन आने के बाद कॉर्पोरेट ऋणी को उसी से मुक्त कर देता है। [पारस 33,34] [262-एच; 263-ए-एच; 264-ए-डी] पी. मोहनराज और ओआरएस।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

मनीष कुमार बनाम। भारत संघ, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 30; सी. आई. टी. बनाम. ईश्वरलाल भगवानदास, [1966] 1 एससीआर

190 - पर भरोसा किया।

फरवरी की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट,

2020 - संदर्भित किया गया।

5. धारा 138 में अपराध के तत्वों को शामिल किया गया है। डीमिंग प्रावधान इस मायने में महत्वपूर्ण है कि विधायिका इस तथ्य से अवगत है कि अन्यथा क्या नागरिक है। दायित्व को भी अब एक अपराध माना जाता है, क्योंकि इस दायित्व को कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया है। जिस लेन-देन की बात की जाती है वह दो पक्षों के बीच एक वाणिज्यिक लेनदेन है जिसमें ऋण या देयता के लिए धन का भुगतान शामिल होता है। धारा 138 के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे ऋण या अन्य दायित्व का अर्थ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व है। इस प्रकार, सीमा कानून द्वारा वर्जित ऋण या अन्य देयता धारा 138 के दायरे से बाहर होगी। यह, जुर्माने के साथ जोड़ा जा सकता है जो चेक की राशि और उस पर ब्याज और लागत दोनों को कवर करने के लिए पीड़ित पक्ष को मुआवजे के रूप में देय चेक की राशि से दोगुना हो सकता है, यह दिखाएगा कि यह वास्तव में एक संकर प्रावधान है जो एक बाउंस चेक के तहत भुगतान को लागू करने के लिए है यदि यह अन्यथा लागू करने योग्य है।

सिविल कानून। इसके अलावा, हालांकि अपराध के तत्व धारा 138 के पहले भाग में निहित हैं जब चेक दिया जाता है।

धारा में दिए गए कारणों के लिए बैंक द्वारा बिना भुगतान किए लौटाया गया, परंतुक चेक के ड्रॉअर को एक अवसर देता है, जिसमें कहा गया है कि ड्रॉअर को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहना चाहिए, फिर से यह स्पष्ट करते हुए कि प्रावधान का वास्तविक उद्देश्य गलत करने वाले को पहले से किए गए अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि पीड़ित को क्षतिपूर्ति करना है। इसी तरह, धारा 139 के तहत, ए

यह अनुमान लगाया जाता है कि चेक धारक को प्राप्त हुआ

किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए चेक। इस धारणा का खंडन करने के लिए, तथ्यों को जोड़ा जाना चाहिए, जो संभावना की प्रधानता पर (उचित संदेह से परे नहीं)।

जैसा कि आपराधिक अपराधों के मामले में), तब साबित किया जाना चाहिए। धारा 140 इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि यह किसी मामले में बचाव नहीं होगी।

धारा 138 के तहत एक अपराध के लिए अभियोजन जो दराज ने किया था

जब उन्होंने चेक जारी किया तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि चेक [2021] 14 एस. सी. आर.

उस धारा में बताए गए कारणों के लिए प्रस्तुत करने पर अपमानित किया जा सकता है, इस प्रकार यह स्पष्ट किया जा सकता है कि सख्त दायित्व संलग्न होगा, क्योंकि अपराध का कोई घटक नहीं है। धारा 141 तब निदेशक और अन्य व्यक्तियों को वैधानिक रूप से उत्तरदायी बनाता है, बशर्ते कि धारा के अवयवों को पूरा किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्पष्टीकरण (ए) "कंपनी" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है कोई भी निगमित निकाय और इसमें एक फर्म या अन्य शामिल हैं।

व्यक्तियों का संगठन। यह पहले ही देखा जा चुका है कि कैसे धारा 96 और 101 की भाषा में एक फर्म के खिलाफ एक धारा 138/141 कार्यवाही शामिल होगी ताकि उसमें अधिस्थगन का उल्लेख किया जा सके।

ऐसी कार्यवाहियों पर लागू होगा। यदि एक ही धारा, अर्थात् धारा 141 के तहत तर्कों को स्वीकार किया जाना था, तो दो अलग-अलग परिणाम सामने आएंगे-जहां तक निगमित निकायों का संबंध है, जिसमें सीमित देयता भागीदारी शामिल है, आई. बी. सी. की धारा 14 में निहित अधिस्थगन प्रावधान लागू नहीं होगा, लेकिन जहां तक एक साझेदारी फर्म का संबंध है, आई. बी. सी. की धारा 96 और 101 के अंतर्गत आने के कारण, इन धाराओं द्वारा लगाए गए अधिस्थगन के आधार पर एक धारा 138/141 कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। इस प्रकार, धारा के तहत

141 (1) , जबकि किसी निगमित निकाय के खिलाफ धारा 138 की कार्यवाही निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के बाद भी जारी रहेगी, फिर भी, किसी फर्म के खिलाफ वही कार्यवाही, जिसे धारा 96 और 101 द्वारा बाधित किया जा रहा है, जारी नहीं रहेगी।

अकेले अनुचित मसौदा तैयार करने से इस तरह के चौंका देने वाले परिणाम नहीं हो सकते हैं, धारा 14 और 96 और 101 का उद्देश्य समान है, अर्थात् यह देखना कि कॉर्पोरेट के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान

व्यक्तियों/व्यक्तियों और फर्मों, निगमित निकाय/फर्म/व्यक्ति को अपने ऋणों के सफल समाधान के लिए सांस लेने की जगह दी जानी चाहिए-एक निगमित देनदार के मामले में, एक नए प्रबंधन के माध्यम से; और व्यक्तियों के मामले में और

फर्म, समाधान योजनाओं के माध्यम से जो लेनदारों की एक समिति द्वारा स्वीकार की जाती हैं, जिसके द्वारा देनदार को अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए सांस लेने की जगह दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लेनदारों को किसी व्यक्ति या फर्म के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही में उनसे अधिक मिलेगा। धारा 142 के सरसरी अध्ययन से यह फिर से स्पष्ट हो जाएगा कि सी. आर. पी. सी. के तहत प्रक्रिया को हटा दिया गया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. की शिकायत को छोड़कर किसी भी अदालत को धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेना है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

देय समय में प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा लिखित रूप में किया गया

धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के तहत "कार्रवाई का कारण" उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत की जानी चाहिए। अभिव्यक्ति "कार्रवाई का कारण" एक है आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए विदेशी, और धन की वसूली के लिए केवल दीवानी मामलों में लागू होगा। सी. आर. पी. सी. का अध्याय XIII, जिसमें धारा 177 से 189 शामिल हैं, एक अध्याय है जो पूछताछ और परीक्षणों में आपराधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। जब इन धाराओं द्वारा किसी आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की बात की जाती है, तो "कार्रवाई का कारण" अभिव्यक्ति इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट होती है। एक द्वारा

2002 के संशोधन अधिनियम, इस अध्याय में कई अन्य धाराएँ जोड़ी गईं। इस प्रकार, धारा 143 के तहत, एक मजिस्ट्रेट के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा और 5,000/- रुपये से अधिक के जुर्माने को संक्षेप में पारित करना वैध है। यह प्रावधान फिर से इस तथ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है कि मुआवजे का भुगतान इस प्रावधान के केंद्र में है कि 5000/- रुपये से अधिक का जुर्माना, सीमा होने के कारण, एक संक्षिप्त परीक्षण के माध्यम से लगाया जा सकता है, जो धारा 357 के आवेदन के बाद लागू होता है।

सी. आर. पी. सी. के परिणामस्वरूप पीड़ित को बाउंस किए गए चेक की दोगुनी राशि तक का मुआवजा मिलता है। धारा 144 के तहत, समन की सेवा का तरीका दीवानी मामलों की तरह किया जाता है, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 62 से 64 में निहित तरीके को छोड़ दिया जाता है। इसी तरह, धारा 145 के तहत, शिकायतकर्ता द्वारा साक्षय दिया जाना है।

हलफनामा, जैसा कि दीवानी कार्यवाही में दिया गया है, सीआरपीसी में कुछ भी शामिल होने के बावजूद। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम की धारा 147 के तहत अपराध अदालत के किसी भी हस्तक्षेप के बिना शमनीय हैं, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 (2) द्वारा आवश्यक है। 2018 में किए गए एक अन्य संशोधन से, इन प्रावधानों की संकर प्रकृति को धारा 143ए और 148 के तहत अंतरिम मुआवजे का निर्देश देने की शक्ति द्वारा एक दीवानी कार्यवाही की ओर और झुकाव मिलता

है। दीवानी कार्यवाही आवश्यक रूप से एक ऐसी कार्यवाही नहीं है जो मुकदमा दायर करने के साथ शुरू होती है और डिक्री के निष्पादन में समाप्त होती है। इसमें एक राजस्व कार्यवाही के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका शामिल होगी, यदि उसमें राहत नागरिक प्रकृति के अधिकारों को लागू करने के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि आपराधिक कार्यवाही को कार्यवाही कहा जाता है जिसमें [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य के व्यापक हित की चिंता है। इन परीक्षणों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि धारा 138 की कार्यवाही को "आपराधिक भेड़िये" के कपड़ों में "सिविल शीप" कहा जा सकता है, क्योंकि यह पीड़ित के हित की रक्षा करने की मांग की जाती है, राज्य का बड़ा हित केवल पीड़ित द्वारा चेक बाउंस होने के मामलों में अदालत का रुख करने में शामिल किया जाता है। धारा 138 के तहत एक कार्यवाही की गंभीरता, हालांकि भाषा में अधिनियम को एक अपराध की शिकायत बनाने के लिए, वास्तव में एक संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से वापस पाने के लिए है, जो कि अपमानित चेक में निहित राशि है। ब्याज और लागत के साथ, तेजी से और सस्ते में। यह केवल पीड़ित ही है जो शिकायत दर्ज कर सकता है जो आम तौर पर मुआवजे के रूप में जुर्माने के भुगतान में समाप्त होता है जो चेक की राशि के दोगुने तक बढ़ सकता है जिसमें चेक की राशि और ब्याज और उस पर होने वाली लागत शामिल होगी। एक अर्ध-आपराधिक कार्यवाही जो परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII में निहित है, आई. बी. सी. की धारा 14 के उद्देश्य और संदर्भ को देखते हुए, धारा 14 (1) (ए) के अर्थ के भीतर एक "कार्यवाही" के बराबर होगी, इसलिए ऐसी कार्यवाही पर रोक लगा दी जाएगी। [पारस 36-38,40-43 और 53] [265-D-H; 266-A-H; 267-A; 268-A-H; 272-E-G; 288-F-H]

गोप्लास्ट (पी) लिमिटेड बनाम चिको उर्सुला डिसूज़ा (2003) 3 एससीसी 232: [2003] 2 एससीआर 712; विनय देवन्ना नायक

वी. रयत सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, (2008) 2 एस. सी. सी. 305:

[2007] 12 एस. सी. आर. 1134; दामोदर एस. प्रभु बनाम। सैयद

बाबालाल एच., (2010) 5 एस. सी. सी. 663 [2010] 5 एस. सी. आर. 678; जेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। अमरलाल वी. जुमानी, (2012) 3 एससीसी

255 : [2012] 3 एस. सी. आर. 114; कौशल्या देवी मसंद बनाम।

रूपकिशोर खोरे, (2011) 4 एससीसी 593 [2011] 3 एससीआर

879 ; आर. विजयन बनाम बेबी, (2012) 1 एससीसी 260: [2011] 14 एस. सी. आर. 712; दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र, (2014) 9 एससीसी 129: [2014] 11 एससीआर 921; लाफार्ज एग्रीगेट्स एंड कंक्रीट इंडिया (पी) लिमिटेड v.

सुकर्श आजाद, (2014) 13 एस. सी. सी. 779: [2013] 11 एससीआर 74 ; मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स (पी) लिमिटेड बनाम कंचन मेहता,

(2018) 1 एससीसी 560: [2017] 10 एससीआर 66; एम. अब्बास हाजी वी. टी. एन. चन्नकेशव (2019) 9 एस. सी. सी. 606; एच. एन.

जगदीश वी. आर. राजेश्वरी, (2019) 16 एससीसी 730 -

पर भरोसा किया।

पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

6. ऐसे कार्यों के कई उदाहरण हैं जो कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय हैं जिन्हें इस प्रकार वर्णित किया गया है - अर्ध-अपराधी। हालांकि नागरिक और आपराधिक अवमानना के बीच कोई कठोर अंतर नहीं हो सकता है, फिर भी, का एक विश्लेषण

उपरोक्त अधिकारी यह स्पष्ट करेंगे कि नागरिक अवमानना

अनिवार्य रूप से एक कार्रवाई जो उस पक्ष द्वारा की जाती है जिसके हित में उसके व्यक्तिगत अधिकार को लागू करने की दृष्टि से एक आदेश दिया गया था, जहां इस तरह के आदेश की अपमानजनक अवहेलना के परिणामस्वरूप -

लोक हित में अपराधी, जबकि एक आपराधिक अवमानना, संक्षेप में, एक ऐसी कार्यवाही है जो लोक हित से संबंधित है

यह देखते हुए कि न्याय का प्रशासन अप्रदूषित रहे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दीवानी अवमानना के मामलों में भी जुर्माना या कारावास या दोनों लगाए जा सकते हैं। केवल यह तथ्य कि दंडनीय दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 53 से संबंधित हैं, इसलिए दीवानी अवमानना कार्यवाही को आपराधिक कार्यवाही नहीं बनाएगा। सान्याल समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष में बहुत समझदारी है कि अवमानना दीवानी है या आपराधिक, इस सवाल का निर्णय उस दंड के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए जो लगाया जा सकता है, बल्कि उस कारण के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसके लिए दंड लगाया गया है। स्पष्ट रूप से, इसलिए, इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा "अर्ध-आपराधिक" के रूप में वर्णित एक दीवानी अवमानना कार्यवाही की संकर प्रकृति को देखते हुए, धारा 138 की कार्यवाही पर एक ही अपील "अर्ध-आपराधिक" लागू होने में कुछ भी गलत नहीं है। [पारस 63,64] [302-ए-ई]

अभिलाष विनोदकुमार जैन बनाम। कॉक्स एंड किंग्स (इंडिया) लिमिटेड (1995) 3 एस. सी. सी. 732: [1995] 2 एससीआर 873; नियाज मोहम्मद। वी. हरियाणा राज्य, (1994) 6 एससीसी 332: [1994] 3 पूरक। एससीआर 720; टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद (102) v. अशोक खोट, (2006) 5 एससीसी 1: [2006] 2 पूरक। एस. सी. आर. 215; सहदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 3 एस. सी. सी. 705: [2010] 2 एससीआर 1086; मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम। भारत संघ,

(2012) 1 एस. सी. सी. 273; कंवर सिंह सैनी बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय (2012) 4 एस. सी. सी. 307: [2011] 15 एससीआर 972; टी. सी. गुप्ता बनाम बिमल कुमार दत्ता (2014) 14 एस. सी. सी. 446:

[2013] 12 एस. सी. आर. 170-निर्भर।

त्रिनिदाद और टोबैगो, ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 141-पर निर्भर था। सान्याल समिति की रिपोर्ट, 1963-निर्दिष्ट।

[2021] 14

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिसमापक को अब एक समापन आदेश पारित होने के बाद कंपनी की ओर से कार्य करना पड़ता है, जिसमें कंपनी की ओर से मुकदमे दायर करना और अन्य कानूनी कार्यवाही शामिल है, इसका कोई कारण नहीं है कि धारा 138/141 की कार्यवाही परंतुक के दायरे से बाहर क्यों होगी। इसके विपरीत, चूंकि अब केवल परिसमापक ही कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि परिसमापन से पहले कंपनी जो कुछ भी कर सकती थी, वह अब परिसमापक में निहित है, और कंपनी को देय धन प्राप्त करने के लिए, परिसमापक द्वारा धारा 138/141 स्थापित करने का कोई कारण नहीं है। कंपनी के चूककर्ता देनदार के खिलाफ कार्यवाही। जाहिर है, इस भाषा को व्यापक रूप में समझने की आवश्यकता है क्योंकि "अन्य कानूनी कार्यवाही" की कोई अवशिष्ट श्रेणी नहीं हो सकती है जिसे परिसमापक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ या परिसमापक द्वारा स्थापित किया जा सकता है जो अब अकेले कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रावधान के उद्देश्य को भी देखते हुए, इसके लागू न होने के संबंध में पहले क्या कहा गया है

इजसडेम जेनरिस और नोसिटुर ए सोसाइटिस के सिद्धांत इस प्रावधान पर भी पूरी ताकत से लागू होंगे। आई. बी. सी. के कई अन्य प्रावधानों को भी इस संदर्भ में देखा जा सकता है। धारा 25 (2) (बी) में फिर से, इस तथ्य को देखते हुए कि यह केवल समाधान पेशेवर है जो अब इस अंतराल में कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों को संरक्षित और संरक्षित करना है, इसलिए समाधान पेशेवर को सभी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में कॉर्पोरेट देनदार की ओर से प्रतिनिधित्व करना और कार्य करना है, जिसमें

आपराधिक कार्यवाही शामिल होगी। यहाँ फिर से, "न्यायिक" शब्द को एक समाज के रूप में नहीं समझा जा सकता है ताकि इसके स्पष्ट अर्थ को कम किया जा सके, अन्यथा, अर्ध-न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही नहीं होने के कारण, "न्यायिक" शब्द तब उनसे रंग ले लेगा। यह उस वस्तु को अस्थिर कर देगा जिसकी मांग की गई थी

धारा 25 द्वारा प्राप्त किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप एक बेतुकी बात होगी, अर्थात्, इस मध्यावधि के दौरान, कोई भी आपराधिक कार्यवाही में निगमित देनदार का प्रतिनिधित्व या उसकी ओर से कार्य नहीं कर सकता है। इसी तरह, यदि एक कॉर्पोरेट देनदार को एक नए प्रबंधन द्वारा नहीं लिया जा सकता है

और परिसमापन के लिए निंदा की जानी चाहिए, परिसमापक की शक्तियाँ और कर्तव्य, कॉर्पोरेट देनदार का प्रतिनिधित्व करते हुए, पी. मोहनराज और ओआरएस हैं।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

धारा 35 में उल्लिखित है। धारा 35 (1) (के) विशेष रूप से बताती है

" अभियोजन "और" आपराधिक कार्यवाही "। धारा 25 (2) (बी) और धारा 33 (5) के विपरीत, एक तर्क दिया जा सकता है कि "अभियोजन" और "आपराधिक" अभिव्यक्तियों का अभाव है। धारा 25 (2) (बी) और धारा 33 (5) में कार्यवाही से पता चलेगा कि

कि उन्हें विधायिका द्वारा योजनाबद्ध रूप से छोड़ दिया गया था। अनुचित प्रारूपण बेतुके परिणामों या परिणामों की ओर नहीं ले जा सकता है जो किसी प्रावधान के उद्देश्य को हतोत्साहित करते हैं, अन्यथा इसकी व्यापक भाषा को देखते हुए। इस प्रकार, एक दूसरे के खिलाफ विभिन्न प्रावधानों को जोड़कर और उन निष्कर्षों पर पहुंचने से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है जो कानून में स्पष्ट रूप से असमर्थनीय हैं। [पैरा 65,66] [303-बी-एफ; 304-ए-डी, एफ-जी]

8. धारा 34 निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक कार्यवाही है।

निगमित देनदार जिसके परिणामस्वरूप निगमित देनदार के खिलाफ एक मध्यस्थ पुरस्कार बरकरार रखा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप, धन तब निगमित देनदार द्वारा देय होगा। एक धारा 34 कार्यवाही एक मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती देने से संबंधित कानून की अदालत में कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ एक कार्यवाही है और इसे उसी तरह शामिल किया जाएगा जैसे एक मुकदमे से एक डिक्री में एक अपीलीय कार्यवाही को शामिल किया जाएगा। [पैरा 74] [311-एफ-जी]

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12189: (2018) 246 डीएलटी

485 सही कानून नहीं है।

9. जहाँ तक निगमित देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में निदेशकों/व्यक्तियों का संबंध है, एक धारा 138/141

निगमित देनदार के बिना उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 141

परक्राम्य लिखत अधिनियम व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्तियों की बात करता है।

कंपनी के साथ-साथ। चूँकि निगमित देनदार अधिस्थगन प्रावधान द्वारा कवर किया जाएगा

आई. बी. सी. की धारा 14, जिसके द्वारा निगमित देनदार के खिलाफ धारा 138/141 कार्यवाही जारी रखी जाती है और धारा की शुरुआत की जाती है। 138/141 निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान उक्त देनदार के खिलाफ कार्यवाही को रोक दिया जाता है, जो अनीता हाडा में पैराग्राफ 51 और 59 में कहा गया है, वह तब लागू हो जाएगा। [2021] 14 एस. सी. आर. की धारा 14 में निहित कानूनी बाधा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. बी. सी. इस तरह की कार्यवाही को जारी रखना या निगमित देनदार के खिलाफ शुरू करना असंभव बना देगा। इस प्रकार, अधिस्थगन की अवधि के लिए, चूंकि कोई भी धारा सांविधिक प्रतिबंध के कारण निगमित देनदार के खिलाफ जारी या शुरू नहीं की जा सकती है, इसलिए इस तरह की कार्यवाही परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 (1) और (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के खिलाफ शुरू या जारी रखी जा सकती है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि आई. बी. सी. की धारा 14 में निहित अधिस्थगन प्रावधान केवल निगमित देनदार पर लागू होगा, धारा 141 में उल्लिखित प्राकृतिक व्यक्ति परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII के तहत सांविधिक रूप से उत्तरदायी बने रहेंगे। एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ एक धारा 138/141 कार्यवाही धारा द्वारा कवर की जाती है।

14 (1) (क) आई. बी. सी. का। दीवानी अपील की अनुमति दी जाती है और अपील के तहत निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है। हालांकि, अनुभाग 138/141

इस मामले में कंपनी के साथ-साथ अपीलकर्ताओं के खिलाफ वर्तमान निर्णय में पैराग्राफ 77 में दिए गए कारण के साथ-साथ इस तथ्य के लिए भी कार्यवाही जारी रहेगी कि दिवाला

समाधान प्रक्रिया में एक नया प्रबंधन शामिल नहीं है। इस मामले में मोहलत की अवधि समाप्त हो गई है। [पारस 77-79] [325-B-C; 316-H; 317-A-F]

अनीता हाडा बनाम। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड, (2012) 5 एससीसी 661: [2012] 5 एस. सी. आर. 503-निर्भर।

तायल कॉटन प्रा. लिमिटेड वी. महाराष्ट्र राज्य, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 2069: (2019) 1 माह एलजे 312; मेसर्स एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. माणिक चंद सोमानी, सीआरआर

3456/2018 – अस्वीकृत।

बी. एस. आई. लिमिटेड बनाम गिफ्ट होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड, (2000) 2 एससीसी 737: [2000] 1 एस. सी. आर. 815; कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम।

पेन्नार पीटरसन सिक्योरिटीज लिमिटेड (2000) 2 एस. सी. सी. 745: [2000] 1 एससीआर 1120; एस. वी. कंदईकर बनाम वी. एम. देशपांडे,

(1972) 1 एससीसी 438 [1972] 2 एससीआर 965; डी. के. कपूर बनाम भारतीय रिजर्व बैंक, 2001 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 67: (2001) 58 डी. आर. जे. 424 (डी. बी.); इंडोरामा सिंथेटिक्स (आई) लिमिटेड v. महाराष्ट्र राज्य, 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 2611: (2016) 4 माह एलजे 249; सुदर्शन चिट्स (आई) लिमिटेड बनाम। ओ. सुकुमारन पिल्लई, (1984) 4 एससीसी 657:

[1985] 1 एससीआर पी. मोहनराज और ओआरएस। वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. एल.

511 ; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम एल्मोट इंजीनियरिंग कं.,

(1994) 4 एससीसी 159: [1994] 3 एस. सी. आर. 766; इंद्रजीत सी.

पारेख वी. वी. के. भट्ट (1974) 4 एस. सी. सी. 313: [1974] 3

एस. सी. आर. 50; उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय

दिल्ली बनाम. एक्सिस बैंक, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 7854: (2019)

259 डीएलटी 500-विशिष्ट। रजनीश अग्रवाल बनाम। अमित जे. भल्ला, (2001) 1 एससीसी

631 : [2001] 1 एससीआर 54; मकवाना मंगलदास तुलसीदास

वी. गुजरात राज्य, (2020) 4 एस. सी. सी. 695-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 5 एससीआर 503

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2018] 10 एससीआर 974

प्रतिष्ठित

पैरा 13

[1967] 1 एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[1964] 8 एससीआर 50

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[1967] 3 एससीआर 377

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

[2001] 3 पूरक। एससीआर 627

पैरा 18

संदर्भित किया गया है

[2005] 1 एससीआर 732

पैरा 19

संदर्भित किया गया है

[2015] 10 एससीआर 816

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

[2019] 10 एससीआर 381

पैरा 21

संदर्भित किया गया है

[2019] 3 एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

[2017] 13 एससीआर 751

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

[2019] 2 एससीआर 239

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

[1966] 1 एससीआर 190

उस पर भरोसा करें

पैरा 43

[2003] 2 एससीआर 712

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

उस पर भरोसा करें

[2007] 12 एससीआर 1134

पैरा 45

[2010] 5 एससीआर 678

उस पर भरोसा करें

पैरा 46

[2012] 3 एससीआर 114

उस पर भरोसा करें

पैरा 46

[2011] 3 एससीआर 879

उस पर भरोसा करें

पैरा 47

[2011] 14 एससीआर 712

उस पर भरोसा करें

पैरा 48

[2014] 11 एससीआर 921

उस पर भरोसा करें

पैरा 49

[2021] 14 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2013] 11 एससीआर 74

उस पर भरोसा करें

पैरा 50

[2001] 1 एससीआर 54

पैरा 50।

संदर्भित किया गया है

[2017] 10 एससीआर 66

पैरा 51

उस पर भरोसा करें

(2019) 9 एस. सी. सी. 606

उस पर भरोसा करें

पैरा 52

(2019) 16 एस. सी. सी. 730

उस पर भरोसा करें

पैरा 52

(2020) 4 एस. सी. सी. 695

पैरा 18.5

संदर्भित किया गया है

[1995] 2 एससीआर 873

उस पर भरोसा करें

पैरा 54

[1994] 3 पूरक। एससीआर 720

उस पर भरोसा करें

पैरा 60

[2006] 2 पूरक। एससीआर 215

उस पर भरोसा करें

पैरा 60

[2010] 2 एससीआर 1086

उस पर भरोसा करें

पैरा 62

(2012) 1 एस. सी. सी. 273

उस पर भरोसा करें

पैरा 62

[2011] 15 एससीआर 972

उस पर भरोसा करें

पैरा 62

[2013] 12 एससीआर 170

उस पर भरोसा करें

पैरा 62

[2000] 1 एससीआर 815

प्रतिष्ठित

पैरा 67

[2000] 1 एससीआर 1120

प्रतिष्ठित

पैरा 68

[1972] 2 एससीआर 965

प्रतिष्ठित

पैरा 70

[1985] 1 एससीआर 511

प्रतिष्ठित

पैरा 70

[1994] 3 एससीआर 766

प्रतिष्ठित

पैरा 70

[1974] 3 एससीआर 50

प्रतिष्ठित

पैरा 75

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 10

2018 से।

नाटी के 31.07.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने 2018 की कंपनी अपील ((दिवाला) सं. 303 में कहा।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 ,

48 , 200 , 199 2021 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या। 330 , 339 , 982,2 342 2020 की आपराधिक अपील संख्या। 201-204 , 215-230 2021 का, रिट पेटी (सिविल) संख्या। 1417 , 1439 2020 की, 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 18, याचिका (आपराधिक) संख्या। 9 , 26 2021 से।

पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

अमन लेखी, ए. एस. जी., जयंत मुथ राज, एस. नागमुथु, गोपाल शंकरनारायणन, सलमान खुर्शीद, बृजेंद्र चाहर, सुश्री सोनिया

माथुर, गुरिंदर सिंह गिल, सिद्धार्थ दवे, जय सावला, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीमती मालविका जयंत, एम. पी. पार्थिबन, ए. एस. वैरावन, मणि प्रभु, संतोष, आर. सुधाकरन, रजत भारद्वाज, मोहम्मद। एम/एस के लिए ऐनुल अंसारी, कृपा शंकर प्रसाद, सुनील खटवानी, सुश्री एकता रानी, सुश्री रितु राजकुमारी, श्रेयस मेहरोत्रा, राहुल गुप्ता, अमन प्रीत सिंह राही, ए. वेनायगम बालन, के. कृष्ण कुमार, नवजिंदर सिद्धू, अमरजीत सिंह, विवेक जैन, सुश्री सुचित्रा खुम्भात, निर्विकार सिंह, नितिन शर्मा, वैभव मनु श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, भानु पंत, अपूर्व अग्रवाल, सुश्री रिया थॉमस, सुश्री आद्या मिश्रा, विकास चौधरी, श्रीमती सोमा ढौन, अनुराग किशोर, अमन वचेर, धीरज, आशुतोष दुबे, अभिषेक चौहान, अरुण नगर। मेसर्स के लिए वचेर एंड अग्रुद, अरविंद कुमार गुप्ता, सुश्री हिना जॉर्ज, सुश्री शिवानी, रवींद्र दयानंद चिंगले, सुश्री पूर्ति गुप्ता, सुश्री ट्विशा इस्सर, कार्तिक सेठ, सुश्री श्रिया गिलहोत्रा। चैम्बर्स ऑफ कार्तिक सेठ, सुश्री स्वाति भूषण शर्मा, सुश्री नंदिनी गुप्ता, कृष्ण कुमार, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, अमरजीत सिंह, मेसर्स। चैम्बर्स ऑफ कार्तिक सेठ, एम/एस। वचेर और अग्रुद, श्री जयंत मेहता, सुश्री प्रिथा श्रीकुमार अय्यर, सुलभ रेवाड़ी, सुश्री अरुणिमा केडिया, सुश्री नेहा माथेन, सुश्री स्मृति वर्मा, ऋषभ संचेती, प्रभु रामसुब्रमण्यन, रघुनाथ सेतुपति,

करुप्पिया मेयप्पन, निष्ठा गिरोतरा, के. परी वेंधन, अरविंद एस., सुश्री चामुंडी बोस, प्रभाकर वी., आदित्य सिंह, पंकज यादव, अक्षत गोयल, शुभम सिंह, अनुभव सिंह, करण चाहर, सुश्री ज्योति चाहर, शशि भूषण, विनय गर्ग, सुश्री अनीशा उपाध्याय, सुधांशु पालो, संजीव सिंह, प्रशांत त्रिपाठी।

स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री प्रवीणा गौतम, अरविंद शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, निशांत पाटिल, सुश्री जसप्रित गोगिया, करणवीर गोगिया, सुश्री शिवांगी सिंघल, गगन गुप्ता, हरमीत सिंह ओबेरॉय, सुमित तेतरवाल, शंकर दिवाते, वरुण बेदी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुश्री सुरुची अग्रवाल, सुश्री शगुन मट्टा, दीपक बस्ता, संजीव काकड़ा, भीम सैन जैन, नगरकट्टी कार्तिक उदय, नरेंदर कुमार वर्मा, वेद प्रकाश, राजीव रंजन द्विवेदी, विनोद कुमार, विवेक भोजराजिका, चिराग एम. श्रॉफ, सुश्री अभिलाषा भारती, सुशांत डोगरा, सुश्री मुक्ति चौधरी, सुश्री दीप।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रताप सिंह गिल, सुश्री भूपिंदर, सुश्री वंदना हुड्डा, पी. पी. नायक, कुलदिप सिंह कुचालिया, अजय पाल, प्रवीण कपूर, धनंजय गर्ग, अभिषेक गर्ग, डी. के. गर्ग, चाणक्य गुप्ता, जगदीश सेठी, सुश्री मोनिशा हांडा, सुश्री सौम्या गुप्ता, मोहित डी. राम, सुश्री रेणुका साहू, प्रभात चौरसिया, हेमंत गुप्ता, अमन रस्तोगी, संजय रस्तोगी, अभिषेक अग्रवाल, रवीश ठुकराल, आदित्य वशिष्ठ, सिद्धार्थ संगल, सुश्री प्रिथा श्रीकुमार, गगन गुप्ता, दिनेश कुमार गर्ग, सुश्री सुरुची अग्रवाल, सर्वेश सिंह बघेल, अजय पाल, राजीव रंजन। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. इस्पात उत्पादों की आपूर्ति प्रतिवादी द्वारा एक एम/एस को की गई थी। डायमंड इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड ["कंपनी"] से 21.09.2015 तक 11.11.2016 , जिसके परिणामस्वरूप आई. एन. आर. 24,20,91,054/- कंपनी द्वारा देय और देय था। कंपनी द्वारा आपूर्ति के लिए देय राशि के लिए प्रतिवादी के पक्ष में 51 चेक जारी किए गए थे, जिनमें से सभी को 03.03.2017 पर "अपर्याप्त धन" के कारण सम्मानित नहीं किया गया था। नतीजतन, 31.03.2017 पर, प्रतिवादी ने एक वैधानिक आदेश जारी किया

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 के साथ पठित धारा 138 के तहत मांग नोटिस, कंपनी और उसके तीन निदेशकों को बुलाते हुए, अपीलकर्ता सं। 1-3 इसमें, नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान करना है। 2. 28.04.2017 पर, प्रत्यर्थी द्वारा नकदीकरण के लिए प्रस्तुत आई. एन. आर. 80,70,133/- की कुल राशि के लिए दो चेक "अपर्याप्त धन" के कारण अपमानित होकर वापस कर दिए गए। इसलिए प्रतिवादी द्वारा उसी धारा के तहत दिनांक 05.05.2017

का दूसरा मांग नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कंपनी और अपीलकर्ताओं से नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था।

3. चूंकि दो वैधानिक मांग नोटिसों के अनुसार कोई भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए दो आपराधिक शिकायतें आपराधिक शिकायत थीं।

No.SS/552/2017 और आपराधिक शिकायत सं। एस. एस./690/2017 दिनांक 17.05.2017 और 21.06.2017, क्रमशः, प्रत्यर्थी द्वारा कंपनी और अपीलार्थियों के खिलाफ धारा 138 के तहत दायर किए गए थे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ["एसीएमएम"], कुर्ला, मुंबई के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141। 12.02.2018 पर, ए. सी. एम. एम. द्वारा कंपनी और अपीलार्थियों को दोनों आपराधिक शिकायतों में समन जारी किए गए थे।

पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

4. इस बीच, धारा 8 के तहत एक वैधानिक सूचना के रूप में

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ["आई. बी. सी".] कंपनी के प्रत्यर्थी द्वारा 21.03.2017 पर जारी की गई थी, और आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत आवेदन को स्वीकार करते हुए और कंपनी के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिनांकित [आई. डी. 2] एक आदेश पारित किया गया था, आई. बी. सी. की धारा 14 के संदर्भ में एक स्थगन का आदेश दिया गया था। इसके अनुसार, 24.05.2018 पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आगे रोक लगा दी

ए. सी. एम. एम. के समक्ष लंबित दो आपराधिक शिकायतों में कार्यवाही। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ["एन. सी. एल. ए. टी".] में दायर एक अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. ने इस आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि धारा 138, एक आपराधिक कानून प्रावधान होने के कारण, आई. बी. सी. की धारा 14 के अर्थ के भीतर एक "कार्यवाही" नहीं मानी जा सकती है। इसके समक्ष दायर एक अपील में न्यायालय, 26.10.2018 पर, इस न्यायालय ने विद्वान ACMM के समक्ष लंबित दो शिकायतों में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया। 30.09.2019 पर, चूंकि कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत एक समाधान योजना थी

लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने ऐसी योजना को मंजूरी दी जिसके परिणामस्वरूप, स्थगन आदेश दिनांकित किया गया 06.06.2017 प्रभाव पड़ना बंद कर दिया। यह केवल जोड़ा जा सकता है कि वर्तमान में,

कंपनी के वित्तीय लेनदारों द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष इस समाधान योजना के अनुमोदन को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। समान रूप से, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए

समय बढ़ाने के लिए एक आवेदन समाधान आवेदक द्वारा अक्टूबर 2020 में किसी समय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष दायर किया गया है। इन दोनों अनुप्रयोगों में

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, ऐसे प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई की अगली तारीख 08.02.2021 है।

5. इस अपील में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या धारा 138/141 के तहत कार्यवाही की स्थापना या निरंतरता

परक्राम्य लिखत अधिनियम को अधिस्थगन प्रावधान, अर्थात् आई. बी. सी. की धारा 14 द्वारा कवर किया जा सकता है। 6. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत मुथ राज ने बड़ी मेहनत से हमें विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया है।

आई. बी. सी. के प्रावधान और तर्क दिया है कि धारा 14 का उद्देश्य यह है कि निगमित ऋणी की परिसंपत्तियों को निगमित अवधि के दौरान संरक्षित किया जाए। दिवाला समाधान प्रक्रिया, यह अभिनिर्धारित करना सबसे असंगत होगा कि धारा 138 की कार्यवाही, जो यद्यपि एक आपराधिक कार्यवाही है, सारतः बाउंस किए गए चेक की राशि की वसूली के लिए है, को आई. बी. सी. की धारा 14 (1) (ए) में निहित "कार्यवाही" शब्द से बाहर रखा जाए।

निगमित देनदार, दीवानी या आपराधिक, जिसके परिणामस्वरूप "निष्पादन" होगा मुआवजे के भुगतान के लिए किसी भी निर्णय का। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि धारा 14 (1) (ए) बहुत व्यापक थी और इसे न्यायिक व्याख्या द्वारा नहीं काटा जाना चाहिए क्योंकि "कोई भी" अभिव्यक्ति दो बार होती है।

धारा 14 (1) (ए), इस प्रकार इस बात पर जोर देती है कि जब तक किसी विधि न्यायालय द्वारा कोई निर्णय (जो किसी प्राधिकरण द्वारा आदेश तक भी विस्तारित है) है जिसके परिणामस्वरूप निगमित देनदार की संपत्तियों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसी सभी कार्यवाहियों को धारा 14 (1) (ए) के अर्थ के भीतर अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। उन्होंने धारा 14 (1) (बी) की चौड़ाई और धारा 14 (1) (बी) की भाषा का भी उल्लेख किया और इसलिए तर्क दिया कि धारा 14 के उद्देश्य को देखते हुए, निर्माण का कोई नियम नहीं है, चाहे वह सामान्य नियम हो।

धारा 14 (1) (ए) में उपयोग किए गए शब्दों के सरल अर्थ को कम करने के लिए एक समाज का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने समर्थन में कई निर्णयों का हवाला दिया

इस प्रस्ताव पर। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में, भले ही ठीक से तथाकथित आपराधिक कार्यवाही को धारा 14 (1) (ए) से बाहर रखा जाए, धारा 138 की कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की हो, जिसका प्रमुख उद्देश्य उस व्यक्ति को मुआवजा देना है जिसके पक्ष में एक चेक बनाया गया है, जो बाउंस हो गया है, धारा 138 का दंडात्मक पहलू केवल इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए एक अंतर्वर्ती कार्यवाही के रूप में कार्य करने के लिए है, यह स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में, इस प्रकृति की एक संकर कार्यवाही को निश्चित रूप से शामिल किया जाएगा। उन्होंने इस प्रस्ताव को मजबूत करने के लिए कई निर्णयों का भी हवाला दिया।

आई. बी. सी. की धारा 85,96 और 101 में व्यक्तियों और फर्मों के मामले में लागू होगा, इस बात पर जोर देते हुए कि इन प्रावधानों की भाषा व्यापक होने के कारण, इसके विपरीत, जहां तक व्यक्तियों और फर्मों का संबंध है, धारा 138 की कार्यवाही शामिल होगी, जिसे स्पष्ट रूप से हटा दिया गया है जहां तक कि धारा 14 कॉर्पोरेट देनदारों पर लागू होती है। चिंतित हैं। उन्होंने समाज के नियमों पर भरोसा किया।

उस निर्माण का जो वास्तव में बॉम्बे उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा धारा 14 (1) (ए) पर लागू किया गया था ताकि उनके पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. पर दबाव डाला जा सके।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

आई. बी. सी. की धारा 32ए पर भरोसा किया, जिसे दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा डब्ल्यू. ई. एफ. 28.12.2019 द्वारा पेश किया गया था, और इस तथ्य पर जोर दिया कि कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले किए गए अपराध के लिए एक कॉर्पोरेट देनदार का दायित्व कुछ परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगा। यह यदि धारा 14 (1) (ए) आपराधिक अपराधों को भी शामिल करती तो प्रावधान पूरी तरह से अनावश्यक होता, क्योंकि वे अधिस्थगन की अवधि के लिए समाप्त हो जाते। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि यह धारा इस तथ्य पर काफी प्रकाश डालती है कि आपराधिक अभियोजन आई. बी. सी. की धारा 14 (1) (ए) में निहित "कार्यवाही" अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर हैं।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. श्री अमन लेखी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, डब्ल्यू. पी. में भारत संघ की ओर से पेश हुए। (सीआरएल।) नहीं। 297/2020, है

लिखत अधिनियम यह तर्क देने के लिए कि उक्त अध्याय के एक सादे अध्ययन से पता चलेगा कि धारा 138 के तहत अपराध एक विशुद्ध रूप से आपराधिक अपराध है जिसके परिणामस्वरूप जेल की सजा या जुर्माना या दोनों का अधिरोपण होता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के तहत विशेष रूप से अधिनिर्णय योग्य दंड है। संहिता, 1860 केवल एक आपराधिक कार्यवाही में है, और इसलिए, आई. बी. सी. की धारा 14 द्वारा अनुध्यात "कार्यवाही" के अंतर्गत नहीं आती है। वह आगे कहता है

कि चूंकि आपराधिक कानून के तहत चक्रवृद्धि केवल शिकायतकर्ता/घायल पक्ष के कहने पर ही हो सकती है, इसलिए एक अधीनस्थ आपराधिक अदालत के पास "अदालत की संतुष्टि के लिए मुआवजे के भुगतान" पर धारा 138/141 के तहत कार्यवाही को समाप्त करने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है। वह. तब यह कहने के लिए कि चूंकि आई. बी. सी. की धारा 14 (1) (ए) में निहित "कार्यवाही" अभिव्यक्ति से पहले "वाद" अभिव्यक्ति होती है और उसके बाद अभिव्यक्ति होती है, एक समाज के नियम पर भरोसा किया गया।

" निष्पादन ", इसे दीवानी कार्यवाही के अनुरूप एक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए

सार्वजनिक गलतियों से निपटने वाली आपराधिक कार्यवाही के विपरीत कार्रवाई के निजी अधिकारों से निपटना। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, आई. बी. सी. की धारा 14 में प्रकट इरादे को आई. बी. सी. में धारा 32 ए की शुरूआत से मजबूत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि धारा 14 का इरादा आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत या निरंतरता को प्रतिबंधित करना था, तो विधायिका ने संशोधन के माध्यम से धारा 32 ए को लागू करने पर विचार नहीं किया होगा। वह आगे कहते हैं कि यदि धारा 14 में निहित "कार्यवाही" अभिव्यक्ति का अर्थ लगाया जाना था

आपराधिक कार्यवाही को शामिल करने के लिए, यह धारा 32 को पहला परंतुक प्रदान करेगा, जो एक निगम के खिलाफ अभियोजन की संस्था से संबंधित है।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान देनदार, और दूसरा परंतुक, जो निगमित देनदार के आचरण के लिए प्रभारी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन के लंबित होने का संकेत देता है। उन्होंने अनीता हाडा बनाम के फैसले पर भरोसा किया। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड, (2012) 5 एस. सी. सी. 661 ["अनीता हाडा"] उनके इस कथन को पुष्ट करने के लिए कि आपराधिक दायित्व निदेशकों/प्रभारी व्यक्तियों पर पड़ सकता है।

निगमित देनदार के आचरण के लिए जिम्मेदार और जिम्मेदार, यहां तक कि जहां निगमित देनदार के खिलाफ धारा के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है

14 या धारा 32 क। अंत में वह प्रस्तुत करते हैं कि आई. बी. सी. की धारा 81 और 101, "किसी भी ऋण" के संदर्भ में अधिस्थगन की बात करते हुए, उनके इस तर्क का भी समर्थन करती है कि आई. बी. सी. के तहत अधिस्थगन केवल निजी कानून के दायरे में दीवानी कार्यवाही पर लागू होता है, और यह कि धारा ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. और ओ. आर. एस. के बाद से।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

कार्यवाही ऋण की वसूली के लिए कार्यवाही नहीं है, वे

धारा 14 या 81 द्वारा निर्धारित अधिस्थगन प्रावधानों के अंतर्गत आता है।

1 .

आई. बी. सी. की धारा 14 का हस्तक्षेप

9. विद्वानों की सलाह सुनने के बाद, इस स्तर पर आई. बी. सी. की धारा 14 निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:

" 14. अधिस्थगन। (1) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण आदेश द्वारा सभी को प्रतिबंधित करने के लिए स्थगन की घोषणा करेगा। निम्नलिखित, अर्थात्

मुकदमों की स्थापना या लंबित मुकदमों की निरंतरता

(अ)

या किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कार्यवाही। अधिकार;

(बी) कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति या किसी भी कानूनी संपत्ति का हस्तांतरण, बोझ, अलगाव या निपटान करना।

उसमें सही या लाभकारी ब्याज;

((ग)

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54); मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली

((घ)

जहाँ ऐसी संपत्ति पर कब्जा है या

निगमित देनदार का अधिकार।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, यह है

एतद्द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मामले में कुछ भी निहित होने के बावजूद

उस समय लागू अन्य कानून, एक लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, द्वारा दिया गया कोटा, रियायत, मंजूरी या समान अनुदान या अधिकार

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय

नियामक या किसी अन्य कानून के तहत गठित कोई अन्य प्राधिकरण

तत्काल प्रभाव से इसे निलंबित या समाप्त नहीं किया जाएगा।

दिवाला के आधार पर, इस शर्त के अधीन कि

उपयोग या [2021] 14 एस. सी. आर. के लिए उत्पन्न होने वाले वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा, रियायत की निरंतरता,

स्थगन अवधि के दौरान मंजूरी या इसी तरह का अनुदान या अधिकार।

(2) निगम को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति

या अधिस्थगन अवधि के दौरान बाधित।
(2 - ए) जहां अंतरिम समाधान पेशेवर या संकल्प

पेशेवर, जैसा भी मामला हो, कॉर्पोरेट देनदार के मूल्य की रक्षा और संरक्षण के लिए वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं और ऐसे कॉर्पोरेट देनदार के संचालन का प्रबंधन करते हैं।

ऐसी परिस्थितियाँ जो विनिर्दिष्ट की जाएं।
(3) उप-धारा (1) के प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगे -

(अ)

जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक या किसी अन्य प्राधिकरण के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है;
एक निगमित को गारंटी के अनुबंध में एक जमानत

(ख)

ऋणी।

(4) अधिस्थगन का आदेश की तारीख से प्रभावी होगा निगमित दिवाला समाधान के पूरा होने तक ऐसा आदेश

प्रक्रिया:

बशर्ते कि जहां किसी भी समय कॉर्पोरेट दिवालियापन के दौरान

समाधान प्रक्रिया अवधि, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण मंजूरी देता है धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना या पारित

धारा 33 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन के लिए आदेश,

अधिस्थगन की तारीख से प्रभाव समाप्त हो जाएगा

अनुमोदन या परिसमापन आदेश, जैसा भी मामला हो।

10. धारा 14 (1) पर एक सरसरी नज़र डालने से यह स्पष्ट होता है कि उप-धारा (2) और (3) में निहित अपवादों के अधीन, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अनिवार्य रूप से,

आदेश, खंड (ए) से (डी) में निम्नलिखित को प्रतिबंधित करने के लिए अधिस्थगन घोषित करें। महत्वपूर्ण रूप से, उप-धारा (4) के तहत, स्थगन का यह आदेश अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहता है, लेकिन केवल पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. आदेश की तारीख से प्रभावी होता है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

निगमित दिवालियापन पूरा होने तक अधिस्थगन की घोषणा करना

समाधान प्रक्रिया जो समयबद्ध हो, या तो निर्णय करने वाले प्राधिकरण के एक समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश में या परिसमापन में समाप्त हो।

11. धारा 14 (1) के दो अपवाद उप में निहित हैं।

धारा 14 की धारा (2) और (3)। उप-धारा (2) के तहत इस अवधि के दौरान निगमित देनदार को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति

इस अवधि के दौरान एक चालू चिंता के रूप में कार्य करें। में बनाया गया अपवाद उप-धारा (3) (ए) महत्वपूर्ण है क्योंकि यह "लेन-देन" को संदर्भित करता है जिसे वित्त के विशेषज्ञों के परामर्श से केंद्र

सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। "वित्तीय क्षेत्र नियामक" अभिव्यक्ति को धारा 3 (18) द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" 3. परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

XXX XXX XXX

(18) " वित्तीय क्षेत्र के नियामक का अर्थ है एक प्राधिकरण या निकाय।

वित्तीय क्षेत्र की सेवाओं या लेन-देन को विनियमित करने के लिए कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के तहत गठित और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण और ऐसे अन्य शामिल हैं। केंद्र द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले नियामक प्राधिकरण

सरकार;

XXX XXX "

12. इस प्रकार, केंद्र सरकार, विशेषज्ञों के परामर्श से,

जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है। यह कुछ महत्व का है क्योंकि धारा 14 (1) (ए) यह इंगित नहीं करती है कि इसमें निहित कार्यवाहियां किस पर लागू होती हैं। उप-धारा 3 (ए) यह उत्तर प्रदान करती है कि ऐसी "कार्यवाही" निगमित देनदार द्वारा लगाए गए "लेन-देन" से संबंधित है। अधिस्थगन। धारा 3 (33) "लेन-देन" को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" 3. परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो,

XXX XXX

निगमित देनदार से या उसे परिसंपत्तियों, या निधियों, वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के लिए; XXX XXX "

13. यह परिभाषा समावेशी होने के नाते प्रकृति में बहुत व्यापक है और इसमें ऋण या देयता का प्रमाण देने वाला लेनदेन शामिल होगा। यह धारा 96 (3) और धारा 101 (3) द्वारा स्पष्ट किया गया है जिसमें धारा 14 (3) (ए) के समान भाषा है, ये धाराएं व्यक्ति या फर्म के 'ऋण' की बात करती हैं। समान रूप से महत्वपूर्ण धारा 14 (3) (बी) है, जिसके द्वारा एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बकाया ऋण की गारंटी के अनुबंध में एक जमानत अधिस्थगन का लाभ नहीं ले सकता है जिसके परिणामस्वरूप एक लेनदार एक

गारंटी लागू कर सकता है, हालांकि अधिस्थगन की अवधि के दौरान मूल ऋण को लागू करने में सक्षम नहीं है-भारतीय स्टेट बैंक बनाम देखें। वी. रामकृष्णन, (2018) 17 एससीसी 394 (पैराग्राफ 20 पर) ["वी।

रामकृष्णन "]।

14. अब हम धारा 14 (1) (ए) की भाषा पर आते हैं। यह ध्यान दिया जाएगा कि "या" अभिव्यक्ति खंड के पहले भाग में दो बार आती है।

14 (1) (क)-सबसे पहले, "सूट की संस्था" और अभिव्यक्तियों के बीच

" लंबित मुकदमों की निरंतरता और दूसरा, "लंबित मुकदमों की निरंतरता" और "निगम के खिलाफ कार्यवाही" अभिव्यक्तियों के बीच

ऋणी। " प्रावधान का विस्तार वास्तव में बहुत व्यापक है क्योंकि इसमें मुकदमों की स्थापना, निरंतरता, निर्णय और निष्पादन शामिल है और

कार्यवाही। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक मध्यस्थता का पुरस्कार

पैनल या किसी प्राधिकरण का आदेश भी शामिल है। यह मामला होने के कारण, यह अभिनिर्धारित करना असंगत होगा कि "मुकदमों की संस्था या लंबित मुकदमों की निरंतरता" अभिव्यक्ति को असंगत रूप से पढ़ा जाना चाहिए अन्यथा, मध्यस्थता कार्यवाही और अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही की संस्था को "मुकदमों" की अभिव्यक्ति संस्था के भीतर शामिल नहीं किया जा सकता है जो एक वादी द्वारा स्थापित दीवानी न्यायालयों में कार्यवाही हैं (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 26 देखें)। इसलिए, यह स्पष्ट है कि "मुकदमों की स्थापना या लंबित मुकदमों की निरंतरता" अभिव्यक्ति को एक श्रेणी के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, और "या" कार्यवाही से पहले "शब्द से यह स्पष्ट हो जाएगा कि" मुकदमों की स्थापना या लंबित मुकदमों की निरंतरता "के खिलाफ कार्यवाही

निगमित देनदार एक अलग श्रेणी होगी। "कार्यवाही" अभिव्यक्ति की चौड़ाई पर जो बात प्रकाश डालती है, वह है "कोई भी" अभिव्यक्ति।

निर्णय, डिक्री या आदेश "और" किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण "। पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. संहिता के तहत आपराधिक कार्यवाही।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

दंड प्रक्रिया, 1973 ["दंड प्रक्रिया संहिता"] का संचालन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में उल्लिखित अदालतों के समक्ष किया जाता है, यह स्पष्ट है कि धारा 138 की कार्यवाही

मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाना निश्चित रूप से एक लेन-देन के संबंध में कानून की अदालत में एक कार्यवाही होगी जो कॉर्पोरेट देनदार द्वारा देय ऋण से संबंधित है। आइए अब देखते हैं कि क्या अभिव्यक्ति "कार्यवाही" को व्याख्या के नियमों जैसे कि इजस्डेम जेनरिस और के उपयोग से सिविल कार्यवाही के अर्थ में काटा जा सकता है।

हम समाज के सदस्य नहीं हैं।

समाज का एक सामाजिक नियम लागू करना

हस्तक्षेप

15. श्री अमन लेखी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ने असम राज्य बनाम के फैसले पर भरोसा किया। रंगा मुहम्मद, (1967) 1 एस. सी. आर. 454। न्यायालय "नियुक्ति" अभिव्यक्ति के अर्थ से संबंधित था जो संविधान के अनुच्छेद 233 में आता है, जो किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों के लिए है। इस न्यायालय ने गैर-सामाजिक समाज के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि "नियुक्ति" शब्द जिला न्यायाधीशों की "नियुक्ति" और "पदोन्नति" के बीच आता है, यह स्पष्ट है कि इसका एक संकीर्ण अर्थ निर्धारित किया जाना चाहिए, अर्थात् किसी ऐसे पद पर किसी को नियुक्त करना जिसमें "स्थानांतरण" शामिल न हो। "नियुक्ति" और "पदोन्नति" के बीच "नियुक्ति" शब्द की स्थिति के अलावा, जिससे यह अपना रंग लेता है, अन्यथा भी, संविधान के अनुच्छेद 234 और 235 से यह स्पष्ट हो जाएगा कि चूंकि जिला न्यायाधीशों का "स्थानांतरण" उच्च न्यायालय के पास है और राज्य सरकार के पास नहीं है, इसलिए स्पष्ट रूप से, "नियुक्ति" शब्द का उपयोग इसके व्यापक रूप में नहीं किया जा सकता है। अर्थ-पृष्ठ 460 और 461 देखें। यह निर्णय दो संकीर्ण शब्दों के बीच एक व्यापक शब्द की स्थिति और इससे भी महत्वपूर्ण, संविधान में अन्य संबद्ध प्रावधानों के अध्ययन को देखते हुए, एक समाज के शासन का एक प्रारंभिक अनुप्रयोग है।

16. जगदीश चंदर गुप्ता बनाम। कजारिया ट्रेडर्स (इंडिया) लिमिटेड, (1964) 8 एस. सी. आर. 50, इस न्यायालय की पाँच-न्यायाधीश पीठ को यह निर्णय लेना था कि क्या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69 (3) में होने वाली "या अन्य कार्यवाही" में मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 8 (2) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की कार्यवाही शामिल होगी। इस न्यायालय ने कहा:

" हालाँकि, इस बात पर विचार करना बाकी है कि क्या इस तथ्य के कारण कि "अन्य कार्यवाही" शब्द इन शब्दों के विपरीत हैं। " उनके अर्थ में किसी भी सीमा को निर्धारित करने का दावा [2021] 14 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचार किया। यह मामले के इस पहलू पर है कि विद्वान

न्यायाधीशों में गंभीरता से मतभेद है। जब किसी कानून में विशेष वर्गों का नाम से उल्लेख किया जाता है और उसके बाद सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो सामान्य शब्दों का कभी-कभी एजुस्डेम जेनरिस अर्थात उसी श्रेणी या जीनस तक सीमित किया जाता है जिसे विशेष शब्दों द्वारा समझा जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह नियम हमेशा लागू होना चाहिए। नियम लागू करने से पहले विशेष शब्दों और सामान्य शब्दों की प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए। ऐलन वी. इमर्सन [(1944) आई. के. बी. 362] जे. एस्क्विथ ने विशेष शब्दों के दिलचस्प उदाहरण दिए जिनके बाद सामान्य शब्द आते हैं जहां इजस्डेम जेनरिस का सिद्धांत लागू हो सकता है या नहीं भी। हम सोचते हैं कि

निम्नलिखित चित्रण किसी भी कठिनाई को स्पष्ट करेगा। "किताबें, पर्चे, समाचार पत्र और अन्य दस्तावेज" अभिव्यक्ति में निजी

पत्रों को शामिल नहीं किया जा सकता है यदि "अन्य दस्तावेजों" की व्याख्या पहले की बातों के साथ की जाती है। लेकिन एक प्रावधान में "समाचार पत्र या अन्य दस्तावेज जो दुश्मन को रहस्य देने की संभावना रखते हैं", "अन्य दस्तावेज" शब्दों में किसी भी प्रकार का दस्तावेज शामिल होगा और उनका रंग "समाचार पत्र" से नहीं लिया जाएगा। इसलिए, यह इस प्रकार है कि जब विशेष वर्गों को दिखाने वाले शब्दों के बाद सामान्य शब्द आते हैं तो हमेशा समाज की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य शब्दों की इस तरह से व्याख्या करने से पहले एक जीनस गठित या एक ऐसी श्रेणी का खुलासा होना चाहिए जिसके संदर्भ में सामान्य शब्दों को प्रतिबंधित किया जा सकता है और किया जा सकता है। यहाँ अभिव्यक्ति "सेट-ऑफ का दावा" एक श्रेणी या एक जीनस का खुलासा नहीं करता है। सेट-ऑफ दो प्रकार के होते हैं-कानूनी और न्यायसंगत-और दोनों पहले से ही हैं।

समझा जाता है और "किसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाले" किसी भी अधिकार के बारे में सोचना मुश्किल है जो रद्द करने के दावे के समान प्रकृति का है और जिसे प्रतिवादी द्वारा मुकदमे में उठाया जा सकता है। श्री बी. सी. मिश्रा, जिन्हें हमने उदाहरण देने के लिए आमंत्रित किया था, ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनके लिए समर्पण के दावे की प्रकृति की किसी भी कार्यवाही के बारे में सोचना असंभव था, सिवाय इसके कि समर्पण के दावे को दूसरे मुकदमे में उठाया जा सके जैसा कि दूसरी उप-धारा में वर्णित है। पहले उपखंड के संबंध में वे केवल दो उदाहरण दे सके। वे हैं (i) ए माल के गिरवीदार द्वारा दावा- एक अपंजीकृत फर्म के साथ जिसका माल संलग्न है और जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 58 के तहत आपत्ति करनी है और (ii) ऋण साबित करना है।

एक परिसमापक के सामने। उत्तरार्द्ध को एक बचाव के रूप में नहीं उठाया जाता है और यह उसी वंश से संबंधित नहीं हो सकता है जो "सेट-ऑफ के दावे" के रूप में है।

पूर्व ओहनराज और ओआरएस कर सकते हैं। वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

फिट होने के लिए बनाया जाए लेकिन कुछ काफी कल्पना के विस्तार से। हमारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि विधायिका इसके बारे में सोच रही थी

ऐसी दूरगामी बातें जब इसमें "अन्य कार्यवाही" की बात की गई सामान्य न्याय को रद्द करने के दावे के साथ स्वीकार करें। "

(पृष्ठों पर 56-57)

" हमारे निर्णय में, उप में "अन्य कार्यवाही" शब्द हैं।

धारा (3) को उनके पूर्ण अर्थ को प्राप्त करना चाहिए

शब्द "सेट-ऑफ का दावा"। बाद के शब्दों का न तो कोई इरादा है और न ही "अन्य" शब्दों की व्यापकता को कम करने के लिए समझा जा सकता है

आगे बढ़ रहा है "। उप-अनुभाग आवेदन के लिए प्रदान करता है उप-धाराओं (1) और (2) के प्रावधानों को रद्द करने के दावों के लिए और

उन अधिकारों को छोड़कर अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए उप-धारा (3) और उप-धारा में अपवाद के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लिखित

खंड (4) "।

(पृष्ठ 60 पर)

17. इसी तरह, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। मोहन

(1967) 3 एस. सी. आर. 377, इस न्यायालय को यह तय करना था कि क्या अभिव्यक्ति

भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में प्राधिकारों ने अपना रंग ले लिया

उक्त अनुच्छेद में उपयोग की गई पूर्ववर्ती अभिव्यक्तियाँ,

केवल वे अधिकारी जो सरकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा जोरदार रूप से खारिज कर दिया गया था,

जी:

" हमारी राय में, उच्च न्यायालय आवेदन करने में त्रुटि में पड़ गए

अभिव्यक्ति की व्याख्या करते समय एजुस्डेम जेनरिस का सिद्धांत

" संविधान के अनुच्छेद 12 में अन्य प्राधिकरण, जैसा कि वे

व्याख्या के मूल सिद्धांत की अनदेखी की कि, आह्वान करने के लिए

इजस्डेम जेनरिस नियम का अनुप्रयोग, एक अलग जीनस होना चाहिए या पहले से नामित निकायों के माध्यम से चलने वाली श्रेणी। क्रेइज़ ऑन,

संविधि कानून इस सिद्धांत का सारांश इस प्रकार देता है:

" इजसडेम जेनरिस नियम को सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए।

और बहुत दूर नहीं धकेला गया। आवेदन का आह्वान करने के लिए

सामान्य नियम के अनुसार एक अलग वंश या श्रेणी होनी चाहिए।

व्यापक रूप से भिन्न चरित्र लेकिन कुछ ऐसा जिसे कहा जा सकता है एक वर्ग या प्रकार की वस्तुएँ। जहाँ इसकी कमी है, नियम [2021] 14 एस. सी. आर. नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लागू होता है, लेकिन एक प्रजाति का उल्लेख एक का गठन नहीं करता है

जीनस [कानून पर क्रेज़, 6 वीं संस्करण, पृष्ठ 181] "।

मैक्सवेल ने 'क़ानूनों की व्याख्या' पर अपनी पुस्तक में

इस सिद्धांत को समझाते हुए कहा: " लेकिन सामान्य शब्द जो अपने आप में एक ही प्रकृति के विशेष और विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करता है, उनसे अपना अर्थ लेता है, और उन शब्दों के समान जीनस तक ही सीमित माना जाता है। जब तक कोई वंश या श्रेणी नहीं है, तब तक एजुस्डेम जेनरिस सिद्धांत [क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल, 11 वीं संस्करण पीपी के अनुप्रयोग के लिए कोई जगह नहीं है। 326 , 327] " . यूनाइटेड टाउन्स इलेक्ट्रिक कं. लिमिटेड बनाम न्यूफाउंडलैंड के लिए अटॉर्नी-जनरल [(1939) I ए. ई. आर. 423], प्रिवी काउंसिल ने माना कि, उनकी राय में, जीनस का कोई उल्लेख नहीं होने पर इजस्डेम जेनरिस के सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उदाहरण के लिए एक ही प्रजाति का उल्लेख, जल दर-एक जीनस का गठन नहीं करती है। संविधान के अनुच्छेद 12 में, विशेष रूप से नामित निकाय हैं -

संघ और राज्यों की कार्यकारी सरकारें, संघ और राज्यों के विधानमंडलों और स्थानीय प्राधिकरणों। हम इन नामित निकायों के माध्यम से चलने वाले किसी भी सामान्य जीनस को खोजने में असमर्थ हैं, और न ही इन निकायों को किसी भी तर्कसंगत आधार पर एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है। एजुस्डेम जेनरिस का सिद्धांत

इसलिए, इस अनुच्छेद में "अन्य प्राधिकारी" अभिव्यक्ति की व्याख्या पर लागू नहीं किया जा सकता है।

वेबस्टर्स में दिए गए "प्राधिकरण" शब्द का अर्थ

थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, जो लागू हो सकता है, एक सार्वजनिक प्रशासनिक एजेंसी या निगम है जिसके पास अर्ध-सरकारी शक्तियां हैं और राजस्व का प्रशासन करने के लिए अधिकृत है।

सार्वजनिक उद्यम का निर्माण। "प्राधिकरण" शब्द का यह शब्दकोश स्पष्ट रूप से इतना व्यापक है कि इसमें एक क़ानून द्वारा बनाए गए सभी निकाय शामिल हैं जिन पर सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यों को करने के लिए शक्तियां प्रदान की जाती हैं। अभिव्यक्ति "अन्य"

अधिकारी "हर प्राधिकरण को इसके भीतर शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है

किसी कानून द्वारा बनाया गया और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है; और हम इस अर्थ को उस संदर्भ में संकुचित करने का कोई कारण नहीं देखते हैं जिसमें संविधान के अनुच्छेद 12 में "अन्य प्राधिकरण" शब्दों का उपयोग किया गया है।

(पृष्ठों पर 384-385)

ओ. एच. एन. आर. जे. और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]18. सीबीआई बनाम। ब्रजभूषण प्रसाद, (2001) 9 एस. सी. सी. 432, इस टी. को बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 89 का अर्थ किसी अन्य समाज के संदर्भ में समझने के लिए कहा गया था। इसे अस्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने

" 26. हमने उपरोक्त विभिन्न अर्थों को इंगित किया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 89 में आने वाले उक्त शब्द की व्याख्या के लिए उनमें से किसे चुना जाना है। एक समाज के सिद्धांत (एक शब्द का अर्थ उसके साथ या संबद्ध शब्दों से जाना जाना चाहिए) की बहुत प्रासंगिकता है।

एक वैधानिक प्रावधान में शब्दों के महत्व को समझने में। बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम द्वारा कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा लाभ के साथ उक्त सिद्धांत का सहारा लिया गया है। ए. राजप्पा [(1978) 2 एस. सी. सी. 212: 1978 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 215], रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम। सीसीई [(1990) 3 एससीसी 447], ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड बनाम। सी. सी. ई. [1993 सप (3) एस. सी. सी. 716], के. भागीरथी जी. शेनॉय बनाम। के. पी. बल्लकुराया [(1999) 4 एससीसी

135] और लोकमत न्यूजपेपर्स (पी) लिमिटेड बनाम। शंकरप्रसाद [(1999) 6 एस. सी. सी. 275: 1999 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1090]।

27. यदि ऐसा है, तो हमें आसपास के संदर्भ से "विशेष रूप से क्षेत्र से संबंधित कार्यवाही" शब्दों के निहितार्थ का आकलन करना होगा। अधिनियम की धारा 89 में कहा गया है कि इससे पहले लंबित कार्यवाही "न्यायालय (उच्च न्यायालय के अलावा), न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी" के एक दिन पहले नियुक्त होने पर झारखंड राज्य के "संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी" को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस धारा में "झारखंड राज्य में संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी" शब्दों को इस प्रकार परिभाषित करके एक बहुत ही उपयोगी सूचकांक प्रदान किया गया है: [धारा 89 (3) (बी) (आई)]

" न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी जिसमें, या जिसके समक्ष, कार्यवाही निर्धारित की जाती यदि इसे स्थापित किया गया होता।

नियत दिन के बाद; "

28. "यदि इसे नियत दिन के बाद स्थापित किया जाता तो यह निर्धारित होता" शब्दों को देखें। इस सवाल पर विचार करते हुए कि इन अपीलों में शामिल 36 मामलों से संबंधित कार्यवाही कहाँ रखी जाती, अगर उन्हें नियत दिन के बाद शुरू किया जाता, तो हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शब्द का अर्थ क्या है।

" विशेष रूप से "को" काफी हद तक सभी या बड़े हिस्से के लिए या मुख्य रूप से "के रूप में समझा जाना चाहिए।

29. हम अधिनियम की धारा 89 के मुख्य उद्देश्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह नहीं भूलना चाहिए कि आपराधिक मामलों का हस्तांतरण धारा द्वारा कवर किया जाने वाला एकमात्र विषय नहीं है। यह प्रावधान विभाजन के बाद सभी कार्यवाहियों से संबंधित फाइलों या अभिलेखों को आवंटित करने का प्रयास करता है, यदि उन्हें निर्धारित दिन के बाद स्थापित किया जाना था। कोई भी।

व्याख्या वह होनी चाहिए जो उस उद्देश्य को प्राप्त करे न कि वह जो भ्रम या उलझन पैदा कर सके या यहां तक कि

संबंधित राज्यों के अधिकारियों के लिए विस्मय। दूसरे शब्दों में, व्याख्या व्यावहारिकता के साथ की जानी चाहिए, न कि पांडित्यपूर्ण रूप से या शिथिल तरीके से। आपराधिक मामलों के उद्देश्य के लिए, हमें स्थानांतरित किए जाने वाले मामले के विषय-वस्तु को ध्यान में रखना चाहिए। इस पर विचार करते समय, हमें आगे इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सभी 36 मामले मुख्य रूप से पी. सी.

अधिनियम के तहत अपराधों के लिए हैं और इसलिए वे सभी विशेष न्यायाधीशों के न्यायालयों के समक्ष विचारण योग्य हैं। अतः वर्तमान प्रश्न का निर्धारण किया जा सकता है।

पी. सी. अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में।

19. गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2005) 2 एस. सी. सी. 515, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ को सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 62 में "विलासिता" अभिव्यक्ति के अर्थ का अर्थ निकालना पड़ा।

भारत के संविधान के लिए। इस संदर्भ में, न्यायालय द्वारा गैर-कानूनी समाज का नियम लागू किया गया था, न्यायालय ने यह भी बताया कि कैसे एक अदालत को सिद्धांत को आंख मूंदकर लागू करने से पहले सावधान रहना चाहिए, जो इस प्रकार है:

" 77. वर्तमान संदर्भ में "विलासिता" के सामान्य अर्थ को समझाया या स्पष्ट किया गया है और इसे मनोरंजन, मनोरंजन, जुआ और सट्टेबाजी जैसे कम सामान्य शब्दों के समान अर्थ में समझा जाना चाहिए, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। व्याख्या के इस सिद्धांत को "नोस्किटुर ए सोसाइटिस" के रूप में जाना जाता है।

रेनबो स्टील्स लिमिटेड बनाम में अनुमोदन प्राप्त किया। सीएसटी [(1981) 2 एससीसी 141: 1981 एस. सी. सी. (कर) 90], पी. 145 हालाँकि बॉम्बे राज्य बनाम में इसके अंधाधुंध अनुप्रयोग पर संदेह है। अस्पताल मजदूर सभा [(1960) 2 एससीआर 866: ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 610] बाद के मामले में इस न्यायालय को औद्योगिक की धारा 2 (जे) का अर्थ निकालने की आवश्यकता थी।

विवाद अधिनियम जिसमें लिखा है:

" 2 (जे) 'उद्योग' से कोई भी व्यवसाय, व्यापार, उपक्रम, निर्माण या नियोक्ताओं को बुलाना अभिप्रेत है और इसमें कोई भी आह्वान शामिल है -

सेवा, रोजगार, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या

कामगारों की नियुक्ति "। ओ. एच. एन. आर. जे. और ओ. आर. एस.

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

78. यह पाया गया कि परिभाषा में शब्द बहुत थे व्यापक और निश्चित आयात। यह सुझाव दिया गया था कि इन शब्दों को

सम्मिलित वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए सीमित अर्थों में पढ़ा जाए

"एक समाज" के सिद्धांत पर। यह था सुझाव

निम्नलिखित भाषा में अस्वीकृत: (अस्पताल मजदूर सभा मामला [(1960) 2 एस. सी. आर. 866: ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 610], एस. सी. आर. पी. 874)

" यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक समाज केवल एक समाज है।

निर्माण का नियम और यह उन मामलों में प्रबल नहीं हो सकता है जहां यह है

स्पष्ट करें कि व्यापक शब्दों का उपयोग जानबूझकर क्रम में किया गया है

परिभाषित शब्द का दायरा उसी के अनुरूप बनाना

व्यापक। यह केवल वहाँ है जहाँ विधायिका का इरादा है

संकीर्ण शब्दों के साथ व्यापक शब्दों को जोड़ना

महत्व संदिग्ध है, या अन्यथा स्पष्ट नहीं है कि

निर्माण के वर्तमान नियम को उपयोगी रूप से लागू किया जा सकता है। यह हो सकता है।

व्यापक शब्दों का उपयोग करना स्पष्ट और अस्पष्टता से मुक्त है, नियम विचाराधीन निर्माण को सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। (एयर

पी। 614 , पैरा 9)

(मूल में जोर)

79. हम इस परिच्छेद को आवेदन को छोड़कर नहीं पढ़ते हैं

वर्तमान मामले के लिए एक समाज का सिद्धांत क्योंकि यह है

प्राधिकरण के संदर्भ में पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया गया है कि

प्रविष्टि 62 में "विलासिता" शब्द का अर्थ संदिग्ध है और

XXX XXX XXX 81. हम इस बात से अवगत हैं कि एक समाज का सिद्धांत एक हो सकता है

विश्वासघाती जब तक कि वे "समाज" जिनसे "समाज" संबंधित न हों,

ज्ञात हैं। जोखिम तब हो सकता है जब कोई अन्य कारक न हो। "सोसाइटास" का सुझाव देने के लिए निकटता को छोड़कर। लेकिन जहाँ है,

यहाँ के रूप में, व्यापक संकेत का एक शब्द जो अस्पष्टता से मुक्त नहीं है,

"सम्मिलित" जैसे शब्दों को जोड़ना पर्याप्त है।

समाजों का सूचक। जैसा कि हमने कहा है, "शामिल" शब्द

वर्तमान संदर्भ में एक समानता या साझा विशेषताओं को इंगित करता है। या शामिल शब्द के साथ शामिल शब्द की विशेषताएँ।

83. इसलिए व्याख्या के सामान्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर, हम यह मानेंगे कि सूची II की प्रविष्टि 62 में "विलासिता" शब्द का अर्थ है उस चीज़ का आनंद लेना या उसमें लिप्त होना जो महंगी है या जिसे आम तौर पर समाज के एक औसत सदस्य की आवश्यक आवश्यकताओं से परे माना जाता है और

विलासिता की वस्तुएँ नहीं।"

20. विक्रम सिंह बनाम। भारत संघ, (2015) 9 एस. सी. सी. 502, इस न्यायालय को "सरकार या कोई अन्य" अभिव्यक्ति का अर्थ निकालने के लिए कहा गया था।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 364-ए में सामान्य न्याय के संदर्भ में निहित व्यक्ति। इस न्यायालय ने विवाद को पलटते हुए आगे कहा:

" 26. हम मामले के इस पहलू से अलग होने से पहले इस तर्क पर भी विचार कर सकते हैं कि आई. पी. सी. की धारा 364-ए में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "किसी अन्य व्यक्ति" को उक्त शब्दों से पहले की अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। तर्क को केवल अस्वीकार करने के लिए नोटिस की आवश्यकता होती है। इजस्देम जेनरिस का शासन निर्माण का नियम है न कि कानून का नियम। न्यायालयों को वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय नियम को लागू करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह कहने के बाद कि यह नियम उन स्थितियों में लागू होता है जहां एक विशिष्ट जीनस वर्ग या श्रेणी बनाने वाले विशिष्ट शब्दों के बाद सामान्य शब्द होते हैं। इसलिए, नियम के किसी भी फोरेंसिक अनुप्रयोग का पहला चरण यह पता लगाने के लिए होना चाहिए कि क्या पूर्ववर्ती शब्द एक जीनस वर्ग या श्रेणी का गठन करते हैं ताकि सामान्य शब्द जो अनुसरण करें। उन्हें पहले के शब्दों के समान रंग दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां सामान्य शब्दों से पहले के शब्दों के उपयोग में जीनस को खोजना संभव नहीं है, एजुस्डेम जेनरिस का नियम

कोई आवेदन नहीं होगा।

27. सिद्देश्वरी कॉटन मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ [(1989) 2 एस. सी. सी. 458: 1989 एस. सी. सी. (कर) 297] एम. एन. वेंकटचलैया, जे., उनके प्रभु के रूप में, अंतर्निहित तर्क की जांच की गई

इजसडेम जेनरिस निर्माण के एक नियम के रूप में और देखा गया: (एस. सी. सी पी.

463 , पैरा 14)

" 14. वैधानिक निर्माण के लिए इस दृष्टिकोण में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि बाद के सामान्य शब्दों का उद्देश्य केवल पहले उल्लिखित प्रकार की वस्तुओं में कुछ आकस्मिक चूक से बचाव करना था और इसका उद्देश्य पूरी तरह से अलग प्रकार की वस्तुओं तक विस्तार करना नहीं था। यह एक

अनुमान और संचालन तब तक होता है जब तक कि कुछ विपरीत OHANRAJ & ORS न हो।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

अनावश्यक; हालाँकि, यदि विशिष्ट शब्द समाप्त नहीं होते हैं वर्ग, तब नियम को अपनाने का पक्ष लिया जा सकता है क्योंकि इसकी अस्वीकृति विशिष्ट शब्दों को अनावश्यक बना देगी। [देखिए: ई. ए. ड्राइजर पी. द्वारा कानूनों का निर्माण। 95 फ्रांसिस बेनिओन ने अपने सांविधिक निर्माण, पीपी में उद्धृत किया। 829 और 830।] "

28. फ्रांसिस बेनिओन द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए

मैग्नहिल्ड बनाम में उनका सांविधिक निर्माण और अंग्रेजी निर्णय। मैकइंटायर ब्रदर्स। & कं. [(1920) 3 के. बी. 321] और जो इस न्यायालय द्वारा त्रिभुवन प्रकाश नैयर बनाम में प्रस्तुत किए गए थे। संघ का

भारत [(1969) 3 एस. सी. सी. 99], यू. पी. एस. ई. बी बनाम। हरि शंकर जैन [(1978) 4 एससीसी 16: 1978 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 481], हिज लॉर्डशिप ने निम्नलिखित शब्दों में कानूनी सिद्धांत का सारांश दिया: (सिद्धेश्वरी कॉटन मिल्स

मामला [(1989) 2 एससीसी 458: 1989 एससीसी (कर) 297], एससीसी पी। 464 ,

पैरा 19)

" 19. वैधानिक प्रावधान में पूर्ववर्ती शब्द जो,

निर्माण, नियंत्रण और सीमा के इस विशेष नियम के तहत बाद के शब्दों के अर्थ को एक जीनस या एक परिवार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जो कई प्रजातियों या सदस्यों को स्वीकार करता है। यदि केवल एक ही प्रजाति है तो यह एक जीनस का विचार प्रदान नहीं कर सकती है।

" सरकार "जो एक प्रजाति का गठन नहीं करती है, भले ही वह एक प्रजाति हो। हाथ में, स्थिति कुछ हद तक समान है कानून पर क्रेज़ (7 वीं संस्करण) में क्या कहा गया है

पीपी। 181-82 निम्नलिखित अंश में -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ..... कानून की आधुनिक प्रवृत्ति, यह कहा गया था [एस्क्विथ, जे. द्वारा एलन बनाम। इमर्सन (1944 KB 362: (1944) 1 सभी ई. आर. 344)], 'इजस्डेम जेनरिस के नियम के अनुप्रयोग को कम करने के लिए' है। एजुस्डेम जेनरिस नियम के अनुप्रयोग को लागू करने के लिए एक अलग जीनस या श्रेणी होनी चाहिए। विशिष्ट शब्द व्यापक रूप से भिन्न चरित्र की विभिन्न वस्तुओं पर लागू नहीं होने चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा जिसे वर्ग या प्रकार की वस्तु कहा जा सकता है। जहाँ इसकी कमी है, नियम लागू नहीं हो सकता है (हुड-बारस बनाम। आई. आर. सी. [(1946) 2 ऑल ई. आर. 768 (सी. ए.)], लेकिन एक प्रजाति का उल्लेख एक जीनस का गठन नहीं करता है। (यूनाइटेड टाउन्स इलेक्ट्रिक कं. लिमिटेड बनाम में लॉर्ड थैंकर्टन के अनुसार न्यूफाउंडलैंड के लिए अटॉर्नी जनरल

[(1939) 1 सभी ईआर 423 (पीसी)]।) ' जब तक आपको कोई श्रेणी नहीं मिल जाती, फारवेल एल. जे. ने कहा। (टिलमैन्स एंड कं. वी. एस. एस. नट्सफोर्ड लिमिटेड

[(1908) 2 के. बी. 385 (सी. ए.)), 'इजस्डेम जेनरिस सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए कोई जगह नहीं है', और जहां शब्द अपने अर्थ में स्पष्ट रूप से व्यापक हैं, उन्हें अन्य शब्दों के साथ उनके जुड़ाव के आधार पर योग्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जहां एक स्थानीय अधिनियम की आवश्यकता थी कि 'थिएटर और अन्य सार्वजनिक स्थान' 'मनोरंजन' को लाइसेंस दिया जाना चाहिए, सवाल यह उठा कि क्या एक 'मनोरंजन मेला' जिसके लिए प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया था, अधिनियम के भीतर था। ऐसा माना जाता था, और यह कि इजस्डेम जेनरिस नियम 'अन्य स्थानों' शब्दों को सिनेमाघरों के समान स्थानों तक सीमित करने के लिए लागू नहीं होता था। इसलिए 'या किसी भी विवरण की चीजों' जैसे शब्दों का सम्मिलन नियम को बाहर कर देगा। (महान्यायवादी v. लीसेस्टर कॉर्प। [(1910) 2 अध्याय 359: (1908-10) सभी ई. आर. प्रतिनिधि विस्तार 1002]) राष्ट्रीय संघ में। स्थानीय सरकार की। अधिकारी बनाम। बोल्टन कॉर्प. [1943 एसी 166: (1942) 2 सभी ई. आर. 425 (एच. एल.)] लॉर्ड साइमन एल. सी. ने 'कामगार' की परिभाषा को किसी भी व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया है जिसने किसी के साथ अनुबंध के तहत काम किया है।

नियोक्ता चाहे अनुबंध शारीरिक श्रम, लिपिकीय कार्य 'या अन्यथा' के माध्यम से हो और कहाः "या अन्यथा" शब्दों का उपयोग एजुस्डेम जेनरिस सिद्धांत को लागू नहीं करता हैः "शारीरिक श्रम" और "लिपिकीय कार्य" के लिए एक ही सीमित वंश से संबंधित नहीं हैं और इसी मामले में लॉर्ड राइट ने कहाः " द. इजसडेम जेनरिस नियम अक्सर उपयोगी या सुविधाजनक होता है, लेकिन यह केवल निर्माण का नियम है, न कि कानून का नियम। वर्तमान मामले में यह पूरी तरह से अनुपयुक्त है। यह एक "जीनस" का अनुमान लगाता है लेकिन यहाँ एकमात्र "जीनस" एक नियोक्ता के साथ एक अनुबंध है।

(जोर दिया गया)

ओ. एच. एन. आर. जे. और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

30. उपरोक्त परिच्छेद को इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था

ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सीमा शुल्क कलेक्टर [(2002) 4 एस. सी. सी. 297] ने यह अभिनिर्धारित किया कि उस मामले से संबंधित अध्याय 84 का टिप्पणी 1 (ए) स्पष्ट और स्पष्ट था। इसमें किसी वर्ग, श्रेणी या वंश की बात नहीं की गई थी जिसके बाद सामान्य शब्द एजुस्देम का नियम बनाते हैं।

सामान्य लागू नहीं होता है "।

XXX XXX XXX

" 32. इसका मतलब यह होगा कि आई. पी. सी. की धारा 364-ए में दिखाई देने वाले शब्द "व्यक्ति" में एक कंपनी या संघ या निकाय शामिल होगा।

प्राकृतिक व्यक्तियों के अलावा, व्यक्ति चाहे निगमित हों या न हों।

प्रावधान की अवधि, संदर्भ और वैधानिक परिभाषा

अभिव्यक्ति "व्यक्ति" के सभी किसी भी प्रयास के खिलाफ विद्रोह करते हैं "व्यक्ति" शब्द के अर्थ को "सरकार" तक सीमित करना।

या "विदेशी राज्य" या "अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी"

संगठन "केवल"। 21. पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. संघ

द्वारा, (2019) 8 एस. सी. सी. 416, इस न्यायालय ने सीमाएं निर्धारित कीं

"एक समाज" अभिव्यक्ति में निहित निर्माण के नियम का उल्लेख इस प्रकार है:

" 84. तब यह तर्क दिया गया कि बड़ी संख्या में निर्णयों पर भरोसा करते हुए कि धारा 5 (8) (च) को खंड (ए) से (ई) और (जी) से (आई) के साथ एक समाज के रूप में माना जाना चाहिए, और इस प्रकार इसका अर्थ केवल ऋणों को संदर्भित करेगा।

समाप्त होता है। यह, फिर से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सही नहीं है कि धारा 5 (8) (च) स्पष्ट रूप से एक अवशिष्ट "सभी को पकड़ें" प्रावधान है, जो उन मामलों को अपने भीतर लेता है जो अन्य उपखंडों में शामिल नहीं हैं।

अन्यथा भी, सी. ई. डी. वी. में। कांतिलाल त्रिकमलाल [सी. ई. डी. बनाम। कांतिलाल

त्रिकमलाल (1976) 4 एस. सी. सी. 643: 1977 एस. सी. सी. (कर) 90], यह न्यायालय

यह अभिनिर्धारित किया है कि जब एक अभिव्यक्ति एक अवशिष्ट है, तो इजस्डेम जेनरिस लागू नहीं होगा। यह इस प्रकार आयोजित किया गया था: (एस. सी. सी पी. 655, पैरा 21)

" 21. ..... हमें स्पष्टीकरण में "अन्य अधिकार" अभिव्यक्ति पर भी जोर देना होगा जो सबसे व्यापक महत्व का है और इसे "ऋण" के साथ पढ़कर संकुचित नहीं किया जा सकता है। "अन्य अधिकार", संदर्भ में, स्पष्ट रूप से व्यापक होने के लिए है। अवधारणा और इसलिए कुछ विपरीत सुझाव देता है

इजसडेम जेनरिस नियम के अनुप्रयोग का इरादा। हम ग्रीन के समान [2021] 14 एस. सी. आर. के निर्माण से निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंग्रेजी अधिनियम में अभिव्यक्ति। [धारा 45 (2)]। विद्वान।

लेखक लिखते हैं:

' एक अस्वीकृति इस उद्देश्य के लिए एक अधिकार का उन्मूलन है। हालांकि इस घटना में व्यक्ति कभी भी अस्वीकार नहीं करता है

न केवल उन मामलों को कवर करने के लिए उपयुक्त है जहां बुझाने में मृतक को पहले से प्राप्त लाभ का नुकसान होता है, बल्कि यह भी कि जहाँ यह उसे लाभ प्राप्त करने से रोकता है।

85. इसके अलावा, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। भारत संघ

[सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। भारत संघ, (2016) 7 एस. सी. सी. 221: (2016) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1], इस न्यायालय ने निर्णय दिया: (एससीसी पीपी। 291-93 , पैरा 70-74)

ऐसी शिकायत जिसका सामूहिक प्रभाव होता है, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य कानून के तहत कार्रवाई योग्य दावे के रूप में नहीं और इसलिए, "मानहानि" शब्द को उस संदर्भ में समझना होगा, क्योंकि सहयोगी शब्द "अपराध के लिए उकसाना" हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता होगी। विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री राव ने चतुराई से प्रचार किया कि जब तक "मानहानि" शब्द को इस तरह से एक समाज के सिद्धांत को लागू करने के लिए नहीं समझा जाता है, तब तक पोषित और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्राकृतिक अधिकार जिसे अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मान्यता दी गई है, पूरी तरह से खतरे में होगा। विद्वान ए. एस. जी. श्री नरसिम्हा तर्क देंगे कि निर्माण का उक्त नियम "मानहानि" शब्द के अर्थ को समझने के लिए लागू नहीं होगा। ए. एन. आर. ए. जे. और ओ. आर. एस. का अर्थ लगाते हुए ध्यान दें।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

संविधान का दर्शन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान को समझने और व्याख्या करने के लिए किसी भी समाज के सिद्धांत का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन इस सिद्धांत को लागू करते समय, व्यक्ति को रूपरेखा और दायरे को ध्यान में रखना होगा।

उक्त सिद्धांत की प्रयोज्यता।

71. बम्बई राज्य बनाम। अस्पताल मजदूर सभा [बॉम्बे राज्य बनाम। अस्पताल मजदूर सभा, आकाशवाणी 1960 एससी 610:

(1960) 2 एस. सी. आर. 866], यह माना गया है कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि समाज केवल निर्माण का एक नियम है। और यह उन मामलों में प्रबल नहीं हो सकता है जहां यह स्पष्ट है कि व्यापक शब्द

का दायरा बनाने के लिए जानबूझकर उपयोग किया गया है

परिभाषित शब्द अनुरूप रूप से व्यापक है। केवल वह जहाँ

संकीर्ण महत्व के शब्दों के साथ व्यापक शब्दों को जोड़ने में विधायिका का इरादा संदिग्ध है, या अन्यथा स्पष्ट नहीं है कि निर्माण के उक्त नियम को उपयोगी रूप से लागू किया जा सकता है। इसे वहाँ भी लागू किया जा सकता है जहाँ व्यापक महत्व के शब्दों का अर्थ संदिग्ध है; लेकिन, जहाँ व्यापक शब्दों का उपयोग करने में विधायिका का उद्देश्य स्पष्ट और अस्पष्टता से मुक्त है,

विचाराधीन निर्माण को सेवा में नहीं लगाया जा सकता है।

72. बैंक ऑफ इंडिया बनाम। विजय ट्रांसपोर्ट [बैंक ऑफ इंडिया बनाम। विजय ट्रांसपोर्ट, 1988 पूरक एस. सी. सी. 47], न्यायालय इस तर्क पर विचार कर रहा था कि एक शाब्दिक व्याख्या हमेशा एक कानून में एक प्रावधान की एकमात्र व्याख्या नहीं होती है और अदालत को यह तय करने के लिए उस सेटिंग को देखना होता है जिसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है और जिन परिस्थितियों में कानून पारित किया गया है कि क्या वास्तव में शब्दों के पीछे कुछ निहित है।

उपयोग किया जाता है जो उपयोग किए गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ को नियंत्रित करता है। उक्त उद्देश्य के लिए, आर. एल. अरोड़ा बनाम पर निर्भरता रखी गई थी। यू. पी. राज्य [आर. एल. अरोड़ा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1964) 6 एस. सी. आर. 784: ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1230] उक्त पहलू पर विचार करते हुए, न्यायालय ने

उन्होंने इस प्रकार देखा है: (विजय ट्रांसपोर्ट मामला [बैंक ऑफ इंडिया

भारत बनाम. विजय ट्रांसपोर्ट, 1988 सप एस. सी. सी. 47], एस. सी. सी. पी. 51 ,

पैरा 11)

‘11 . ..... यह हो सकता है कि किसी कानून के प्रावधान के शब्दों की व्याख्या करते समय, जिस व्यवस्था में ऐसे शब्द रखे गए हैं, उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन वह [2021] 14 एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिवेश के कारण उन्हें व्याख्या या अर्थ दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जबकि शब्दों की सेटिंग कभी-कभी व्याख्या के लिए आवश्यक हो सकती है कानून के शब्दों में से, लेकिन इसके द्वारा शासित नहीं किया गया है

यह न्यायालय एकमात्र और सबसे निश्चित तरीका होगा

व्याख्या।

73. गॉडफ्रे फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम में संविधान पीठ। यू. पी. राज्य [गॉडफ्रे फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2005) 2 एस. सी. सी. 515] ने निर्माण के उपरोक्त नियम पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा: (एससीसी पीपी। 550 & 551 , पैरा 81 और 83)

'81 . हम इस बात से अवगत हैं कि एक समाज का सिद्धांत विश्वासघाती हो सकता है जब तक कि उन "समाजों" के बारे में पता न चले जिनसे "समाज" संबंधित हैं। जोखिम तब मौजूद हो सकता है जब "समाजों" का सुझाव देने के लिए निकटता के अलावा कोई अन्य कारक न हो। लेकिन जहाँ, यहाँ की तरह,

व्यापक अर्थ का एक शब्द है जो अस्पष्टता से मुक्त नहीं है, वहाँ "सम्मिलित" जैसे शब्दों का जोड़ समाजों का पर्याप्त संकेत है। जैसा कि हमने कहा है, वर्तमान संदर्भ में "शामिल" शब्द शामिल शब्द के साथ एक समानता या साझा विशेषताओं या विशेषताओं को इंगित करता है।

***

83. अतः सामान्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर व्याख्या में , हम मानेंगे कि "विलासिता" शब्द में

सूची II की प्रविष्टि 62 का अर्थ है उस चीज़ का आनंद लेने या उसमें लिप्त होने की गतिविधि जो महंगी है या जिसे आम तौर पर समाज के एक औसत सदस्य की आवश्यक आवश्यकताओं से परे माना जाता है, न कि विलासिता की वस्तुओं के रूप में।

74. इस मोड़ पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ में। वी. प्रशासनिक अधिकारी

[अहमदाबाद निजी प्राथमिक शिक्षक संघ। वी. प्रशासनिक अधिकारी, (2004) 1 एस. सी. सी. 755 2004 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 306], यह कहा गया है कि किसी भी समाज के लिए यह एक वैध नियम है - हनराज और ओ. आर. एस. के तत्काल संबंध में पाए गए शब्दों के संदर्भ में संसद के एक अधिनियम में शब्दों का अर्थ लगाने के लिए निर्माण।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

उनके साथ। इस संबंध में, हम एक परिच्छेद का उल्लेख कर सकते हैं

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत [(13 संस्करण, 2012) 509।] जहाँ विद्वान लेखक ने गजेंद्रगडकर द्वारा दी गई स्पष्ट व्याख्या का उल्लेख किया है, जे। हम सोचते हैं

परिच्छेद को पुनः प्रस्तुत करना उचित है:

' यह एजुस्डेम जेनरिस के नियम से अधिक व्यापक नियम है; बल्कि

बाद वाला नियम केवल पूर्व का एक अनुप्रयोग है। गजेंद्रगडकर, जे. ने इस नियम को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट रूप से समझाया:

" मैक्सवेल के अनुसार यह नियम [मैक्सवेल, व्याख्या] संविधि (11 वीं संस्करण, 1962) 321।] , इसका मतलब है कि जब दो या दो से अधिक शब्द जो समान

अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील हैं, एक साथ जोड़े जाते हैं, तो उन्हें उनके संज्ञानात्मक अर्थ में उपयोग किया जाता है। वे हर एक से अपना रंग लेते हैं।

अन्य, अर्थात, अधिक सामान्य एक कम सामान्य के अनुरूप भावना तक ही सीमित है।

विद्वान लेखक ने आगे की चर्चा पर व्यक्त किया है

यह देखते हुए कि किसी शब्द का अर्थ उस कंपनी से आंका जाना है जिसे वह रखती है यानी तत्काल में पाए जाने वाले शब्दों का संदर्भ

उनके साथ संबंध। यह दो या दो से अधिक शब्दों पर लागू होता है।

समान अर्थों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं जिन्हें एक साथ जोड़ा जाता है, ताकि उन्हें उनके संज्ञानात्मक अर्थों में पढ़ा और समझा जा सके। [जी. पी. सिंह

सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत (8 वीं संस्करण) 379।] एक समाज केवल निर्माण का एक नियम है और यह प्रबल नहीं हो सकता है जहां यह स्पष्ट है कि व्यापक और विविध व्युत्पत्ति का प्रावधान में जानबूझकर और जानबूझकर उपयोग किया जाता है। यह केवल तभी होता है जब और जहां विधायिका का इरादा होता है।

संकीर्णतम शब्दों के साथ व्यापक शब्दों को जोड़ना

महत्व संदिग्ध है या अन्यथा स्पष्ट नहीं है, कि नियम

समाज के लिए उपयोगी है "।

86. इन निर्णयों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि किसी समाज को केवल निर्माण का नियम होने के नाते वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह स्पष्ट है कि अवशिष्ट प्रावधान में व्यापक शब्दों का उपयोग जानबूझकर किया गया है, ताकि "वित्तीय ऋण" की परिभाषा का दायरा उन मामलों को शामिल किया जा सके जो धारा 5 (8) के अन्य उपखंडों में नहीं पाए जाते हैं। यह तर्क भी होना चाहिए,

इसलिए अस्वीकार कर दिया जाए। ”

22. इन निर्णयों को पढ़ने से पता चलता है कि कानून के निर्माण के संबंध में नियम होने के नाते, न्याय और न्याय एक समाज है।

कानून में उपयोग किए गए शब्दों के सरल अर्थ को रद्द करने के लिए ऊंचा नहीं किया जा सकता है यदि उनका उपयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ ए

अवशिष्ट वाक्यांश का उपयोग एक पकड़ के रूप में किया जाता है-सभी अभिव्यक्ति को अपने दायरे में लेने के लिए जिसे एक प्रावधान द्वारा उचित रूप से समझा जा सकता है, इसके उद्देश्य और सेटिंग को ध्यान में रखते हुए, एक समाज का उपयोग अन्यथा व्यापक अभिव्यक्ति को रंग देने के लिए नहीं किया जा सकता है ताकि इसे कम किया जा सके और एक वैधानिक प्रावधान के उद्देश्य को कम किया जा सके।

आई. बी. सी. की धारा 14 का उद्देश्य

23. यह तब हमें आई. बी. सी. की धारा 14 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य पर लाता है। फरवरी, 2020 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट धारा 14 पर कुछ प्रकाश डालती है। इसके पैराग्राफ 8.2 और 8.11 इस प्रकार हैं:

" 8.2 . धारा 14 के तहत स्थगन का उद्देश्य दिवाला समाधान के दौरान कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों को एक साथ रखना है।

प्रक्रिया और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से पूरा करने में सुविधा प्रदान करना

दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान परिकल्पना की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि कंपनी एक चालू चिंता के रूप में जारी रह सकती है, जबकि लेनदार चूक के समाधान पर विचार करते हैं। सी. आई. आर. पी. के दौरान कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में रखना

यह एक चालू चिंता के रूप में समाधान प्राप्त करने में भी मदद करता है, जिससे सभी हितधारकों के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त होने की संभावना है। अन्य क्षेत्राधिकारों में भी, परिसमापन और पुनर्गठन कार्यवाही सहित औपचारिक दिवाला कार्यवाही के आगमन पर रोक लगाई जा सकती है। UNCITRAL गाइड में कहा गया है कि पुनर्गठन की कार्यवाही के दौरान एक स्थगन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यवसाय के निरंतर संचालन की सुविधा प्रदान करता है और देनदार को अपने मामलों को व्यवस्थित करने, तैयारी के लिए समय और समय देने की अनुमति देता है।

पुनर्गठन योजना का अनुमोदन और अन्य कदमों के लिए जैसे कि गैर-लाभकारी गतिविधियों और भारी अनुबंधों को छोड़ना, जहां उपयुक्त हो।

XXX XXX XXX

" 8.11 . इसके अलावा, अधिस्थगन का उद्देश्य सफल दिवाला समाधान के लिए देनदार की परिसंपत्तियों को एक साथ रखना है, और यह सभी कार्यों को प्रतिबंधित नहीं करता है, विशेष रूप से जहां सार्वजनिक नीति की चिंताओं का मुकाबला करना शामिल है। उदाहरण के लिए, आपराधिक कार्यवाही पी. मोहनराज और ओआरएस।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिस्थगन द्वारा वर्जित नहीं माना जाता है, क्योंकि वे "धन दावे या वसूली" कार्यवाही का गठन नहीं करते हैं। इस संबंध में, समिति ने यह भी नोट किया कि कुछ क्षेत्राधिकारों में, कानून नियामक दावों की अनुमति देते हैं, जैसे कि वे जो संपत्ति के लिए धन एकत्र करने के लिए नहीं हैं, बल्कि महत्वपूर्ण और तत्काल सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के लिए हैं, पर्यावरणीय क्षति का कारण बनने वाली गतिविधियों को रोकना या ऐसी गतिविधियों को रोकना जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं, अधिस्थगन अवधि के दौरान जारी रखा जाना चाहिए।

यह देखा जा सकता है कि अनुच्छेद 8.11 हमारे समक्ष अपील के तहत निर्णय को संदर्भित करता है, और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कानून में सही स्थिति पर कोई प्रकाश डालता है जिसे केवल इस न्यायालय द्वारा अंततः निपटाया जाना है। हालांकि, अनुच्छेद 8.2 इस मायने में महत्वपूर्ण है कि एक

धारा 14 जैसे अधिस्थगन प्रावधान यह देखने के लिए है कि दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों में कोई कमी न हो ताकि इसे इस दौरान एक चालू चिंता के रूप में चलाया जा सके, इस प्रकार सभी हितधारकों के लिए अधिकतम मूल्य। विचार यह है कि यह निगमित देनदार के व्यवसाय के निरंतर संचालन की सुविधा प्रदान करता है ताकि उसे अपने मामलों को व्यवस्थित करने के लिए जगह मिल सके ताकि एक नया प्रबंधन अंततः निगमित देनदार को वित्तीय बीमारी से बाहर निकाल सके और इस प्रकार सभी हितधारकों को लाभान्वित कर सके, जिसमें निगमित देनदार के कर्मचारी शामिल होंगे। इसके अलावा, स्विस में इस अदालत का फैसला रिबन (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2019) 4 एस. सी. सी. 17 पैराग्राफ 28 में धारा 14 के लिए कारण इस प्रकार बताता है:

" 28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कानून का प्राथमिक ध्यान कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना है।

निगमित देनदार को उसके अपने प्रबंधन से बचाना और परिसमापन द्वारा एक निगमित मृत्यु से। इस प्रकार यह संहिता फायदेमंद है।

कानून जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करता है, लेनदारों के लिए केवल वसूली कानून नहीं है। इसलिए निगमित देनदार के हितों को विभाजित किया गया है और

इसके प्रवर्तकों/जो प्रबंधन में हैं, उनसे अलग। इस प्रकार, समाधान प्रक्रिया निगम के लिए प्रतिकूल नहीं है।

ऋणी लेकिन, वास्तव में, अपने हितों की रक्षा करता है। धारा 14 द्वारा लगाया गया अधिस्थगन स्वयं निगमित देनदार के हित में है, जिससे समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का संरक्षण होता है। समय सीमा जिसके भीतर समाधान किया जाता है प्रक्रिया फिर से होनी है जो कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति को और कमजोर होने से बचाती है, और इसके सभी लेनदारों और [2021] 14 एस. सी. आर. की भी रक्षा करती है।

श्रमिकों को यह देखकर कि समाधान प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके गुजरती है ताकि कोई अन्य प्रबंधन, अपने उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से, कॉर्पोरेट देनदार को प्राप्त करने के लिए पुनर्जीवित कर सके।

इन सब का अंत होता है।

मुआवजे का भुगतान करने के परिणामस्वरूप समाप्त हो जाना, जो कि चेक की राशि से दोगुनी राशि हो सकती है, सीधे तौर पर कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को उसी तरह प्रभावित करेगा जैसे ऋण या अन्य देयता की राशि के लिए सिविल अदालत में इस तरह के मुकदमे में संस्था, निरंतरता या डिक्री का निष्पादन। इस उद्देश्य के दृष्टिकोण से, एक मुकदमे के प्रभाव और एक धारा 138 कार्यवाही के बीच किसी भी अंतर को समझना असंभव है, जहां तक कॉर्पोरेट देनदार का संबंध है, इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक सांस लेने की जगह मिलने पर। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान अपने पैरों पर वापस। इस तथ्य को देखते हुए, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि "कार्यवाही" अभिव्यक्ति की चौड़ाई को कम करने के लिए नोसिटूर ए सोसाइटिस या इजसडेम जेनरिस का उपयोग किया जाना चाहिए।

ताकि ऐसी कार्यवाहियों को दीवानी मुकदमों के अनुरूप बनाया जा सके।

25. एक अन्य दृष्टिकोण से देखे जाने पर, धारा 14 (1) का खंड (बी) यह भी स्पष्ट करता है कि अधिस्थगन अवधि के दौरान, कोई भी हस्तांतरण, निगमित देनदार द्वारा उसकी किसी भी संपत्ति या उसमें किसी भी कानूनी अधिकार या लाभकारी ब्याज का बोझ, अलगाव या निपटान भी किया जा रहा है।

बाधित, फिर भी देय मुआवजे के रूप में एक दायित्व

धारा 138 किसी तरह धारा 14 (1) के जाल से बच जाएगी। जबकि धारा 14 (1) (ए) निगमित देनदार की मौद्रिक देनदारियों को संदर्भित करती है, धारा 14 (1) (बी) निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को संदर्भित करती है, और ये दोनों खंड मिलकर एक योजना बनाते हैं जो निगमित देनदार को सुरक्षित करती है।

अधिस्थगन अवधि में इसके खिलाफ आर्थिक हमलों से ताकि कॉर्पोरेट देनदार को अंततः खुद को बहाल करने के लिए एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने के लिए सांस लेने की जगह मिल सके। धारा 14 के उद्देश्य को देखते हुए, इस ढाल में किसी भी दरार के प्रतिकूल परिणाम होने के लिए बाध्य है, और व्याख्या की किसी भी प्रक्रिया द्वारा, होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

धारा 14 अन्य मुद्राओं के संबंध में

आई. बी. सी. में खंड

26. अन्यथा भी, जब मोहलत के संबंध में कुछ अन्य प्रावधानों को व्यक्तियों और फर्मों के संदर्भ में देखा जाता है, तो धारा 14 के प्रावधान और भी स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार, आई. बी. सी. के भाग III में, जो ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. और ओ. आर. एस. है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

दिवाला समाधान और व्यक्तियों के लिए दिवालियापन और

आर्शिप फर्म, धारा 81, जो इसके अध्याय II में आती है, हकदार है

एच स्टार्ट प्रोसेस ", एक अंतरिम स्थगन इस प्रकार लगाया गया है:

" 81. नए आरंभ आदेश के लिए आवेदन। — (1) जब एक आवेदन

एक ऋणी द्वारा धारा 80 के तहत दायर किया जाता है, एक अंतरिम-अधिस्थगन होगा

सभी के संबंध में उक्त आवेदन दाखिल करने की तारीख से शुरू करें ऋण और प्रवेश की तारीख से प्रभावी नहीं होंगे

या ऐसे आवेदन की अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो। (2) अंतरिम-अधिस्थगन अवधि के दौरान,

((i)

इस संबंध में लंबित कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही

उसके किसी भी ऋण पर रोक लगा दी गई मानी जाएगी; और कोई भी लेनदार कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं करेगा या

((ख)

ऐसे ऋण के संबंध में कार्यवाही।

रीति और उसके साथ ऐसा शुल्क, जो विहित किया जाए। (4) उप-धारा (3) के तहत आवेदन में निम्नलिखित शामिल होंगे:

शपथपत्र द्वारा समर्थित जानकारी, अर्थात्

(अ)

तारीख को देनदार द्वारा बकाया सभी ऋणों की एक सूची

प्रत्येक ऋण की राशि, उस पर देय ब्याज और उन लेनदारों के नाम जिनके लिए प्रत्येक ऋण देय है, से संबंधित विवरण के साथ उक्त आवेदन का विवरण।

कर्जदार;

(ख)

ऋणों पर देय ब्याज और उसकी दर

अनुबंध में निर्धारित;

((ग)

किसी भी ऋण के संबंध में रखी गई प्रतिभूति की सूची;

((घ)

ऋणी और उसकी वित्तीय जानकारी

तारीख से दो साल पहले तक तत्काल परिवार

आवेदन;

(ई)

ऋणी के व्यक्तिगत विवरण का विवरण, जैसे -

निर्धारित किया जा सकता है;

आवेदन करने के कारण;

( )

किसी भी कानूनी कार्यवाही का विवरण जो

(जी)

ऋणी का ज्ञान इसके खिलाफ शुरू किया गया है

(ज) इस बात की पुष्टि कि कोई पिछला नया प्रारंभ आदेश नहीं है

इस अध्याय के तहत पूर्ववर्ती बारह में देनदार के योग्य ऋणों के संबंध में बनाया गया है।

आवेदन की तारीख के महीने।

इसी तरह, धारा 85 में, जो भाग III आई. बी. सी. में अध्याय II में भी आती है, इस प्रकार एक अधिस्थगन लगाया गया है:

" 85. आवेदन के प्रवेश का प्रभाव। (1) आवेदन स्वीकार किए जाने की तारीख से सभी ऋणों के संबंध में अधिस्थगन अवधि शुरू हो जाएगी।

(2) अधिस्थगन अवधि के दौरान

(अ)

किसी भी ऋण पर रोक लगा दी गई मानी जाएगी; और धारा 86 के प्रावधानों के अधीन, लेनदार

(ख)

में कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू नहीं करेगा

किसी भी ऋण का सम्मान।

(3) अधिस्थगन अवधि के दौरान, देनदार -

किसी भी कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है, या सीधे या

(अ)

अप्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी के प्रचार, गठन या प्रबंधन में भाग लेते हैं या संबंधित होते हैं;

(ख)

उसकी किसी भी संपत्ति का निपटान या अलगाव नहीं करना;

अपने व्यावसायिक भागीदारों को सूचित करें कि वह एक दौर से गुजर रहा है

((ग)

नई शुरुआत प्रक्रिया;

किसी में प्रवेश करने से पहले सूचित करना आवश्यक है

((घ)

केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे मूल्य के वित्तीय या वाणिज्यिक लेन-देन से वह गुजर रहा है। प्रक्रिया शुरू करें;

(ई) उस नाम का खुलासा करें जिसके तहत वह व्यावसायिक लेनदेन में प्रवेश करता है, यदि यह नाम में दिए गए नाम से अलग है।

धारा 84 के तहत स्वीकार किया गया आवेदन; अनुमति के अलावा भारत से बाहर यात्रा न करें

(एस)

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण।

पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

(4) अधिस्थगन का प्रभाव अवधि के अंत में समाप्त हो जाता है।

जब तक आवेदन स्वीकार करने का आदेश रद्द नहीं किया जाता है तब तक प्रवेश धारा 91 की उप-धारा (2) के तहत।

27. जब धारा 14 और धारा 85 की भाषा विपरीत है,

धारा 14 (3) (ए) में कहा गया है कि "लेन-देन" धारा 14 (1) का विषय है। "लेन-देन", जैसा कि हमने देखा है, "ऋण" की तुलना में बहुत व्यापक अभिव्यक्ति है, और इसे समाहित करता है। इसके अलावा, धारा 14 (1) (ए) में विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "कार्यवाही" को "कानूनी" शब्द द्वारा एक उपसर्ग के रूप में कुचला नहीं जाता है जो स्थगन प्रावधानों में निहित है। और कंपनियाँ। इसी तरह, धारा 96 और धारा 101 के प्रावधान व्यक्तियों और फर्मों की दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित भाग III के अध्याय III में स्थगन प्रावधान हैं, वही अभिव्यक्ति, अर्थात् "ऋण" का उपयोग किया जाता है जैसा कि धारा 85 में उपयोग किया गया है। धारा 96 और 101 इस प्रकार हैं:

" 96. अंतरिम-स्थगन। — (1) जब आवेदन किया जाता है

धारा 94 या धारा 95 के तहत

(अ)

एक अंतरिम-स्थगन उस तारीख से शुरू होगा सभी ऋणों के संबंध में आवेदन का और ऐसे ऋणों को स्वीकार करने की तारीख से प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

आवेदन; और

(ख) अंतरिम-अधिस्थगन अवधि के दौरान

में लंबित कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही

((i)

किसी भी ऋण के संबंध में माना जाएगा कि

रह गए; और

((ख)

ऋणी के लेनदार कोई पहल नहीं करेंगे।

किसी भी ऋण के संबंध में कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही।

(2) जहाँ आवेदन किसी फर्म के संबंध में किया गया है, अंतरिम-उप-धारा (1) के तहत स्थगन सभी के खिलाफ काम करेगा।

आवेदन की तारीख तक फर्म के भागीदार।

(3) उप-धारा (1) के प्रावधान ऐसे लोगों पर लागू नहीं होंगे।

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले लेन-देन किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के साथ परामर्श। "[2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 101. अधिस्थगन। (1) जब आवेदन के तहत स्वीकार किया जाता है

धारा 100, सभी के संबंध में एक अधिस्थगन शुरू होगा

ऋण और अवधि के अंत में प्रभाव नहीं होगा

आवेदन के प्रवेश की तारीख से या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पारित होने की तारीख से शुरू होने वाले एक सौ अस्सी दिन

धारा 114 के तहत पुनर्भुगतान योजना पर आदेश, जो भी हो

इससे पहले।

(2) अधिस्थगन अवधि के दौरान

(अ)

के संबंध में कोई लंबित कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही किसी भी ऋण पर रोक लगा दी गई मानी जाएगी;

लेनदार कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे।

(ख)

किसी भी ऋण के संबंध में कार्यवाही; और

((ग)

ऋणी हस्तांतरण नहीं करेगा, अलग नहीं करेगा, बोझ नहीं उठाएगा या

अपनी किसी भी संपत्ति या अपने कानूनी अधिकारों का निपटान करना या

उसमें लाभकारी ब्याज;

(3) जहाँ धारा 96 के तहत आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया गया हो।

एक फर्म के संबंध में बनाया गया है, उप के तहत अधिस्थगन

धारा (1) फर्म के सभी भागीदारों के खिलाफ काम करेगी।

(4) इस धारा के प्रावधान ऐसे लेनदेन पर लागू नहीं होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है।

किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक के साथ।

किसी भी ऋण के संबंध में कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही में, अपनी सरल भाषा में, धारा 138 की कार्यवाही शामिल होगी। यही कारण है कि धारा 138 की कार्यवाही एक कानूनी कार्यवाही होगी।

"एक ऋण"। "के संबंध में एक ऐसा वाक्यांश है जो व्यापक है और जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया कुछ भी शामिल है-देखें मैक्वेरी बैंक लिमिटेड v. शिल्पी केबल

टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (2018) 2 एस. सी. सी. 674 (पृष्ठ 709 पर) और गिरिराज गर्ग बनाम। कोल इंडिया लिमिटेड, (2019) 5 एस. सी. सी. 192 (पृष्ठ 202-203 पर)। यह, इस तथ्य के साथ कि धारा किसी भी ऋण की 'वसूली' तक सीमित नहीं है,

यह इंगित करेगा कि किसी भी ऋण की वसूली से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी भी कानूनी कार्यवाही को शामिल किया जाएगा।

28. जब इन अनुभागों की भाषा को इसके विरुद्ध जोड़ा जाता है

धारा 14 की भाषा में, यह स्पष्ट है कि धारा 14 की चौड़ाई और भी अधिक है, यह देखते हुए कि धारा 14 ऋण, पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. से संबंधित लेन-देन सहित निगमित देनदार द्वारा किए गए लेन-देन के संबंध में खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित रोक की घोषणा करती है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जैसा कि धारा 81,85,96 और 101 में निहित है। इसके अलावा, धारा 14 (1) (डी) इनमें से किसी भी धारा में इसकी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट है। इस प्रकार, कहाँ

व्यक्तियों या फर्मों का संबंध किसी भी संपत्ति की वसूली से है।

मालिक या पट्टेदार, जहां ऐसी संपत्ति व्यक्ति या फर्म द्वारा कब्जा कर ली गई है या उसके कब्जे में है, एक कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति के विपरीत, अधिस्थगन अवधि के दौरान बरामद की जा सकती है। इन सभी कारणों से, इसलिए, धारा 14 के उद्देश्य और संदर्भ को देखते हुए, अभिव्यक्ति "कार्यवाही" को निर्माण के किसी भी नियम द्वारा कम नहीं किया जा सकता है और इसे उद्देश्य और संदर्भ के साथ एक उचित अर्थ व्यंजन दिया जाना चाहिए। हमारे समक्ष यह स्वीकार किया जाता है कि आपराधिक कार्यवाही जो कॉर्पोरेट देनदार के ऋण या दायित्व का प्रमाण देने वाले लेनदेन से सीधे संबंधित नहीं हैं, इस अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर होगी।

29. वी. रामकृष्णन (ऊपर) ने धारा 14 को धारा 96 और 101 के साथ एक गारंटर के दृष्टिकोण से देखा और इसकी तुलना की।

ऋण, और इस संदर्भ में, अभिनिर्धारित किया गया:

" 26. हमारी यह भी राय है कि धारा 96 और 101, जब धारा 14 के विपरीत होती है, तो यह पता चलता है कि धारा 14 संभवतः एक व्यक्तिगत गारंटर पर लागू नहीं हो सकती है। जब भाग III के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो किसी भी देय ऋण के संबंध में एक अंतरिम अधिस्थगन या अधिस्थगन लागू होता है। सबसे पहले, यह एक

अलग अधिस्थगन, व्यक्तिगत गारंटरों के मामले में अलग से लागू होता है जिनके खिलाफ भाग III के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दूसरा, इन धाराओं के तहत अधिस्थगन का संरक्षण ऋण के संबंध में लंबित कानूनी कार्यवाही में धारा 14 की तुलना में कहीं अधिक है न कि देनदार को।

रह जाते हैं। धारा 14 और धारा 14 के बीच भाषा में अंतर

101 एक कारण के लिए है।

26.1 . धारा 14 केवल निगमित देनदारियों द्वारा देय ऋणों को संदर्भित करती है, जो सीमित देयता कंपनियां हैं, और यह स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में व्यक्तिगत गारंटी उन निदेशकों द्वारा दी जाती है जो कंपनियों के प्रबंधन में होते हैं। संहिता का उद्देश्य ऐसे गारंटरों को पूरे बकाया ऋण का भुगतान करने के लिए एक स्वतंत्र और सह-व्यापक दायित्व से बचने की अनुमति देना नहीं है, यही कारण है कि धारा 14 उन पर लागू नहीं होती है। हालांकि, जहां तक फर्मों और व्यक्तियों का संबंध है, गारंटी दी जाती है

उन व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत ऋणों का सम्मान करना जिनके पास उन्हें चुकाने के लिए असीमित दायित्व है। और ऐसे गारंटर देनदार के लिए पूरी तरह से अजनबी हो सकते हैं-अक्सर यह एक व्यक्तिगत दोस्त हो सकता है।

कारण कि धारा 101 में उल्लिखित अधिस्थगन में शामिल होगा

ऐसे व्यक्ति, जैसे कि अधिस्थगन ऋण के संबंध में है और नहीं

ऋणी "।

इन टिप्पणियों को जब संदर्भ में देखा जाता है, तो वे सही होते हैं।

हालांकि, यह मामला इस मायने में अलग है कि इन प्रावधानों और धारा 14 के बीच के अंतर की जांच कॉर्पोरेट देनदारों और व्यक्तियों/फर्मों के संबंध में समग्र रूप से अधिस्थगन प्रावधानों के तहत नहीं की गई थी।

धारा 14 और के बीच का हस्तक्षेप

आई. बी. सी. की धारा 32 ए

30. हालाँकि, श्री मेहता ने आईबीसी की धारा 32 ए (1) पर दृढ़ता से भरोसा किया, जिसे दिवाला और दिवालियापन संहिता द्वारा पेश किया गया था। (संशोधन) अधिनियम, 2020, यह तर्क देने के लिए कि धारा 32 ए (1) के पहले परंतुक से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान शुरू किए गए "अभियोजन" के परिणामस्वरूप निगमित देनदार को अभियोजन से मुक्त कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उप-धारा (1) की अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया हो। उनके अनुसार, इसलिए, निगमित ऋणदाता पर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138/141 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह के मुकदमे आई. बी. सी. की धारा 14 में निहित अधिस्थगन प्रावधानों के दायरे से बाहर हैं। आई. बी. सी. की धारा 32 ए (1) इस प्रकार है:

" 32 ए. पूर्व अपराधों आदि के लिए देयता (1) इसके बावजूद इस संहिता या किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी

उस समय लागू होने के लिए, एक निगमित देनदार का दायित्व

निगम की शुरुआत से पहले किया गया अपराध दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद हो जाएगी और निगमित देनदार

उस तारीख से ऐसे अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा

समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है

धारा 31 के तहत, यदि समाधान योजना में परिवर्तन होता है

निगमित ऋणी का प्रबंधन या नियंत्रण किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो

नहीं था

एक प्रवर्तक या प्रबंधन या नियंत्रण में

(अ)

निगमित देनदार या ऐसे व्यक्ति का संबंधित पक्ष;

या

एक व्यक्ति जिसके संबंध में संबंधित

(ख)

ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. एंड ओ. आर. एस. में सामग्री के आधार पर जांच प्राधिकरण के पास है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

या अपराध करने के लिए साजिश रची है, और एक रिपोर्ट या शिकायत प्रस्तुत या दायर की है
प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरण या न्यायालय:

बशर्ते कि यदि इस अवधि के दौरान अभियोजन शुरू किया गया था

ऐसे निगमित के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

ऋणी, यह अनुमोदन की तारीख से छुट्टी दे दी जाएगी

इस उप-खंड की आवश्यकताओं के अधीन समाधान योजना पूरा किया गया:

बशर्ते कि प्रत्येक व्यक्ति जो एक "नामित" था

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 के खंड (जे) में परिभाषित भागीदार या एक अधिकारी जो चूक में है।

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (60) में परिभाषित किया गया है, या किसी भी तरह से प्रभारी या इसके लिए जिम्मेदार था

अपने व्यवसाय या संबद्ध के संचालन के लिए निगमित देनदार

इस तरह के लिए मुकदमा चलाया जाना और दंडित किया जाना जारी रहेगा निगमित देनदार द्वारा किए गए अपराध के बावजूद

कि इस उपखंड के तहत निगमित देनदार की देनदारी समाप्त हो गई है

अनुभाग।

XXX XXX "

31. धारा 32 ए के अधिनियमन का कारण बताया गया है

1 फरवरी की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट द्वारा,

जो इस प्रकार है:

" 17. निगम ऋणदाता की देयता शुरू करने से पहले किए गए अपराध

सीआईआरपी

17.1 . संहिता की धारा 17 में यह प्रावधान है कि

सी. आई. आर. पी., निगमित देनदार के प्रबंधन की शक्तियाँ

अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ बनियान। इसके अलावा, शक्तियाँ निदेशक मंडल या निगमित देनदार के भागीदार

निलंबित कर दिया जाता है, और अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा प्रयोग किया जाना है। इसके बाद, धारा 29ए, जिसे धारा 35 (1) (एफ) के साथ पढ़ा जाता है, कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्षों पर प्रतिबंध लगाती है। एक समाधान योजना का प्रस्ताव करना और [2021] 14 एस. सी. आर. की संपत्ति खरीदना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्रमशः सी. आई. आर. पी. और परिसमापन प्रक्रिया में निगमित देनदार।

इस प्रकार, ज्यादातर मामलों में, संहिता के प्रावधान कॉर्पोरेट देनदार के नियंत्रण में बदलाव को प्रभावी बनाते हैं जिसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट देनदार अपने पूर्व प्रबंधन से पूरी तरह से अलग हो जाता है। हालांकि, कॉर्पोरेट देनदार का कानूनी रूप सी. आई. आर. पी. में जारी है, और समाधान योजना में संरक्षित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जबकि निगमित देनदार की संपत्ति भी समाधान या परिसमापन पर हाथ बदल सकती है, ऐसी संपत्ति भी बनी हुई है, या तो निगमित देनदार की संपत्ति के रूप में, या उसके हाथों में। खरीदार।

17.2 . हालाँकि, सी. आई. आर. पी. के शुरू होने के बाद या इसके सफल समाधान या परिसमापन के बाद भी, निगमित देनदार,

अपनी संपत्ति के साथ, जांच के लिए अतिसंवेदनशील होगा या

सी. आई. आर. पी. शुरू होने से पहले इसके द्वारा किए गए आपराधिक अपराधों से संबंधित कार्यवाहियां, जिससे कॉर्पोरेट देनदार और उसकी संपत्तियों पर कुछ देनदारियां और प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

समाधान आवेदक या सफल बोलीदाता द्वारा कानूनी रूप से अधिग्रहण किए जाने के बाद भी।

दायित्व जहाँ समाधान योजना को मंजूरी दी गई हो।

17.3 . समिति के समक्ष यह लाया गया कि इससे संभावित समाधान आवेदकों के बीच आशंका पैदा हो गई थी, जो सी. आई. आर. पी. शुरू होने से पहले किए गए किसी भी अपराध के लिए दायित्व नहीं लेना

चाहते थे। एक मामले में, जे. एस. डब्ल्यू. स्टील ने विशेष रूप से कुछ राहत और रियायतों की मांग की थी, जो समाधान योजना के एक अनुलग्नक के भीतर थी जिसे उसने मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया था।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। इस तरह के दायित्व को लागू करने से राहत के बिना, समिति ने नोट किया कि लंबे समय में, संभावित समाधान आवेदकों को समाधान योजना का प्रस्ताव देने से हतोत्साहित किया जा सकता है। समिति को इस बात की भी चिंता थी कि

समाधान योजनाओं की कीमत औसतन कम हो सकती है, यहां तक कि जहां कॉर्पोरेट देनदार ने कोई अपराध नहीं किया था और समाधान द्वारा प्रतिकूल चयन के कारण जांच के अधीन नहीं था। आवेदक जो आशंकित हो सकते हैं कि उन्हें उन अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिनका वे सूचना विषमता के कारण पता नहीं लगा पाए हैं। इस प्रकार, दायित्व का खतरा

प्रामाणिक व्यक्ति जो कानूनी इकाई का अधिग्रहण करते हैं, वे संभावित रूप से इसके सफल अधिग्रहण की संभावना को काफी कम कर सकते हैं। समाधान आवेदक।

ओ. एच. एन. आर. जे. और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

17.4. इससे संहिता के मूल्य अधिकतम करने के लक्षय में काफी बाधा आ सकती थी, और वित्तीय संस्थानों सहित लेनदारों के लिए वसूली कम हो सकती थी, जो अपनी बैलेंस शीट पर एन. पी. ए. के समाधान के लिए संहिता का सहारा लेते हैं। साथ ही, समिति इस बात से भी अवगत थी कि अधिकारी किसी भी अपराध के लिए दंडित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, विशेष रूप से पर्याप्त सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में। इस प्रकार, दो प्रतिस्पर्धी चिंताएँ

XXX XXX XXX 17.6 . इसे देखते हुए, समिति ने महसूस किया कि निगमित देनदार के बीच अंतर किया जाना चाहिए, जिसने इससे पहले अपने पिछले प्रबंधन के नियंत्रण में अपराध किए हों।

सी. आई. आर. पी., और निगमित देनदार जिसका समाधान किया जाता है, और जिसे एक असंबद्ध समाधान आवेदक द्वारा ले लिया जाता है। जबकि निगम सी. आई. आर. पी. शुरू होने से पहले देनदार के कार्यों की जांच की जानी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, दायित्व केवल उन लोगों पर लगाया जाना चाहिए जो इस अवधि में कॉर्पोरेट देनदार के कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। तथापि, निगमित देनदार के नए प्रबंधन, जिसका ऐसे पिछले अपराधों से कोई लेना-देना नहीं है, को निगमित देनदार के पूर्व प्रबंधन के कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वे स्वयं अपराध करने में शामिल न हों, या संबंधित पक्ष, प्रवर्तक या प्रवर्तक न हों।

अपराध के समय या उसके बाद किसी भी समय निगमित देनदार के प्रबंधन और नियंत्रण में अन्य व्यक्ति, और निगमित देनदार का अधिग्रहण कर सकते हैं, इसके बावजूद

17.7 . इस प्रकार, समिति इस बात पर सहमत हुई कि यह प्रावधान करने के लिए एक नई धारा जोड़ी जानी चाहिए कि जहां कॉर्पोरेट देनदार का सफलतापूर्वक समाधान किया जाता है, उसे सी. आई. आर. पी. के प्रारंभ से पहले किए गए किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जब तक कि वह सफल न हो जाए। समाधान आवेदक अपराध करने में भी शामिल था, या एक संबंधित पक्ष, प्रवर्तक या कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन और नियंत्रण में अन्य व्यक्ति था।

अपराध के होने के बाद किसी भी समय। 17.8 . इसके बावजूद, वे व्यक्ति जो इस तरह के अपराध के समय अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कॉर्पोरेट देनदार के प्रति जिम्मेदार थे, उन्हें [2021] 14 एस. सी. आर. के लिए उत्तरदायी बने रहना चाहिए।

इस तरह के अपराध के लिए, परोक्ष रूप से या अन्यथा, चाहे

तथ्य यह है कि निगमित देनदार की देनदारी समाप्त हो गई है।"

(जोर दिया गया)

32. यह न्यायालय, मनीष कुमार बनाम। भारत संघ, 2021 एससीसी

ऑन लाइन एस. सी. 30 ने इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 280. हमारा स्पष्ट मत है कि कोई भी मामला नहीं बनाया गया है

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट है। कानून का विवेक नहीं है न्यायिक समीक्षा के लिए खुला। संहिता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए,

संहिता के काम करने का अनुभव, सभी के हित

समाधान योजना के हिस्से के रूप में उचित और उचित मूल्य की पेशकश करना यदि विधायिका ने सोचा कि प्रतिरक्षा प्रदान की जाए

निगमित देनदार के साथ-साथ इसकी संपत्ति भी, यह शायद ही कोई आधार प्रदान करता है इसके लिए यह न्यायालय हस्तक्षेप करे। प्रावधान पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है।

बाहर निकलें। ऐसा नहीं है कि गलत करने वालों को भागने दिया जाता है। वे उत्तरदायी बने रहते हैं। आपराधिक दायित्व का उन्मूलन

कार्पोरेट देनदार का ऋण नए कर्जदारों के लिए स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है।

एक साफ स्लेट। हमें इस सिद्धांत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि विवादित प्रावधान एक आर्थिक उपाय का हिस्सा है। द.

सम्मान अदालतें उचित रूप से मानती हैं कि ऐसे कानून नहीं हो सकते हैं

तत्काल मामले में भी लागू होता है। प्रावधान से संबंधित है

प्रारंभ से पहले किए गए अपराधों का संदर्भ

सी. आई. आर. पी. आवेदन की स्वीकृति के साथ

अंतरिम समाधान पेशेवर और उसके बाद में समाधान पेशेवर विषय के हाथ निस्संदेह

लेनदारों की समिति द्वारा नियंत्रण। जहाँ तक सुरक्षा की बात है

सम्पत्ति के संबंध में स्पष्ट रूप से एक तर्क है

इसके पीछे। कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम शायद ही कभी

प्रावधान में किसी भी स्पष्ट मनमानी को देखें।

33. धारा 32 ए को संभवतः इस पर कोई प्रकाश डालने के लिए नहीं कहा जा सकता है

धारा 32 ए को लागू करने के कारण के रूप में धारा 14 (1) (ए) की सही व्याख्या का किसी भी अधिस्थगन प्रावधान से कोई लेना-देना नहीं था। इस धारा के केंद्र में पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. के आपराधिक दायित्व का उन्मूलन है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

निगमित ऋणी, जिस तारीख से समाधान योजना को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है, ताकि नया प्रबंधन अतीत के साथ एक साफ ब्रेक बना सके और एक साफ स्लेट पर शुरू कर सके। दूसरी ओर, अधिस्थगन प्रावधान किसी भी दायित्व, दीवानी या आपराधिक को समाप्त नहीं करता है, लेकिन केवल पहले से शुरू की गई कार्यवाही और शुरू की जाने वाली कार्यवाही पर छाया डालता है, जिसकी छाया तब हटा दी जाती है जब

अधिस्थगन अवधि समाप्त हो जाती है। इसके अलावा, धारा 32 ए (1) केवल अधिस्थगन समाप्त होने के बाद ही काम करती है। धारा 32 ए के केंद्र में आई. बी. सी. का मूल्य अधिकतम करने का लक्षय है और कॉर्पोरेट देनदार के लगातार उजागर होने के परिणामस्वरूप लेनदारों को कम वसूली से बचने की

आवश्यकता है। आपराधिक दायित्व। बदकिस्मती से, इस खंड का अनिवार्य रूप से मसौदा तैयार किया गया है। धारा 32 ए (1) के दूसरे परंतुक में ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात की गई है जो किसी भी तरह से निगमित देनदार के व्यवसाय के संचालन के लिए या निगमित देनदार के साथ जुड़े हुए हैं या उसके प्रति जिम्मेदार हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से "ऐसे अपराध" के करने में शामिल हैं, अर्थात, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध, "जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या दायर शिकायत के अनुसार"। यहाँ प्रस्तुत रिपोर्ट में सीआरपीसी की धारा 173 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट और इसके तहत जांच अधिकारियों द्वारा दायर शिकायतों का उल्लेख किया गया है।

निजी शिकायतों के विपरीत विशेष अधिनियम। यदि दूसरे परंतुक की भाषा को धारा 32 ए (1) की भाषा की व्याख्या करने के लिए लिया जाता है कि धारा 32 ए (1) के तहत किए गए "अपराध" में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के तहत शिकायतों पर आधारित अपराध शामिल नहीं होंगे, तो भाषा की चौड़ाई में कटौती की जाएगी और धारा 32 ए (1) का उद्देश्य हासिल नहीं किया जाएगा क्योंकि निजी शिकायतों से उत्पन्न होने वाले सभी अभियोजनों को बाहर रखा जाएगा। जाहिर है, धारा 32 ए (1) को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है और इसमें स्पष्ट रूप से निगम के दायित्व को शामिल किया गया है।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले किए गए सभी अपराधों के लिए देनदार। निःसंदिग्ध रूप से धारा 138

कार्यवाही को शामिल किया जाएगा, और स्थगन अवधि समाप्त होने के बाद एक नए प्रबंधन द्वारा एक समाधान योजना के साथ

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, निगमित देनदार के लिए अपराध नहीं रहेगा।

34. एक धारा जिसे किसी अधिनियम में संशोधन द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पहले निगमित देनदार द्वारा किए गए अपराधों के लिए दायित्व के अधिशेषक पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेश किया गया है, का अर्थ इस तरह से नहीं लगाया जा सकता है कि धारा 14 में निहित अधिस्थगन प्रावधान को सीमित किया जा सके, जिससे वह बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। यदि धारा 32 ए (1) का पहला परंतुक [2021] 14 एस. सी. आर. में पढ़ा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री मेहता द्वारा सुझाए गए तरीके से, यह धारा 14 को अपनी मुख्य धारा 138/141 कार्यवाही से बाहर निकालकर प्रभावित करेगा, जिसका उद्देश्य नहीं है -

धारा 32 ए (1) बिल्कुल भी। इसलिए, यह मानते हुए कि आई. बी. सी. की धारा 14 और धारा 32 ए (1) के पहले प्रावधान के बीच टकराव है, इस टकराव का सबसे अच्छा समाधान सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करके किया जाता है।

ताकि दोनों प्रावधानों के उद्देश्य इस प्रक्रिया में एक प्रावधान को नुकसान पहुँचाए बिना या दूसरे की कीमत पर सीमित किए बिना कम हो जाएं। यदि, इसलिए, धारा 32क (1) के पहले परंतुक में "अभियोजन" पद ठीक से आपराधिक कार्यवाही को संदर्भित करता है-या तो प्रथम सूचना रिपोर्टर द्वारा दायर शिकायत के माध्यम से बुलाया जाता है।

निगमित देनदार के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138/141 के तहत शुरू की गई अर्ध-आपराधिक कार्यवाही की बजाय प्राधिकरण या शिकायत की जांच करना, आईबीसी की धारा 14 (1) का उद्देश्य कम हो जाता है, जैसा कि धारा 32ए का उद्देश्य है, जो निगमित देनदार के खिलाफ सभी मामलों में आपराधिक अभियोजन को समाप्त करता है, इस प्रकार निगमित देनदार को नए ऋण के बाद उसी से मुक्त कर देता है। प्रबंधन आता है।

अध्याय के तहत प्रक्रियाओं की प्रकृति

निगमित निर्देश अधिनियम का सत्रहवाँ

35. यह हमें परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII के तहत कार्यवाही की प्रकृति पर लाता है। धारा 138 से धारा 142 तक परक्राम्य लिखत अधिनियम को 1988 के एक संशोधन अधिनियम द्वारा अध्याय XVII द्वारा जोड़ा गया था। धारा 138 इस प्रकार है:

" 138. खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर। जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी के भुगतान के लिए किसी बैंकर के पास रखे गए खाते पर कोई चेक निकाला जाता है।

किसी भी ऋण या अन्य देयता का पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन, बैंक द्वारा भुगतान किए बिना वापस कर दिया जाता है, या तो राशि के कारण उस खाते में जमा राशि सम्मान के लिए अपर्याप्त है।

(ख) चेक या यह कि वह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली व्यवस्था की गई राशि से अधिक है, ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दो वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, या

जुर्माने के साथ जो चेक की राशि के दोगुने तक बढ़ सकता है, या

दोनों के साथ:

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक-पी. मोहनराज और ओआरएस।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

(अ)

चेक को बैंक में प्रस्तुत किया गया है

इसे निकालने की तारीख से छह महीने की अवधि या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी हो

पहले है;

(ख)

चेक के नियत समय में प्राप्तकर्ता या धारक,

जैसा भी मामला हो, नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है।

बैंक से जानकारी प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, चेक के दराज को लिखना
भुगतान न किए गए चेक की वापसी के संबंध में; और

इस तरह के चेक का दराज भुगतान करने में विफल रहता है।

((ग)

प्राप्तकर्ता को दी गई उक्त राशि का या

मामला, उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर चेक के नियत समय में धारक के लिए हो सकता है।

दायित्व का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व। 36. धारा 138 में अपराध के तत्व शामिल हैं।

बनाया गया। डीमिंग प्रावधान इस मायने में महत्वपूर्ण है कि विधायिका इस तथ्य से अवगत है कि जो अन्यथा एक नागरिक दायित्व है उसे भी अब एक अपराध माना जाता है, क्योंकि इस दायित्व को कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिस लेन-देन की बात की जा रही है वह एक वाणिज्यिक लेनदेन है।

दो पक्षों के बीच लेन-देन जिसमें ऋण या देयता के लिए धन का भुगतान शामिल है। धारा 138 के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि

ऋण या अन्य देयता का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य देयता। इस प्रकार, सीमा कानून द्वारा वर्जित ऋण या अन्य देयता धारा 138 के दायरे से बाहर होगी। यह जुर्माने के साथ जोड़ा जाता है जो मुआवजे के रूप में देय चेक की राशि के दोगुने तक बढ़ सकता है।

पीड़ित पक्ष को चेक की राशि और उस पर ब्याज और लागत दोनों को कवर करने के लिए, यह दिखाएगा कि यह वास्तव में बाउंस किए गए चेक के तहत भुगतान को लागू करने के लिए एक संकर प्रावधान है यदि यह अन्यथा नागरिक कानून में लागू करने योग्य है। इसके अलावा, हालांकि अपराध के तत्व धारा 138 के पहले भाग में निहित हैं जब धारा में दिए गए कारणों के लिए बैंक द्वारा चेक का भुगतान नहीं किया जाता है, तो परंतुक में कहा गया है - चेक के ड्रॉअर को यह कहते हुए अवसर देना कि ड्रॉअर को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहना चाहिए, यह फिर से स्पष्ट करते हुए कि प्रावधान का वास्तविक उद्देश्य गलत करने वाले को पहले से किए गए अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि पीड़ित को क्षतिपूर्ति करना है।

दंडात्मक अपराधों के मामले में उचित संदेह), तब होना चाहिए साबित कर दिया। धारा 140 इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि धारा 138 के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन पक्ष में यह बचाव नहीं होगा कि जब ड्रॉअर ने चेक जारी किया था तो उसे यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि उस धारा में बताए गए कारणों के लिए चेक का अपमान किया जा सकता है, इस प्रकार यह स्पष्ट करता है कि सख्त दायित्व संलग्न किया जाएगा, क्योंकि यह अपराध का कोई घटक नहीं है। धारा 141 तब निदेशकों और अन्य व्यक्तियों को वैधानिक रूप से उत्तरदायी बनाती है, बशर्ते कि धारा के अवयवों को पूरा किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्पष्टीकरण (ए) "कंपनी" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है कोई भी निगमित निकाय और इसमें एक फर्म या अन्य शामिल हैं।

व्यक्तियों का संगठन।

38. हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे धारा 96 और 101 की भाषा में एक फर्म के खिलाफ एक धारा 138/141 कार्यवाही शामिल होगी ताकि

मेहता के तर्कों को स्वीकार किया जाना था, एक ही धारा के तहत, अर्थात् धारा 141, दो अलग-अलग परिणाम सामने आएंगे-जहां तक निकायों की बात है निगमित, जिसमें सीमित देयता भागीदारी शामिल है, का संबंध है, आई. बी. सी. की धारा 14 में निहित अधिस्थगन प्रावधान लागू नहीं होगा, लेकिन जहां तक साझेदारी फर्म का संबंध है, आई. बी. सी. की धारा 96 और 101 के अंतर्गत आने के कारण, इन धाराओं द्वारा लगाए गए अधिस्थगन के आधार पर एक धारा 138/141 कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। इस प्रकार, धारा 141 (1) के तहत, जबकि एक निगमित निकाय के खिलाफ एक धारा

138 की कार्यवाही निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के बाद जारी रहेगी, फिर भी, एक फर्म के खिलाफ वही कार्यवाही,

धारा 96 और 101 द्वारा बाधित, इस तरह जारी नहीं रहेगा। यह चौंका देने वाला परिणाम श्री मेहता के तर्क को स्वीकार करने के परिणामों में से एक है, जो फिर से इस स्थिति की ओर ले जाता है कि अकेले अनुचित मसौदा तैयार करने से ऐसे चौंका देने वाले परिणाम नहीं हो सकते हैं, धारा 14 और 96 और 101 का उद्देश्य समान है, अर्थात्, यह देखना कि कॉर्पोरेट व्यक्तियों/व्यक्तियों और फर्मों के लिए दिवालिया समाधान प्रक्रिया के दौरान, कॉर्पोरेट निकाय/फर्म/व्यक्ति को एक कॉर्पोरेट देनदार के मामले में अपने ऋणों के सफल समाधान के लिए वसूली करने के लिए सांस लेने की जगह दी जानी चाहिए।

एक नए प्रबंधन के माध्यम से; और व्यक्तियों के मामले में और फर्म, समाधान योजनाओं के माध्यम से जो लेनदारों की एक समिति द्वारा स्वीकार की जाती हैं, जिसके द्वारा देनदार को ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. और ओ. आर. एस. का भुगतान करने के लिए सांस लेने की जगह दी जाती है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

उसके ऋण, जिसके परिणामस्वरूप लेनदारों को उनसे अधिक मिलेगा

किसी व्यक्ति या फर्म के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही।

39. धारा 142 महत्वपूर्ण है और इसे नीचे दिया गया है:

" 142. अपराधों का संज्ञान। - (1) किसी भी बात के बावजूद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित -

(अ)

कोई भी अदालत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

धारा 138 के अधीन दंडनीय, सिवाय इसके कि

शिकायत, लिखित रूप में, प्राप्तकर्ता या, जैसा भी मामला हो, धारक द्वारा चेक के नियत समय में की गई;
ऐसी शिकायत तारीख के एक महीने के भीतर की जाती है।

(ख)

जिस पर खंड (ग) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है।

धारा 138 के परंतुक का:

बशर्ते कि शिकायत का संज्ञान लिया जा सके

न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के बाद, यदि शिकायतकर्ता संतुष्ट होता है

अदालत ने कहा कि उसके पास शिकायत नहीं करने का पर्याप्त कारण था

इस अवधि के भीतर।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से कम कोई अदालत नहीं

((ग)

या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयास करेगा

धारा 138 के तहत दंडनीय कोई भी अपराध।

(2) धारा 138 के तहत अपराध की जांच की जाएगी और मुकदमा चलाया जाएगा। केवल उस न्यायालय द्वारा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर,

(अ)

यदि चेक एक के माध्यम से संग्रह के लिए वितरित किया जाता है

खाता, बैंक की वह शाखा जहां देय समय पर, यथास्थिति, प्राप्तकर्ता या धारक खाते का रखरखाव करता है, स्थित है; या

यदि चेक प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है

(ख)

या नियत समय में धारक, अन्यथा के माध्यम से खाता, प्रवाहित बैंक की शाखा जहाँ

दराज़ खाता रखता है, स्थित है।

स्पष्टीकरण। खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां -

चेक बैंक की किसी भी शाखा में संग्रह के लिए दिया जाता है।

देय समय में प्राप्तकर्ता या धारक, तब, चेक माना जाएगा

बैंक की उस शाखा में पहुँचा दिया गया है जिसमें

देय समय में प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, बनाए रखता है

40. धारा 142 के सरसरी अध्ययन से फिर से यह स्पष्ट हो जाएगा कि

सी. आर. पी. सी. के तहत प्रक्रिया को हटा दिया गया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अदालत को धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेना है, सिवाय इसके कि चेक के नियत समय में प्राप्तकर्ता या धारक-पीड़ित द्वारा लिखित में की गई शिकायत पर। इसके अलावा, धारा 142 (1) (बी) की भाषा फिर से इन प्रावधानों की संकर प्रकृति को दर्शाएगी क्योंकि एक महीने के भीतर शिकायत की जानी चाहिए।

वह तारीख जिस पर धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के तहत "कार्रवाई का कारण" उत्पन्न होता है। "कार्रवाई का कारण" अभिव्यक्ति आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए एक विदेशी है, और केवल धन की वसूली के लिए दीवानी मामलों में लागू होगी। सी. आर. पी. सी. का अध्याय XIII, जिसमें धारा 177 से 189 शामिल हैं,

एक अध्याय जो पूछताछ और परीक्षणों में आपराधिक न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित है। जब इन धाराओं द्वारा किसी आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की बात की जाती है, तो "कार्रवाई का कारण" अभिव्यक्ति इसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट होती है।

41. 2002 के एक संशोधन अधिनियम द्वारा इस अध्याय में कई अन्य धाराएँ जोड़ी गईं। इस प्रकार, धारा 143 के तहत, मजिस्ट्रेट के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा देना विधिसम्मत है।

और आई. एन. आर. 5,000/- से अधिक का जुर्माना। यह प्रावधान फिर से इस तथ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है कि मुआवजे का भुगतान इस प्रावधान के केंद्र में है कि 5000/- रुपये से अधिक का जुर्माना, सीमा होने के कारण, एक संक्षिप्त परीक्षण के माध्यम से लगाया जा सकता है, जो बाद में सी. आर. पी. सी. की धारा 357 के आवेदन के परिणामस्वरूप पीड़ित को बाउंस किए गए चेक की दोगुनी राशि तक का मुआवजा मिलता है। धारा 144 के तहत, समन की सेवा का तरीका दीवानी मामलों की तरह किया जाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम की धारा 147 के तहत अपराध अदालत के किसी भी हस्तक्षेप के बिना शमनीय हैं, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 (2) द्वारा आवश्यक है। 42. 2018 में किए गए एक अन्य संशोधन से, इन प्रावधानों की संकर प्रकृति एक दीवानी कार्यवाही की ओर और झुक जाती है।

धारा 143ए और 148 के तहत अंतरिम मुआवजे का निर्देश देने की शक्ति जो नीचे दी गई है:

" 143 - ए. अंतरिम मुआवजे का निर्देश देने की शक्ति। - (1) दंड संहिता ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. एंड ओ. आर. एस. में कुछ भी निहित होने के बावजूद।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), धारा 138 के तहत अपराध की सुनवाई करने वाला न्यायालय चेक के ड्रॉअर को अंतरिम भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

शिकायतकर्ता को मुआवजा

(अ)

संक्षिप्त विचारण या समन मामले में, जहाँ वह अभिवचन करता है

शिकायत में लगाए गए आरोप के लिए दोषी नहीं है; और

(ख)

किसी भी अन्य मामले में, आरोप तय करने पर।

(2) उप-धारा (1) के तहत अंतरिम मुआवजा चेक की राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) अंतरिम मुआवजे का भुगतान उप-धारा (1) के तहत आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर या ऐसी आगे की अवधि के भीतर किया जाएगा जो तीस दिनों से अधिक न हो जो न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए।

चेक के दराज द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर।

(4) यदि चेक खींचने वाला बरी हो जाता है, तो न्यायालय निर्देश देगा

शिकायतकर्ता दराज़दार को अंतरिम राशि का भुगतान करेगा

क्षतिपूर्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज के साथ, प्रासंगिक की शुरुआत में प्रचलित

वित्तीय वर्ष, आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर, या

ऐसी आगे की अवधि के भीतर जो तीस दिनों से अधिक न हो

न्यायालय द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर निर्देश दिया गया

शिकायतकर्ता। (5) इस धारा के तहत देय अंतरिम मुआवजे की वसूली इस तरह की जा सकती है जैसे कि यह संहिता की धारा 421 के तहत जुर्माना हो।

दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2)।

(6) धारा 138 के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि या संहिता की धारा 357 के तहत दिए गए मुआवजे की राशि दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) को घटाया जाएगा -

अनुभाग "। " 148. लंबित भुगतान का आदेश देने के लिए अपीलीय न्यायालय की शक्ति

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील। — (1) किसी भी बात के बावजूद

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित, धारा 138 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ दराज द्वारा की गई अपील में, अपीलीय न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकता है जो जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम बीस प्रतिशत हो।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्तः

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत देय राशि धारा 143-ए के तहत अपीलार्थी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी अंतरिम मुआवजे के अतिरिक्त होगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट राशि आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जमा की जाएगी जो तीस दिनों से अधिक न हो जो न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए।

अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर। (3) अपीलीय न्यायालय अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता को जमा की गई राशि को इस दौरान किसी भी समय जारी करने का निर्देश दे सकता है।

अपील की विचाराधीनताः बशर्ते कि यदि अपीलार्थी को बरी कर दिया जाता है, तो न्यायालय शिकायतकर्ता को आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर या ऐसी आगे की अवधि के भीतर, जो तीस दिनों से अधिक न हो, अपीलार्थी को इस तरह जारी की गई राशि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज के साथ चुकाने का निर्देश देगा, जो संबंधित वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रचलित है।

शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर।

43. अध्याय XVII के इस विश्लेषण के साथ, आइए हम कुछ तय किए गए मामलों को देखें। सी. आई. टी. वी. में ईश्वरलाल भगवानदास, (1966) 1 एससीआर 190,

इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 132 के संदर्भ में दीवानी कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही के बीच अंतर इस प्रकार किया:

" ..... "दीवानी कार्यवाही" शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, न ही सामान्य खंड अधिनियम में। अभिव्यक्ति में हमारा निर्णय उन सभी कार्यवाहियों को शामिल करता है जिनमें एक पक्ष नागरिक कानून या क़ानून द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकार के अस्तित्व का दावा करता है, और उसके उल्लंघन के लिए राहत का दावा करता है। दूसरी ओर एक आपराधिक कार्यवाही आम तौर पर वह होती है जिसमें यदि इसे अपने निष्कर्ष पर ले जाया जाता है तो यह

इसके परिणामस्वरूप मृत्यु जैसी सजाएं दी जा सकती हैं,

कारावास, जुर्माना या संपत्ति की ज़ब्ती। इसमें ऐसी कार्यवाहियां भी शामिल हैं जिनमें राज्य के व्यापक हित में, शांति के कथित उल्लंघन को रोकने के आदेश, बाध्य करने के आदेश शामिल हैं।

ऐसे व्यक्ति जो शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए खतरे में हैं, या लापरवाही को रोकने के उद्देश्य से आदेश पारित किए जाने पर विचार किया जाता है। लेकिन कार्यवाही का पूरा क्षेत्र, जो उच्च न्यायालयों तक पहुँचता है, कार्यवाही को दीवानी और आपराधिक के रूप में वर्गीकृत करने से समाप्त नहीं होता है। कुछ ऐसी कार्यवाही हैं जिन्हें न तो दीवानी माना जा सकता है और न ही आपराधिक। उदाहरण के लिए, अवमानना ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. और ओ. आर. एस. के लिए कार्यवाही।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्यायालय का, और वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए या अन्य पेशेवर, जैसे कि चार्टर्ड एकाउंटेंट नहीं हो सकते हैं।

दीवानी या आपराधिक कार्यवाही के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन

इस दृष्टिकोण के लिए कोई वारंट नहीं है कि नागरिक की श्रेणी से

कार्यवाही, जिसका उद्देश्य या से संबंधित कार्यवाही को बाहर करना था जो कर कानूनों के प्रवर्तन के खिलाफ राहत चाहते हैं

राज्य। कराधान कानून का प्राथमिक उद्देश्य राजस्व एकत्र करना है।

राज्य के शासन के लिए या विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने के लिए

और ऐसे कानून सीधे करदाता के नागरिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। यदि ए.

व्यक्ति को कर का भुगतान करने के लिए कहा जाता है जो राज्य सक्षम नहीं है

अधिरोपित करने के लिए, या जो कानून के अनुसार अधिरोपित नहीं है जो

कर अधिरोपित करने की अनुमति देता है, या लेवी, निर्धारण और

कर दाता के किन अधिकारों का इस तरह से उल्लंघन किया जाता है

कानून द्वारा वारंट नहीं, राहत प्राप्त करने के लिए एक कार्यवाही

यह कराधान कानून द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण से है, या सिविल से है

न्यायालय को दीवानी कार्यवाही माना जाएगा। का चरित्र कार्यवाही, हमारे निर्णय में, की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है

न्यायाधिकरण जिसे राहत देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उल्लंघन किए गए अधिकार की प्रकृति और उचित राहत पर

जिसका दावा किया जा सकता है। एक दीवानी कार्यवाही, इसलिए, एक है

जिसे कोई व्यक्ति कथित को उचित राहत देकर लागू करना चाहता है

किसी अन्य व्यक्ति या राज्य के खिलाफ उसके नागरिक अधिकारों का उल्लंघन,

ऋण, क्षति, क्षतिपूर्ति, विशिष्ट संपत्ति का वितरण, व्यक्तिगत अधिकारों का प्रवर्तन, स्थिति का निर्धारण आदि।

(पृष्ठों पर 196-197)

" उच्च न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं

भारत में ऐसे न्यायालय जिनमें अर्थ के बारे में परस्पर विरोधी विचार हैं

"दीवानी कार्यवाही" शब्द को दबाया गया था। कुछ मामलों में यह

अभिनिर्धारित किया गया था कि अभिव्यक्ति "दीवानी कार्यवाही" में एक शामिल नहीं है

रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय में कार्यवाही शुरू की गई

दावा किया गया, अधिकार का उल्लंघन किया गया और राहत ने वारंट की मांग की कि अनुमानः मामलों के एक अन्य समूह में यह माना गया है कि भले ही [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक रिट के लिए एक याचिका द्वारा शुरू की गई कार्यवाही आम तौर पर

सिविल कार्यवाही के रूप में वर्गीकृत, जहाँ अधिकारिता जो उच्च न्यायालय के अभ्यास राजस्व से संबंधित हैं, कार्यवाही नहीं है

सिविल। मामलों में दिए गए कारणों का अवलोकन करने पर संकेत मिलता है कि टिप्पणियों के बाद। दो प्रारंभिक शर्तें हैं -

प्रमाणपत्र प्रदान करने की शक्ति का प्रयोगः ((a) होना चाहिए

निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, और वह निर्णय, डिक्री या अंतिम

दीवानी कार्यवाही में आदेश दिया जाना चाहिए। ए में एक सलाहकार राय

कर संदर्भ के तहत प्रमाण पत्र के साथ अपील नहीं की जा सकती है

अनुच्छेद 133 क्योंकि राय कोई निर्णय, डिक्री या अंतिम नहीं है।

आदेश, और (बी) एक कार्यवाही दीवानी होना बंद नहीं करती है, जब राहत मिलती है

नागरिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए केवल इसलिए दावा किया जाता है क्योंकि

कार्यवाही का मुकदमा दीवानी मुकदमे के रूप में नहीं किया जाता है। अधिकांश में

ऐसे मामले जिनमें किसी मामले को प्रमाणित करने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

अनुच्छेद 133 (1) के तहत इसे नकार दिया गया था मान लिया कि अनुच्छेद में प्रयुक्त "अन्य कार्यवाही" अभिव्यक्ति

132 संविधान की प्रकृति की कार्यवाही है या इसमें शामिल है

एक राजस्व कार्यवाही, और इसलिए अभिव्यक्ति "नागरिक"

अनुच्छेद 133 (1) में "कार्यवाही" में राजस्व शामिल नहीं है।

आगे बढ़ रहे हैं। पहले से ही निर्धारित कारणों के लिए यह धारणा है

गलत "।

(पृष्ठ 199 पर)

इस निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि एक दीवानी कार्यवाही है

आवश्यक रूप से ऐसी कार्यवाही नहीं जो मुकदमा दायर करने के साथ शुरू होती है और

एक डिक्री के निष्पादन में समाप्त होता है। इसमें एक राजस्व कार्यवाही के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका शामिल होगी, यदि उसमें राहत नागरिक प्रकृति के अधिकारों को लागू करने के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि आपराधिक कार्यवाही को ऐसी कार्यवाही कहा जाता है जिसमें राज्य के व्यापक हित का संबंध होता है। इन परीक्षणों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि धारा 138 की कार्यवाही को "आपराधिक भेड़िया" में "सिविल शीप" कहा जा सकता है।

चूँकि यह पीड़ित के हित की रक्षा करने की मांग की जाती है, इसलिए राज्य के व्यापक हित को केवल पीड़ित द्वारा चेक उछाल के मामलों में अदालत का रुख करने में शामिल किया जा रहा है, जैसा कि हमने परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII के ऊपर किए गए विश्लेषण में देखा है।

44. गोप्लास्ट (पी) लिमिटेड बनाम। चिको उर्सुला डिसूज़ा (2003) 3

एस. सी. सी. 232, धारा 138 द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य उसके पैराग्राफ 3 में संक्षेप में दिया गया है:

ओ. एच. एन. आर. जे. और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 3. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि केवल बैंक को पत्र लिखने से पोस्ट-डेटेड चेक के भुगतान को रोकना मामले को अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं करता है। उन्होंने अधिनियम के अध्याय XVII में निहित प्रावधान के पीछे के उद्देश्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे की सराहना करने के लिए, इसके पीछे के उद्देश्य का उल्लेख करना आवश्यक है

धारा 138 से धारा 142 वाले अध्याय XVII का परिचय। इस अध्याय को बैंकिंग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और परक्राम्य लिखत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 66) द्वारा बैंकिंग संचालन की प्रभावशीलता में विश्वास पैदा करने और व्यापार लेनदेन में परक्राम्य उपकरणों को

विश्वसनीयता देने और बैंकिंग संचालन की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिनियम में पेश किया गया था। उदारीकरण की नीति के साथ

देश द्वारा अपनाया गया जिससे वृद्धि हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य, बैंकिंग में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो गया। विश्व व्यापार बैंकिंग संचालन के माध्यम से किया जाता है।

नकद लेनदेन के बजाय। इस संशोधन का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास और निर्भरता का माहौल बनाना था। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों द्वारा प्रस्तुत स्थिति पर अधिनियम की धारा 138 के लागू होने के प्रश्न पर विचार करते समय, विधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि किसी पक्ष को विलंबित भुगतान के तरीके के रूप में चेक का उपयोग करने की अनुमति है भुगतान और चेक का प्राप्तकर्ता इस विश्वास पर कि उसे नियत तिथि पर अपना भुगतान मिल जाएगा, चेक के माध्यम से इस तरह के स्थगित भुगतान को स्वीकार करता है, उसे आम तौर पर भुगतान न करने के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए। वह विश्वास, जिसकी विधायिका ने इच्छा की है कि

वाणिज्यिक लेन-देन में प्रेरित होने वाले साधन पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे यदि पक्षों को नियमित रूप से बैंकों को चेक के भुगतान को रोकने के लिए निर्देश जारी करके भुगतान में बाधा डालने की अनुमति दी जाती है। आज की दुनिया में जहां रोज़मर्रा के जीवन में नकदी का उपयोग होता है

वाणिज्यिक लेन-देन में उपकरण और उनके लिए प्लास्टिक का पैसा उपभोक्ता के रूप में दैनिक आवश्यकताएँ, यह और भी अधिक आवश्यक है कि ऐसे उपकरणों में लोगों का विश्वास मजबूत किया जाए

कमजोर हो जाता है। अधिनियम की धारा 138 से 142 में निहित प्रावधान

लोगों को उनका सम्मान नहीं करने से हतोत्साहित करने का इरादा है

चेक के माध्यम से भुगतान के माध्यम से प्रतिबद्धता। यह वांछनीय है कि न्यायालय को एक ऐसी व्याख्या के पक्ष में झुकना चाहिए जो क़ानून के उद्देश्य को पूरा करती है। [2021] 14 एस. सी. आर. में निहित दंडात्मक प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 138 से 142 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दायित्व

भुगतान के एक तरीके के रूप में चेक जारी करके किया जाता है

सम्मानित किया। एक पोस्ट-डेट चेक अपनी विश्वसनीयता खो देगा और

स्वीकार्यता यदि इसके भुगतान को नियमित रूप से रोका जा सकता है। चेक भुगतान का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त तरीका है और पोस्ट-डेट चेक का उपयोग अक्सर दैनिक जीवन में विभिन्न लेनदेन में किया जाता है। पोस्ट-डेटेड चेक का उद्देश्य चेक के ड्रॉअर को कुछ आवास प्रदान करना है। इसलिए, यह और भी आवश्यक है कि चेक के दराज़दार को चेक का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

एक पोस्ट-डेटेड चेक। यदि मामले को अधिनियम की धारा 138 के दायरे से बाहर करने के लिए पोस्ट-डेट चेक के भुगतान को रोकने की अनुमति दी जाती है, तो यह पक्ष को लाभ उठाने की अनुमति देने के बराबर होगा। अपनी ही गलती से। "

45. विनय देवन्ना नायक बनाम। रैयत सेवा सहकारी बैंक

(2008) 2 एस. सी. सी. 305, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने धारा 138 को इस प्रकार संदर्भित किया:

" 16. अधिनियम की धारा 138 को बैंकिंग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और परक्राम्य लिखत कानून द्वारा जोड़ा गया था।

(संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 66) देश के बढ़ते व्यापार, व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियों में वित्तीय वादों को विनियमित करने और अधिक से अधिक को बढ़ावा देने के लिए सख्त दायित्व

वित्तीय मामलों में सतर्कता। प्रावधान का समावेश दराज़ में लेनदार के विश्वास की रक्षा के लिए बनाया गया है

चेक, जो भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक जीवन के लिए आवश्यक है। यह प्रावधान एक दृष्टिकोण के साथ पेश किया गया है

अंधाधुंध चेक जारी करने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए

कठोर प्रावधान और लेनदारों के हितों की रक्षा करना। 17. जैसा कि इस न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी में कहा है

विकास निगम। लिमिटेड वी. भारतीय प्रौद्योगिकीविद् और इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) (पी) लिमिटेड [(1996) 2 एस. सी. सी. 739: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 454] धारा 138 को कानून की पुस्तक में लाने का उद्देश्य इसे लागू करना है।

पर्याप्त धन के बिना चेक जारी करने में परक्राम्य साधन या देय समय पर प्राप्तकर्ता या धारक को उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से। इस प्रकार यह बैंक संचालन ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. एंड ओ. आर. एस. की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना चाहता है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

और चेक के माध्यम से व्यवसाय के लेन-देन में विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। ऐसे मामलों में, इसलिए, आम तौर पर अपराधों के चक्रवृद्धि से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। संभवतः, संसद ने भी इस पहलू को महसूस किया और परक्राम्य लिखत (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम, 2002 (अधिनियम 55) द्वारा धारा 147 को शामिल किया।

2002)। उक्त खंड इस प्रकार है:

" 147. अपराध शमनीय होने चाहिए। - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध -

कम्पाउंडेबल "।

46. दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. (2010) 5 एस. सी. सी. इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों का एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह

विशेष रूप से, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 में चक्रवृद्धि प्रावधान शामिल है। सायन को निर्धारित करते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि:

" 10. वर्तमान में, हम निश्चित रूप से धारा 147 से संबंधित हैं।

अधिनियम, जो इस प्रकार है:

" 147. अपराध शमनीय होने चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध - कम्पाउंडेबल "।

इस बिंदु पर, यह स्पष्ट करना उचित होगा कि गैर-बाध्यकारी खंड को ध्यान में रखते हुए, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अपराधों का चक्रवृद्धि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147 और धारा 320 द्वारा अनुध्यात योजना द्वारा नियंत्रित है।

(इसके बाद "सी. आर. पी. सी".) सख्त अर्थों में लागू नहीं होगा क्योंकि बाद वाला दंड के तहत निर्दिष्ट अपराधों के लिए है।

(2) उक्त धारा उन अपराधों को निर्दिष्ट करती है जो हैं - न्यायालय की अनुमति के साथ शमनीय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 147 एक सक्षम प्रावधान की प्रकृति में है जो

उसी अधिनियम के तहत निर्धारित अपराधों का चक्रवृद्धि, जिससे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की उप धारा (9) में शामिल सामान्य नियम के लिए एक अपवाद के रूप में कार्य करता है जिसमें कहा गया है कि "इस धारा द्वारा प्रदान किए गए अपराध के अलावा कोई अपराध चक्रवृद्धि नहीं किया जाएगा"। इस प्रावधान को पढ़ने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि दंड संहिता के अलावा अन्य कानूनों के तहत भी दंडनीय अपराध

संयोजित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, चूंकि धारा 147 को एक विशेष कानून में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, इसलिए यह धारा 320 (9) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रभाव को ओवरराइड करेगी, विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि धारा 147 में एक गैर-बाधा खंड है।

XXX XXX XXX " 15. के. एम. इब्राहिम बनाम के. एम. इब्राहिम के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में चेक बाउंस होने के मामलों में मुकदमेबाजी के बाद के चरणों में अपराध के चक्रवृद्धि को भी अनुमेय माना गया है। के. पी. मोहम्मद [(2010) 1 एससीसी 798: (2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 921: (2009) 14 स्केल 262] जिसमें जे. कबीर ने उल्लेख किया है (एस. सी. सी. पी. पर। 802 , पैरा

13-14) :

अपराधों से। ..... 14. यह सच है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 के तहत आवेदन पक्षकारों द्वारा अपीलीय मंच के समक्ष कार्यवाही समाप्त होने के बाद किया गया था। हालांकि, उपरोक्त अधिनियम की धारा 147 पक्षों को धारा 138 के तहत अपराध को बढ़ाने से भी नहीं रोकती है।

कार्यवाहियों के अपीलीय चरण में। तदनुसार, हमें अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही में भी उपरोक्त अधिनियम की धारा 147 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है। संविधान। ”

16. यह स्पष्ट है कि एक के संयोजन की अनुमति

अपराध अपराध की कथित गंभीरता और प्रदान किए गए उपचार की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इस बिंदु पर हम एक अकादमिक टिप्पणी से निम्नलिखित उद्धरणों का उल्लेख कर सकते हैं [उद्धृत किए गए:

ओ. एच. एन. आर. जे. और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

के. एन. सी. पिल्लई, आर. वी. केलकर की आपराधिक प्रक्रिया, पाँचवाँ संस्करण।

(लखनऊ: ईस्टर्न बुक कंपनी, 2008) पी। 444] :

" 17.2 . अपराधों का संयोजन। अपराध अनिवार्य रूप से एक है

समाज और राज्य के खिलाफ गलत। अत: किसी भी

अभियुक्त व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समझौता

अपराध की पीड़ित को अभियुक्त को अपराधी से दोषमुक्त नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारी। हालांकि, जहां अपराध अनिवार्य रूप से हैं

एक निजी प्रकृति और अपेक्षाकृत काफी गंभीर नहीं, संहिता

उनमें से कुछ को पहचानना समीचीन समझता है

शमनीय अपराध और कुछ अन्य केवल शमनीय

अदालत की अनुमति से। "

17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में निम्नलिखित टिप्पणियां दी गई हैं:

अधिनियम की धारा 138 से उद्धृत [: अरुण मोहन, कुछ विचार धारा 138 के विषय पर कानून सुधारों की दिशा में, परक्राम्य

उपकरण अधिनियम-मामलों के हिमस्खलन से निपटना (नई दिल्ली):

यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कं. प्रा. लिमिटेड, 2009) पी. 5] :

" ..... अपराध के अन्य रूपों के विपरीत, यहाँ सजा

(जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) एक साधन नहीं है

प्रतिशोध की मांग करना, लेकिन भुगतान सुनिश्चित करने का अधिक साधन है

पैसा। शिकायतकर्ता का हित मुख्य रूप से वसूली में निहित है।

जेल में चेक के दराज को देखने के बजाय पैसा।

जेल की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक साधन है। इसके विपरीत

अभियुक्त जो जेल की सजा भुगतने को तैयार है, बहुत कम है

चेक धारक के लिए उपचार के रूप में उपलब्ध।

अगर हम दर्ज की गई शिकायतों की संख्या की जांच करें जो थीं

' एक तरफ अंतिम निर्णय से पहले समझौता किया गया 'या' निपटाया गया '

और वे मामले जो निर्णय और दोषसिद्धि के लिए आगे बढ़े

अन्य, हम पाएंगे कि थोक बसाया गया था और केवल एक छोटा सा

संख्या जारी रही। "

18. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपमान के अपराध के संबंध में

चेक का, यह उपचार का प्रतिपूरक पहलू है जो

दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ..... "

(जोर दिया गया)

इस निर्णय के बाद इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। अमरलाल वी. जुमानी, (2012) 3 एससीसी 255, कहते हुए:

[2021] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 68. उपरोक्त कथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एन. आई. अधिनियम के तहत उस अपराध के उद्देश्य और कारण, जो

धारा 320 उप-धारा को देखते हुए पहले गैर-शमनीय (9) संहिता अब शमनीय हो गई है। ऐसा नहीं है।

इसका मतलब है कि धारा 147 का प्रभाव सभी वैधानिक कानूनों को समाप्त करना है।

विधि से संबंधित संहिता की धारा 320 के प्रावधान और

अपराध के चक्रवृद्धि का तरीका। धारा 147 केवल

संहिता की धारा 320 (9) के तहत अपराध के रूप में ओवरराइड करें

एन. आई. अधिनियम की धारा 147 का संबंध है। यह भी अनुपात है

दामोदर में [(2010) 5 एससीसी 663: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. वी.) 520: (2010)

2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1328] (पैरा 12 देखें)। अतः प्रस्तुत करना

इसके विपरीत अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील नहीं हो सकता है

स्वीकार कर लिया "।

इसके बाद अदालत ने आपराधिक मामले में चक्रवृद्धि के इतिहास पर गौर किया

एस निम्नलिखित हैः

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सामान्य कानून में चक्रवृद्धि थी एक दुराचार माना जाता है। केनी की आपराधिक रूपरेखाओं में

कानून (19 वीं संस्करण, 1966) में चक्रवृद्धि की अवधारणा का पता लगाया गया है।

इस प्रकार हैः (पी। 407, पैरा 422)

" 422. दया दिखानी चाहिए, बेची नहीं जानी चाहिए। यह एक

सामान्य कानून में दुराचार एक अपराध को 'चक्रवृद्धि' करने के लिए (और

शायद एक दुराचार को बढ़ाने के लिए भी); यानी सौदेबाजी करने के लिए,

मूल्य के लिए, उस अपराधी पर मुकदमा चलाने से बचना जिसके पास है

एक अपराध किया। आप यह अपराध करते हैं यदि आप एक वादा करते हैं

चोर उस पर मुकदमा नहीं चलाएगा अगर वह अपना सामान वापस कर देगा

आपसे चोरी की; लेकिन आप कानूनी रूप से उन्हें वापस ले सकते हैं यदि आप ऐसा कोई वादा न करें। आप दया दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बेचना नहीं चाहिए

दया करें। चक्रवृद्धि का यह अपराध बेयर द्वारा किया जाता है

समझौते का कार्य; भले ही बाद में यौगिक

उसका समझौता तोड़ता है और अपराधी पर मुकदमा चलाता है। और

जहाँ तक कानून केवल घायल व्यक्ति को ही अनुमति नहीं देता है

मुकदमा चलाएँ, इस तरह की रचना करना किसी के लिए भी आपराधिक है; भले ही उन्हें कोई चोट न लगी हो और वास्तव में उन्हें कोई चिंता नहीं है

अपराध के साथ।

(मूल में जोर)

ओ. एच. एन. आर. जे. और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

79. अपराध पर रसेल (12 वीं संस्करण) भी वर्णन करता है:

" आपराधिक अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाने या अभियोजन को दबाने के लिए समझौते कुछ मामलों में आपराधिक हैं। (च. 22 - चक्रवृद्धि अपराध, पृ. 339.)

80. बाद में कुछ श्रेणियों के मामलों में चक्रवृद्धि की अनुमति दी गई, जहां आम जनता के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन सभी मामलों में इस तरह के चक्रवृद्धि की अनुमति सहमति से दी जाती है।

घायल पक्ष से।

81. हमारे देश में भी जब दंड प्रक्रिया संहिता, 1861 अधिनियमित की गई थी, तो यह अपराध के चक्रवृद्धि के बारे में चुप थी।

इसके बाद, जब 1872 की अगली संहिता पेश की गई

धारा 188 में संयोजन के बारे में उल्लेख किया गया है

संयोजन का तरीका। हालाँकि, इसमें यह घोषणा करने वाला कोई प्रावधान नहीं था कि कौन से अपराध शमनीय थे। के बारे में निर्णय

के तहत परिभाषित और अनुमेय अपराधों का चक्रवृद्धि करना दंड संहिता। वर्तमान संहिता, जिसने 1898 की संहिता को निरस्त कर दिया था, में धारा 320 शामिल है जिसमें व्यापक प्रावधान हैं -

संयोजन।

82. धारा 320 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि धारा 320 और विभिन्न उप-धाराओं में निहित प्रावधान अपने आप में अपराध के चक्रवृद्धि से संबंधित एक संहिता है। यह विभिन्न के लिए प्रदान करता है

संयोजन। यदि यह न्यायालय अपीलार्थी के इस तर्क को बरकरार रखता है कि एन. आई. अधिनियम में धारा 147 को शामिल करने के परिणामस्वरूप, संहिता की धारा 320 की प्रक्रिया के पूरे सरगम को एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध के चक्रवृद्धि के लिए लागू नहीं किया जाता है, तो उस मामले में एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध का चक्रवृद्धि होगा - पूरी तरह से दिशाहीन या अनियंत्रित छोड़ दिया। इस तरह की व्याख्या बेतुकी या अनुचित होने के अलावा संहिता की धारा 4 (2) के प्रावधानों के विपरीत भी होगी, जिस पर ऊपर चर्चा की गई है। संयोजन के लिए कोई अन्य वैधानिक प्रक्रिया नहीं है

एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध। इसलिए, एन. आई. अधिनियम की धारा 147 का उचित रूप से यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि उक्त [2021] 14 एस. सी. आर. के परिणामस्वरूप।

धारा एन. आई. अधिनियम के तहत अपराधों को शमनीय बनाया जाता है,

लेकिन इस तरह के चक्रवृद्धि के मुख्य सिद्धांत, अर्थात्, पीड़ित व्यक्ति या घायल व्यक्ति या शिकायतकर्ता की सहमति को रद्द नहीं किया जा सकता है और न ही इसे एन. आई. अधिनियम की धारा 147 के आधार पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। "
47. कौशल्या देवी मस्संद बनाम। रूपकिशोर खोरे,

(2011) 4 एस. सी. सी. 593, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने संक्षेप में कहा:

" 11. की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद

पक्षकार, हमारा विचार है कि शिकायत की गंभीरता

परक्राम्य लिखत अधिनियम को अपराध के बराबर नहीं माना जा सकता है।

दंड संहिता, 1860 या अन्य आपराधिक प्रावधानों के तहत

अपराध। परक्राम्य की धारा 138 के तहत एक अपराध लिखत अधिनियम, 1881, लगभग एक नागरिक गलती की प्रकृति में है।

जिसे आपराधिक रंग दिया गया है "।

(जोर दिया गया)

(यह धारा 138 की कार्यवाही का सबसे स्पष्ट प्रतिपादन है।

"आपराधिक भेड़िये" के कपड़ों में एक "नागरिक भेड़"।)

48. आर. विजयन बनाम। बेबी, (2012) 1 एस. सी. सी. 260, इस न्यायालय ने संदर्भित किया

परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII के प्रावधानों के लिए, यह देखते हुए कि अध्याय XVII एक अनूठा अभ्यास है जो नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकारों के बीच विभाजन रेखा को धुंधला करता है। न्यायालय ने कहा:

" 16. हम धारा के तहत मामलों के एक पहलू को संबोधित करने का प्रस्ताव करते हैं।

138 अधिनियम, जिसके बारे में दामोदर एस. में नहीं बताया गया है।

प्रभु [(2010) 5 एससीसी 663: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1328: (2010) 2

अधिनियम की धारा 138 वास्तव में दीवानी मामले हैं आपराधिक मामले। अधिनियम के अध्याय XVII का घोषित उद्देश्य है -

चेक के उपयोग की संस्कृति को प्रोत्साहित करना और इसे बढ़ाना।

उपकरण की विश्वसनीयता "। वास्तव में, इसका उद्देश्य प्रतीत होता है

दंडात्मक के साथ-साथ प्रतिपूरक और प्रतिस्थापन दोनों, के संबंध में

अनादर के मामलों की जाँच करें। अधिनियम का अध्याय XVII एक अनूठा है अभ्यास जो नागरिक और आपराधिक के बीच विभाजन रेखा को धुंधला करता है

अधिकार क्षेत्र। यह एकल मंच और एकल कार्यवाही प्रदान करता है, क्योंकि

आपराधिक दायित्व का प्रवर्तन (चेक का अनादर करने के लिए) और

नागरिक दायित्व के प्रवर्तन के लिए (चेक ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. और ओ. आर. एस. की प्राप्ति के लिए।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

राशि) जिससे ऋणदाता को राहत के लिए दो अलग-अलग मंचों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट होता है -

अधिनियम के अध्याय 17 के प्रावधान:

जुर्माना लगाने का प्रावधान जो इससे जुड़ा हुआ है

((i)

चेक राशि और चेक की राशि के दोगुने तक बढ़ सकती है (धारा 138) जिससे धारा 357 (3) चेक के अपमान के रूप में लगभग निष्फल हो जाती है।

मामले संबंधित हैं।

((ख)

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को शुल्क लगाने में सक्षम बनाने का प्रावधान जुर्माने की अधिकतम सीमा के बावजूद 5000 रुपये (धारा 143) से अधिक का जुर्माना, जैसा कि धारा द्वारा लगाया गया है।

29 (2) कोड से।

(iii) समन की सेवा के तरीके (धारा 144) से संबंधित प्रावधान, जैसा कि निर्धारित तरीके से विपरीत है।

संहिता की धारा 62 में आपराधिक मामलों के लिए।

((iv) शिकायतकर्ता से शपथ पत्र (धारा 145) द्वारा साक्ष्य लेने का प्रावधान जो संहिता में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया के विपरीत दीवानी कार्यवाही में अधिक प्रचलित है।

सभी अपराधों को दंडनीय बनाने का प्रावधान

(v)

अधिनियम की धारा 138 शमनीय है।

17. स्पष्ट इरादा यह सुनिश्चित करना है कि न केवल अपराधी को दंडित किया जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता को धारा के तहत मुआवजे के रूप में चेक की राशि हमेशा प्राप्त हो।

357 (1) ((ख) संहिता। हालांकि धारा 138 के तहत एक शिकायत

अधिनियम के अपराध के लिए आपराधिक दायित्व के संबंध में है

चेक का अनादर करना और चेक की वसूली के लिए नहीं

राशि (जिसे सख्ती से बोलते हुए, एक नागरिक द्वारा लागू किया जाना है)

), व्यवहार में एक बार जब अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है, तो चेक की राशि की वसूली के लिए शायद ही कभी दीवानी मुकदमा दायर किया जाता है। यह उस प्रावधान के कारण है जो अदालत को चेक राशि से जुड़ा जुर्माना लगाने में सक्षम बनाता है और सामान्य निर्देश में

ऐसे मामले मुआवजे के रूप में भुगतान के लिए हैं, चेक राशि, शिकायतकर्ता द्वारा अपमान के कारण हुए नुकसान के रूप में

संहिता की धारा 357 (1) (बी) के तहत चेक और अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों को बढ़ाने का प्रावधान। अधिकांश मामलों (उन मामलों को छोड़कर जहां देयता से इनकार किया जाता है) को [2021] 14 एस. सी. आर. मिलता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चेक के भुगतान द्वारा एक या दूसरे चरण में चक्रवृद्धि

ब्याज) चेक राशि के अनुरूप जुर्माना लगाकर। एक ऐसी अवस्था आ गई है जब अधिकांश शिकायतकर्ता, विशेष रूप से

वित्तपोषण संस्थान (विशेष रूप से निजी वित्तपोषक) का मानना है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही,

चेक राशि की वसूली, के दराज की सजा

अपमान के अपराध के लिए चेक, गौण हो जाता है।"

(जोर दिया गया)

49. दशरथ में रूपसिंह राठौड़ बनाम। महाराष्ट्र राज्य,

(2014) 9 एस. सी. सी. 129, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस सवाल का जवाब दिया कि क्या चेक अनादर की शिकायतें दायर करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र उस अदालत तक सीमित है जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है, जो वह स्थान है जहां चेक का अनादर किया गया है, यानी उस बैंक द्वारा बिना भुगतान किए लौटाया गया है जिस पर इसे निकाला गया है। इस निर्णय को यहां ऊपर निर्धारित परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 (2) द्वारा विधायी रूप से खारिज कर दिया गया है। हालांकि, श्री मेहता ने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन के फैसले के पैराग्राफ 15.2 और 17 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है:

" 15.2 . हमने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह संक्षिप्त अध्ययन किया है

कि संसदीय बहसों की एक सीमित भूमिका है

विधानों की व्याख्या, यह धारणा कि विधायक

जो स्पष्ट रूप से अपने इरादों और अपेक्षाओं को व्यक्त करते हैं अधिनियमों। जो बात स्पष्ट है वह यह है कि संसद

अन्य बातों के साथ-साथ महामारी के संदर्भ में दोषपूर्ण होने की कल्पना द्वारा जिसमें धारा 138 और बाद की धाराएँ शामिल हैं, जो

अभियोजन पक्ष के बचाव को गंभीर रूप से कम करें। संसद भी थी

अपराध को चेक के अपमान के रूप में परिभाषित करता है खाते में निधियों की अपर्याप्तता आदि। बेशक, शीर्षक, पी. मोहनराज और ओआरएस।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

किसी विधान के अंश के शीर्षक या प्रारंभिक शब्द आम तौर पर वास्तविक धारा के विस्तार के बारे में सख्ती से या व्यापक रूप से निर्धारक नहीं होते हैं, लेकिन यह अपने इरादे का अनुमान लगाता है। फ्रिरक इंडिया लिमिटेड बनाम देखें। भारत संघ [(1990) 1 एससीसी 400: 1990 एस. सी. सी. (कर) 185] और फोरेज एंड कंपनी v. नगर निगम। ग्रेटर बॉम्बे [(1999) 8 एस. सी. सी. 577]। तदनुसार, जब तक कि धारा के प्रावधान स्पष्ट रूप से इसके विपरीत इंगित नहीं करते हैं, अपराध है - एक चेक के अपमान से संबंधित; और हमारे सामने पहेली में इस प्रावधान का मुख्य भाग उसी लय में बोलता है क्योंकि यह एक चेक को "बैंक द्वारा भुगतान किए बिना वापस किए जाने" को संदर्भित करता है। आई. पी. सी. के किसी भी प्रावधान को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 द्वारा निरर्थक नहीं बनाया गया है और दोनों अपने आप काम करते हैं। यह है।

मान लीजिए कि पुरुषों का अधिकार हर अपराध का सार है। संसद का उद्देश्य वाणिज्यिक निविदा के रूप में अन्य परक्राम्य उपकरणों से अलग चेक के उपयोग को मजबूत करना था और इसलिए एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अपराध को पुरुष अधिकार साबित करने की आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक हो गया।

यह न केवल धारा 138 के तहत बल्कि बाद की दो धाराओं के आधार पर भी अपराध को अपराध मानता है। धारा 139 यह बताती है कि यह धारणा कि चेक धारक ने इसे किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए प्राप्त किया है। धारा 140 स्पष्ट करती है कि दराज़दार के लिए यह बचाव के रूप में उपलब्ध नहीं होगा कि उसके पास यह विश्वास करने का

कोई कारण नहीं था, जब उसने चेक जारी किया था, कि इसका अपमान किया जाएगा। धारा 138 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपराध किया गया है

जल्द ही निकासी बैंक भुगतान न किए गए चेक को वापस कर देता है।

इस मामले में ध्यान उस अदालत पर था जिसके अधिकार क्षेत्र में धारा 138 के तहत अपराध हुआ कहा जा सकता है। यह

इसलिए, मामले की उस बिंदु के साथ कोई सीधी प्रासंगिकता नहीं है जिसका हमारे सामने आग्रह किया गया है।

50. लाफार्ज एग्रीगेट्स एंड कंक्रीट इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम

सुकर्श आजाद, (2014) 13 एस. सी. सी. 779, इस न्यायालय ने इन प्रावधानों की संकर प्रकृति का वर्णन करने में पहले के निर्णयों की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए कहा:

" 6. प्रत्यर्थियों ने उक्त राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है लेकिन अपीलार्थी ने भुगतान स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और जोर देकर कहा है कि वापस बुलाए जाने के आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ अपील को इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए। अपीलार्थी के वकील ने कहा कि केवल [2021] 14 एस. सी. आर.

क्योंकि अभियुक्त ने बाद में भुगतान करने की पेशकश की है।

इस स्थिति में, वही शिकायतकर्ता अपीलार्थी को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है और शिकायतकर्ता अपीलार्थी उस शिकायत को आगे बढ़ाने में उचित होगा जो परक्राम्य लिखत के तहत दर्ज की गई थी। अधिनियम, 1881। उसकी प्रस्तुति के समर्थन में, अपीलार्थी के वकील ने रजनीश अग्रवाल बनाम पर भी भरोसा किया। अमित जे. भल्ला [(2001) 1 एससीसी 631: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 229] 1.

8. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 को कानून पर लाने का उद्देश्य बैंकिंग संचालन की प्रभावशीलता और परक्राम्य लिखतों के लेन-देन में विश्वसनीयता में विश्वास पैदा करना प्रतीत होता है। कई उपायों के बावजूद, अधिनियम की धारा 138 का उद्देश्य बैंक में अपने खाते में पर्याप्त धन के बिना चेक निकालने के लिए परक्राम्य साधन के दराज की ओर से बेईमानी को रोकना है और देय समय पर प्राप्तकर्ता या धारक को उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए, एक बार जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी राशि के भुगतान या देयता या ऋण के निर्वहन के लिए उसके द्वारा रखे गए खाते का चेक निकाला जाता है या (i) दराज को

संदर्भित करना, (ii) व्यवस्था से अधिक, और (iii) भुगतान रोकने के लिए निर्देश और अन्य सामान्य समर्थन की तरह, यह अधिनियम की धारा 138 के अर्थ के भीतर अपमान के बराबर है। इसलिए, नोटिस जारी होने के बाद भी यदि प्राप्तकर्ता या धारक निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं करता है, तो वैधानिक अनुमान आपराधिक दायित्व को उजागर करने के लिए बेईमान इरादे का होगा।

XXX XXX XXX

रजनीश अग्रवाल बनाम में निर्णय। अमित जे. भल्ला, (2001) 1 एस. सी. सी. 631 परक्राम्य लिखत अधिनियम में 2002 और 2018 के संशोधन अधिनियमों से पहले दिया गया था। धारा 143 से 148 को लागू करके प्रावधानों में बोधगम्य बदलाव आया है इस न्यायालय द्वारा इसके ऊपर ध्यान दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस निर्णय में निहित टिप्पणियां अब मान्य नहीं होंगी।

ओ. एच. एन. आर. जे. और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 10. हालांकि, समानता, न्याय और निष्पक्षता के हित में, हम प्रतिवादियों को 5 लाख रुपये की राशि के लिए उनके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट जारी करके अपीलार्थी को भुगतान करने का निर्देश देना उचित समझते हैं, जिसे कुल राशि के रूप में माना जाएगा।

उस चेक के प्रति ब्याज और क्षतिपूर्ति जिसके लिए रोक लगे

भुगतान के निर्देश जारी किए गए थे। यदि वही अपीलार्थी को स्वीकार्य नहीं है, तो यह उनकी पसंद है लेकिन यह उन्हें अनुमति नहीं देगा

शिकायत के अनुसरण में यहाँ उत्तरदाताओं पर मुकदमा चलाएँ

जिसे उन्होंने इन दोनों उत्तरदाताओं को शामिल करते हुए दायर किया है।

51. मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स (पी) लिमिटेड v. कंचन मेहता,

3) 1 एस. सी. सी. 560, इस न्यायालय ने धारा 138 के उद्देश्य पर ध्यान दिया और

अध्याय XVII में किया गया, और मामले के कानून को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया

बनाम :

" 6. धारा 138 और अन्य प्रावधानों को लागू करने का उद्देश्य

वर्ष 1988 में अधिनियम में अध्याय XVII [बैंकिंग के माध्यम से,

सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और परक्राम्य लिखत कानून

(संशोधन) अधिनियम, 1988] की स्वीकार्यता को बढ़ाना था

देनदारियों के निपटान में चेक। चेक का दराज़ है

सुरक्षा उपायों के साथ चेक के अपमान पर अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाया गया

ईमानदार दराजों के उत्पीड़न को रोकने के लिए। द नेगोशिएबल

लिखत (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम,

ऐसे मामलों से निपटने की प्रक्रिया। संशोधन में शामिल हैं - स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा समन की सेवा के लिए प्रावधान, सारांश

मुकदमा चलाना और अपराध को शमनीय बनाना।

7. इस न्यायालय ने नोट किया है कि क़ानून का उद्देश्य सुविधा प्रदान करना था

व्यावसायिक लेन-देन का सुचारू संचालन। प्रावधान यह है कि

आवश्यक है क्योंकि कई लेन-देनों में चेक केवल इस रूप में जारी किए गए थे लेनदारों को धोखा देने का एक उपकरण। चेक की बेइज्जती के कारण

अभेद्य नुकसान, चोट और प्राप्तकर्ता और विश्वसनीयता के लिए असुविधा

लिमिटेड वी. चिको उर्सुला डिसूज़ा, (2004) 2 एस. सी. सी. 235, पी. 248 , पैरा 26 : 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 499] साथ ही, यह भी नोट किया गया कि धारा 138 के तहत अपराध की प्रकृति मुख्य रूप से एक नागरिक गलती से संबंधित है और 2002 के संशोधन ने विशेष रूप से इसे शमनीय बना दिया। [विनय

देवन्ना नायक बनाम। रयत सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, (2008) 2 एस. सी. सी. 305: (2008) 1 एस. सी. सी. (सी. वी.) 542: (2008) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 351 अपराध

इसे "नियामक अपराध" के रूप में भी वर्णित किया गया था। सबूत का बोझ [2021] 14 एस. सी. आर.

धारा 139 के तहत अनुमान को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त पर था और सबूत का मानक "संभावनाओं की प्रधानता" का था। [रंगप्पा बनाम। श्री मोहन, (2010) 11 एस. सी. सी. 441, पी. 454 , पैरा 28:

प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में चेक की राशि प्राप्त हो। हालाँकि धारा 138 के तहत कार्यवाही को वसूली के लिए दीवानी मुकदमों के रूप में नहीं माना जा सकता था, लेकिन प्रावधान की योजना, कारावास या जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान करती है जो चेक की राशि के दोगुने या दोनों तक हो सकती है, ने कानून के इरादे को स्पष्ट कर दिया। शिकायतकर्ता को न केवल चेक राशि दी जा सकती है, बल्कि ब्याज और लागत को पूरा करने के लिए दोगुनी राशि भी दी जा सकती है। अनुभाग 357 (1) (ख) सी. आर. पी. सी. जुर्माने में से अपराध के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करता है। [आर. विजयन बनाम बेबी, (2012) 1 एस. सी. सी. 260, पी. 264 , पैरा 9: (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. वी.) 79: (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 520] जहाँ जुर्माना नहीं लगाया जाता है, वहाँ नुकसान झेलने वाले व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (3) के तहत मुआवजा दिया जा सकता है।

चूक में सजा भी लगाई जा सकती है। प्रावधान का उद्देश्य यह केवल दंडात्मक नहीं है, बल्कि अभियुक्त को परक्राम्य साधनों का सम्मान करने के लिए कहा जाता है। [लाफार्ज एग्रीगेट्स एंड कंक्रीट इंडिया (पी)

लिमिटेड वी. सुकर्श आज़ाद, (2014) 13 एस. सी. सी. 779, पी. 781 , पैरा 7: (2014) 5 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 818 "

अदालत ने तब निष्कर्ष निकाला: " 18. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित पहलू सामने आते हैं:

18.1 . अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध मुख्य रूप से एक नागरिक गलती है। धारा 139 के तहत अनुमान को देखते हुए सबूत का बोझ आरोपी पर है, लेकिन इस तरह के सबूत का मानक "प्रमुखता" है। संभावनाएँ "। इस पर आम तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संक्षिप्त परीक्षण के प्रावधानों के अनुसार संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के बदलाव के साथ जो दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVII के तहत कार्यवाही के लिए उपयुक्त हो।

एक्ट करें। इस प्रकार पढ़ें, धारा 258 सी. आर. पी. सी. का सिद्धांत लागू होगा और अदालत कार्यवाही को बंद कर सकती है और आरोपी को इस संतुष्टि पर आरोपमुक्त कर सकती है कि निर्धारित लागत के साथ चेक की राशि और ब्याज का भुगतान किया जाता है और यदि दंडात्मक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है

पहलू।

18.2 . प्रावधान का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रतिपूरक होना,

दंडात्मक तत्व मुख्य रूप से ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. और ओ. आर. एस. को लागू करने के उद्देश्य से है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रतिपूरक तत्व, प्रारंभिक चरण में चक्रवृद्धि होनी चाहिए

प्रोत्साहित किया जाता है लेकिन बाद के चरण में उचित के अधीन प्रतिबंधित नहीं किया जाता है क्षतिपूर्ति जो पक्षों को स्वीकार्य पाई जा सकती है या

अदालत।

18.3 . यद्यपि चक्रवृद्धि के लिए दोनों पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है, यहां तक कि

अपने विवेकाधिकार में कार्यवाही को बंद कर सकते हैं और निर्वहन कर सकते हैं अभियुक्त।

18.4 . अधिनियम के अध्याय XVII के तहत मामलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया

आम तौर पर सारांश होना चाहिए। मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार

धारा 143 के दूसरे परंतुक के तहत, यह अभिनिर्धारित करना कि यह अवांछनीय था

एक वर्ष से अधिक की सजा के रूप में मामले का संक्षिप्त परीक्षण करना पास होना है, आगे विचार करने के बाद प्रयोग किया जाना है

तथ्य यह है कि कारावास की सजा के अलावा, अदालत ने

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (3) के तहत अधिकार क्षेत्र

आई. पी. सी. की धारा 64 के तहत डिफ़ॉल्ट सजा के साथ मुआवजा और

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 431 के तहत वसूली की और शक्तियों के साथ। के साथ

इस दृष्टिकोण से, एक वर्ष से अधिक की जेल की सजा नहीं हो सकती है सभी मामलों में आवश्यक।

18.5 . चूँकि शिकायत का साक्षय शपथ पत्र पर दिया जा सकता है,

न्यायालय द्वारा शपथपत्र देने वाले व्यक्ति को समन किए जाने के अधीन और

उसकी और बैंक की पर्ची की जांच करना प्रथम दृष्टया सबूत है

चेक का अनादर, मजिस्ट्रेट के लिए यह अनावश्यक है

कोई और प्रारंभिक साक्षय दर्ज करें। इस तरह के शपथ पत्र साक्षय

मुकदमे या अन्य कार्यवाहियों के सभी चरणों में साक्षय के रूप में पढ़ा जा सकता है।

धारा 143 आवश्यक हो जाती है, जहां एक वर्ष की सजा धारा 357 (3) के तहत पुरस्कार और मुआवजा दिया जा सकता है।

राशि को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त माना जाता है

चेक, वित्तीय क्षमता और अभियुक्त का आचरण कोई अन्य परिस्थितियाँ। 2

(जोर दिया गया)

निर्णय को बाद में मकवाना मंगलदास में अनुमोदन के साथ v के रूप में संदर्भित किया गया था। गुजरात राज्य, (2020) 4 एस. सी. सी. 695 (पैराग्राफ 17 और 18 पर)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. एम. अब्बास हाजी बनाम मामले में हाल के एक फैसले में। टीएन.

चन्नकेशव, (2019) 9 एस. सी. सी. 606, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 6. हमारे समक्ष यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने सीमाओं का उल्लंघन किया है

जिसे अपीलीय न्यायालय आपराधिक मामलों द्वारा अलग करने के लिए बाध्य है दोषमुक्त करने का आदेश। अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही

अर्ध-आपराधिक कार्यवाही हैं। सिद्धांत, जो लागू होते हैं अन्य आपराधिक मामलों में बरी होना, इन मामलों पर लागू नहीं हो सकता है। ..... "

(जोर दिया गया)

इसी तरह, एच. एन. जगदीश बनाम। आर. राजेश्वरी, (2019) 16 एससीसी

730 , इस न्यायालय ने फिर से अपराध की अर्ध-आपराधिक प्रकृति की ओर संकेत किया:

" 7. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा दृष्टिकोण है

अनुज्ञेय है और इस उद्देश्य के लिए उसने निर्णय पर भरोसा किया है ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम में इस न्यायालय का। की स्थिति

गुजरात [ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम। गुजरात राज्य,

(2004) 4 एससीसी 158: 2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 999] हम डरते हैं कि

उपरोक्त निर्णय के अनुपात को तथ्यों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है - यह मामला, विशेष रूप से जब हम पाते हैं कि वर्तमान मामला एक है

धारा 138 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत मामला

अधिनियम और जहाँ कार्यवाहियाँ भी अर्ध-आपराधिक प्रकृति की हों।

(जोर दिया गया)

53. इन निर्णयों को देखने से पता चलता है कि ग्रेवमेन

धारा 138 के तहत किसी कार्यवाही का, हालांकि उस कार्य को एक अपराध की शिकायत करने वाली भाषा में जोड़ा गया है, वास्तव में एक संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से वापस पाने के लिए है, जो अनादरित चेक में निहित राशि है।

ब्याज और लागतों के साथ, तेजी से और सस्ते में। हम पहले ही देख चुके हैं कि केवल पीड़ित ही शिकायत दर्ज कर सकता है जो आम तौर पर मुआवजे के रूप में जुर्माने के भुगतान में समाप्त होती है जो चेक की राशि से दोगुनी हो सकती है जिसमें चेक की राशि और ब्याज और उस पर होने वाली लागत शामिल होगी। परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII के हमारे विश्लेषण को देखते हुए इसमें किए गए संशोधन और यहां ऊपर उद्धृत मामले की कानून, यह स्पष्ट है कि एक अर्ध-आपराधिक कार्यवाही जो परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII में निहित है, आई. बी. सी. की धारा 14 के उद्देश्य और संदर्भ को देखते हुए, धारा 14 (1) (ए) के अर्थ के भीतर एक "कार्यवाही" के बराबर होगी, जो इस तरह की कार्यवाही से जुड़ी रोक है।

पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

क्वासी-आपराधिक प्रक्रियाएँ

54. श्री लेखी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कड़ा रुख अपनाया

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही का वर्णन करने के लिए "अर्ध-आपराधिक" अभिव्यक्ति के उपयोग पर आपत्ति, जिसे उनके अनुसार, केवल आपराधिक कार्यवाही के रूप

में वर्णित किया जा सकता है। यही कारण है कि इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप कारावास या जुर्माना या दोनों होते हैं, जो ऐसे दंड हैं जो केवल आपराधिक कार्यवाहियों में लगाए जा सकते हैं जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में कहा गया है। यह है। श्री लेखी से सहमत होना मुश्किल है। ऐसे कार्यों के कई उदाहरण हैं जो कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय हैं जिन्हें अर्ध-आपराधिक के रूप में वर्णित किया गया है। एक उदाहरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 630 का उल्लंघन है। यह खंड इस प्रकार है:

" 630. गलत तरीके से संपत्ति को रोकने के लिए दंड। — (1) यदि किसी कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी

(क) कंपनी की किसी भी संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा प्राप्त करता है;

या

(बी) अपने कब्जे में ऐसी कोई संपत्ति होने पर, इसे गलत तरीके से रोकता है या जानबूझकर इसे लेखों में व्यक्त या निर्देशित और इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों पर लागू करता है;

(2) अपराध की सुनवाई करने वाला न्यायालय ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को अदालत द्वारा तय किए जाने वाले समय के भीतर, ऐसी किसी भी संपत्ति को गलत तरीके से प्राप्त करने या गलत तरीके से वापस करने का आदेश भी दे सकता है।
रोके गए या जानबूझकर गलत तरीके से लागू किए गए या चूक में, दो साल तक की अवधि के लिए कारावास का सामना करना पड़ सकता है।

अभिलाष विनोदकुमार जैन बनाम। कॉक्स एंड किंग्स (इंडिया) लिमिटेड, (1995) 3 एस. सी. सी. 732, इस न्यायालय ने जांच की कि क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 630 के तहत एक याचिका कंपनी की संपत्ति की पुनर्प्राप्ति के लिए एक मृत अधिकारी या कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ बनाए रखने योग्य है। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि यह इतना पुनर्प्राप्त करने योग्य था, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 15. भले ही अधिनियम की धारा 630 कंपनी अधिनियम के भाग XIII में आती है और कंपनी की संपत्ति को गलत तरीके से रोकने के लिए दंडात्मक परिणामों का प्रावधान करती है, लेकिन सख्ती से बोलते हुए प्रावधान उस अर्थ में दंडात्मक नहीं हैं जैसा कि दंडात्मक [2021] 14 एस. सी. आर. के तहत समझा जाता है।

कानून। प्रावधान अर्ध-आपराधिक हैं। उन्हें लागू किया गया है

किसी कंपनी को शीघ्र राहत प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ जब

इसकी संपत्ति गलत तरीके से प्राप्त की गई है या गलत तरीके से किसी व्यक्ति द्वारा रोकी गई है। कर्मचारी या अधिकारी या पूर्व कर्मचारी या पूर्व अधिकारी या कोई भी व्यक्ति

उनके तहत दावा करना। हमारी राय में, एक उचित निर्माण धारा यह होगी कि किसी कंपनी का "अधिकारी या कर्मचारी" शब्द

कानूनी उत्तराधिकारी और कर्मचारी या अधिकारी के प्रतिनिधि कंपनी की संपत्ति पर कब्जा जारी रखने से संबंधित

कर्मचारी या अधिकारी की मृत्यु के बाद।

16. गलत तरीके से प्राप्त करने के लिए धारा 630 की उप-धारा (1) के तहत

कंपनी की संपत्ति का कब्जा या गलत तरीके से

इसे रोकना या जानबूझकर इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसे लागू करना।

कंपनी, कर्मचारी या संबंधित अधिकारी द्वारा अधिकृत

"जुर्माने से दंडनीय है जो एक हजार रुपये तक हो सकता है"।

इस उप-धारा के तहत 'जुर्माना' को प्रकृति में समझा जाना चाहिए।

संपत्ति को गलत तरीके से रोकने के लिए 'मुआवजे' का कंपनी। उप-धारा (2) के तहत जो दंडनीय बनाया गया है वह है -

न्यायालय के आदेश की अवज्ञा, व्यक्ति को निर्देश देना,

कर्मचारी या कर्मचारी के अधिकार के बाद व्यवसाय में बने रहना कब्जा करने वाला अधिकारी बुझ गया है, देने या वापस करने के लिए

अदालत द्वारा तय किए जाने वाले समय के भीतर, कंपनी की संपत्ति

प्राप्त किया गया या गलत तरीके से रोका गया या जानबूझकर गलत तरीके से लागू किया गया। इस प्रकार यह

न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की स्थिति में, कि दो साल तक की अवधि के लिए कारावास

निर्धारित किया गया। प्रावधान चूककर्ता बनाता है, क्या एक

कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी या कर्मचारी का कानूनी उत्तराधिकारी,

जो संपत्ति को वापस सौंपने के अदालत के आदेश की अवज्ञा करता है

कंपनी निर्धारित समय के भीतर सजा के लिए उत्तरदायी है।

(जोर दिया गया)

ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, न्यायालय ने प्रावधान का सख्ती से अर्थ नहीं निकाला,

यह करने के लिए बाध्य होता अगर यह विशुद्ध रूप से आपराधिक होता,

स्टेड ने इसे निम्नानुसार एक व्यापक, उदार और उद्देश्यपूर्ण निर्माण दिया:

" 18. अधिनियम की धारा 630 कंपनी को त्वरित राहत प्रदान करती है।

जहाँ उसकी संपत्ति गलत तरीके से प्राप्त की गई हो या गलत तरीके से रोकी गई हो।

"कर्मचारी या अधिकारी" या "पूर्व कर्मचारी या अधिकारी" द्वारा

या "कानूनी उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि" जो अपना रंग प्राप्त करते हैं और व्यवसाय ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. एंड ओ. आर. एस. के रूप में ऐसे कर्मचारी या अधिकारी से सामग्री।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

और कंपनी से संबंधित संपत्ति का कब्जा है

अधिनियम की धारा 630 को लागू करके लोगों की जरूरतों को जानने और उनकी सराहना करने के लिए माना जाता है कि यह इस स्थिति से अवगत था कि आज कॉर्पोरेट क्षेत्र के निजी या सार्वजनिक उद्यम में कर्मचारियों/अधिकारियों को अक्सर नियोक्ता द्वारा अपने रोजगार के दौरान संबंधित कर्मचारी के "उपयोग और व्यवसाय" के लिए आवासीय आवास प्रदान किया जाता है। अक्सर, यह कर्मचारी की सेवा शर्तों का एक हिस्सा है कि नियोक्ता उसे उसके रोजगार के दौरान आवासीय आवास प्रदान करेगा। यदि कोई कर्मचारी या कोई पूर्व कर्मचारी या उनके अधीन अधिभोग के अधिकार का दावा करने वाला कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण से अधिभोग में रहने का अधिकार समाप्त होने के बाद भी कंपनी की संपत्ति को 'धारण' करना जारी रखता है, तो यह न केवल कंपनी के लिए कठिनाइयाँ पैदा करेगा, जो उस संपत्ति को अपने अन्य कर्मचारियों को आवंटित करने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारी के लिए भी कठिनाई पैदा करेगा और विधायिका के इरादे को विफल कर देगा। इसलिए अदालतें कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 630 के प्रावधानों पर एक व्यापक, उदार और उद्देश्यपूर्ण निर्माण करने के लिए बाध्य हैं और प्रावधान के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए इसे व्यापक अर्थों में समझती हैं। मृतक कर्मचारी के "उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों" के पास संपत्ति के कब्जे और कब्जे में बने रहने की कोई स्वतंत्र क्षमता या दर्जा नहीं है, जो कर्मचारी या

संबंधित अधिकारी को आवंटित किया गया था या किसी भी [2021] 14 एस. सी. आर. के अभाव में नियोक्ता को संपत्ति की वापसी का विरोध करता है।

उनके साथ किए गए विपरीत समझौते को व्यक्त करें नियोक्ता। जब नियोक्ता द्वारा अधिनियम की धारा 630 के तहत कार्रवाई करने के लिए अदालत से संपर्क किया जाता है, तो वह उस आधार की जांच कर सकती है जिसके आधार पर याचिका/शिकायत दायर की जाती है और यदि यह पाया जाता है कि कंपनी का अपनी संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का अधिकार काफी स्पष्ट है और

कर्मचारी या उसके माध्यम से कब्जा में बने रहने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति का रुख निराधार है, वह अधिनियम की धारा 630 के तहत कार्य करेगा और उचित आदेश पारित करेगा। केवल एक स्वतंत्र वैध अधिकार, न केवल व्यवसाय के लिए, बल्कि कंपनी से संबंधित संपत्ति के कब्जे के लिए भी, जो मृत कर्मचारी के रोजगार से असंबद्ध है, अधिनियम की धारा 630 के तहत कार्रवाई को विफल कर सकता है यदि यह स्थापित किया जा सकता है कि संबंधित मृत कर्मचारी ने इसे गलत तरीके से नहीं किया था और न ही जानबूझकर नियोक्ता द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए आवेदन किया था। एक की व्याख्या करते हुए लाभकारी
प्रावधान, अदालत को हमेशा इस सिद्धांत के लिए जीवित रहना चाहिए कि कानून को चतुराई से चोरी से बचाना अदालत का कर्तव्य है

और कानूनी धोखाधड़ी को हराना और रोकना।"

55. इसी तरह, अदालती कार्यवाही की अवमानना का वर्णन किया गया है।

निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में "अर्ध-आपराधिक" के रूप में। हम यह इंगित कर सकते हैं कि न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के पूर्ववर्ती, अर्थात् अदालत की अवमानना अधिनियम, 1952 में "अदालत की अवमानना" अभिव्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं थी। भारत सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसे सान्याल समिति के रूप में संदर्भित किया गया था, जो तब इस बात पर गई थी कि क्या इस अभिव्यक्ति को परिभाषित करने की आवश्यकता है। सान्याल समिति की रिपोर्ट, 1963 ने तब अवमानना को मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया-दीवानी और आपराधिक अवमानना-निम्नानुसार:

घोष, आई. एल. आर. 41 कैल. 173 252 में, जे. मुखर्जी ने इस प्रकार कहा: "आपराधिक अवमानना वह आचरण है जो गरिमा के खिलाफ निर्देशित किया जाता है।

और न्यायालय का अधिकार। दीवानी अवमानना ओहनराज और ओ. आर. एस. के लाभ के लिए दीवानी कार्रवाई में अदालत द्वारा आदेशित कुछ करने में विफलता है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

उसमें विरोधी दल। नतीजतन, दीवानी अवमानना के मामले में, इसकी सजा के लिए कार्यवाही पक्ष के कहने पर होती है।

रुचि रखता है और अपने चरित्र में नागरिक है; आपराधिक अवमानना के मामले में, कार्यवाही किए गए कार्य की सजा के लिए है। कानून की महानता के खिलाफ, और सजा का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण का समर्थन है, इसलिए कार्यवाही आपराधिक मामलों में कार्यवाही के लिए जितना संभव हो उतना अनुरूप है। यह कल्पना की जा सकती है कि गठन करने वाले अधिनियमों के बीच विभाजन रेखा

आपराधिक और नागरिक अवमानना का गठन करने वाले हो सकते हैं उन मामलों में अस्पष्ट जहां दोनों धीरे-धीरे प्रत्येक में विलय हो जाते हैं

अन्य "। 2.2 . दीवानी और आपराधिक अवमानना के बीच एक व्यापक अंतर के अस्तित्व के बावजूद, बड़ी संख्या में मामलों से पता चला है कि दोनों के बीच विभाजन रेखा लगभग अदृश्य है। उदाहरण के लिए, दुलाल चंद्र बनाम। सुकुमार, ए. आई. आर. 1958 कैल. 474

476, 477 पर निम्नलिखित अवलोकन होते हैं:

" दीवानी और आपराधिक अवमानना के बीच की रेखा व्यापक हो सकती है

उतना ही पतला। जहां अवमानना में किसी निजी पक्ष के लाभ के लिए किए गए अदालत के आदेश का पालन करने या उसे लागू करने में विफलता शामिल है, तो यह स्पष्ट रूप से नागरिक अवमानना है और यह कहा गया है कि जब वह पक्ष, जिसके हित में आदेश दिया गया था, अवमानना करने वाले के खिलाफ उसके अधिकार को लागू करने की दृष्टि से अवमानना में कार्रवाई करने के लिए अदालत का रुख करता है, तो कार्यवाही केवल निष्पादन का एक रूप है। ऐसे मामले में, अवज्ञा में कोई आपराधिकता नहीं है, और अवमानना, जैसे कि यह है, आपराधिक नहीं है। तथापि, यदि अवमानकर्ता आदेश की अवज्ञा में न्यायालय की अवज्ञा को जोड़ता है और अपने आप को इस तरीके से संचालित करता है जो न्याय के मार्ग में बाधा या हस्तक्षेप के बराबर है, तो उसके द्वारा की गई अवमानना एक मिश्रित चरित्र की है, जो उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच नागरिक अवमानना की प्रकृति में भाग लेती है और जैसा कि उसके और न्यायालय या राज्य के बीच, आपराधिक अवमानना की प्रकृति की है। इस प्रकार के मामलों में, दीवानी और आपराधिक अवमानना के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता है और की गई अवमानना को मोटे

तौर पर दीवानी या आपराधिक अवमानना के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अवमानना केवल एक दीवानी गलती है जहां किए गए आदेश की अवज्ञा की गई है।

किसी विशेष पक्ष के लाभ के लिए, लेकिन जहां इसमें [2021] 14 एस. सी. आर. शामिल हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालयों के अधिकार को शून्य पर स्थापित करने में और एक था

बनाए रखी गई मशीनरी की प्रभावकारिता पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति

न्याय के प्रशासन के लिए राज्य द्वारा, यह एक सार्वजनिक गलत है

और परिणामस्वरूप प्रकृति में आपराधिक "।

2.3 . दूसरे शब्दों में, यह सवाल कि क्या अवमानना दीवानी है या नहीं।

अपराधी को उस दंड के संदर्भ में नहीं आंका जाना है जो

लगाया जा सकता है लेकिन उस कारण के संदर्भ में जिसके लिए

जुर्माना लगाया गया है। ..... "

(पृष्ठों पर 21-22)

(जोर दिया गया)

56. अवमानना के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

अधिनियम, 1971 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त अधिनियम निम्नलिखित के अनुसरण में था -

किसी भी समिति की रिपोर्ट इस प्रकार है:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण। आम तौर पर यह महसूस किया जाता है कि

अदालतों की अवमानना से संबंधित मौजूदा कानून कुछ हद तक है

अवमानना दो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों को छूती है नागरिक, अर्थात्, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसलिए, यह सलाह दी गई थी कि

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। समिति ने एक कानून और संबंधित समस्याओं की व्यापक जांच

हमारे अपने में प्राप्त स्थिति के प्रकाश में न्यायालय की अवमानना देश और विभिन्न विदेशी देश। सिफारिशें

जिसे समिति ने दिए गए महत्व पर ध्यान दिया

न्यायालयों की स्थिति और गरिमा और उनके हितों की रक्षा करना। न्याय का प्रशासन।

समिति की सिफारिशें हैं -

राज्य सरकारों द्वारा उन सिफारिशों पर व्यक्त की गई, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय

न्यायालय आ न्यायिक आयुक्तसभ। विधेयक देना चाहता है सान्याल की स्वीकृत सिफारिशों पर प्रभाव

समिति "। ओ. एच. एन. आर. जे. और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

57. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 "दीवानी अवमानना" आपराधिक अवमानना को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

" 2. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

अदालत को दिए गए वचन का उल्लंघन; (ग) "आपराधिक अवमानना" से किसी भी मामले का प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा, या अन्यथा) या किसी भी अन्य कार्य को करना अभिप्रेत है।

जो

((i) अपमान करता है या अपमान करने की प्रवृत्ति रखता है, या कम करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है।

किसी भी न्यायालय के अधिकार को कम करता है; या ((ii) पूर्वाग्रह, या हस्तक्षेप करता है या देय में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है।

किसी न्यायिक कार्यवाही का पाठचक्रम; या

((ग) किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है या बाधा डालता है या बाधा डालता है;

XXX XXX "

58. चाहे की गई अवमानना दीवानी हो या आपराधिक, उच्च न्यायालय को ऐसे "अपराधों" का मुकदमा चलाने का अधिकार है, चाहे वह व्यक्ति कथित रूप से अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर हो या बाहर। इस प्रकार, की धारा 11

न्यायालय अधिनियम के तहत कहा गया है:

" 11. उच्च न्यायालय की किए गए अपराधों पर मुकदमा चलाने की शक्ति या

अधिकार क्षेत्र से बाहर पाए जाने वाले अपराधी। — उच्च न्यायालय के पास अपनी या अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय की अवमानना की जांच करने या उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र होगा, चाहे अवमानना कथित रूप से उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर या बाहर की गई हो।

और क्या जिस व्यक्ति पर अवमानना का आरोप लगाया गया है वह इसके दायरे में है

या ऐसी सीमाओं के बाहर।

अदालत की अवमानना के लिए दी गई सजा, चाहे दीवानी हो या

इसके बाद अधिनियम की धारा 12 द्वारा निपटा जाता है, जिसमें कहा गया है:

" 12. अदालत की अवमानना के लिए सजा। - (1) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, [2021] 14 एस. सी. आर. की अवमानना।

अदालत को एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा दी जा सकती है जो

छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ:

बशर्ते कि अभियुक्त को आरोपमुक्त किया जा सकता है या

अदालत की संतुष्टि के लिए माफी मांगने पर दी गई सजा माफ की जा सकती है।

(2) उस समय के लिए किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद प्रभावी होने पर, कोई भी न्यायालय अपने या अपने अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में किसी भी अवमानना के लिए उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सजा से अधिक सजा नहीं देगा।

व्यक्ति: बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी ऐसे व्यक्ति को ऐसी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह साबित करता है

कि अवमानना उनकी जानकारी के बिना की गई थी या उन्होंने इसके आयोग को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था। (5) उप-धारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उसमें निर्दिष्ट न्यायालय की अवमानना एक कंपनी द्वारा की गई है और यह साबित होता है कि अवमानना की गई है।

ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. एंड ओ. आर. एस. के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से, या उनकी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

कंपनी, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी

अवमानना का दोषी भी समझा जाएगा और ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को दीवानी जेल में बंद करके अदालत की अनुमति से सजा लागू की जा सकती है।

स्पष्टीकरण। उप-धारा (4) और (5) के प्रयोजन के लिए -

((क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें -

फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ; और

" "निदेशक" से किसी फर्म के संबंध में अभिप्रेत है -

(ख)

दृढ़ "।

59. आपराधिक अवमानना मामलों में, अन्य अवमानना मामलों में "संज्ञान"

अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट लोगों को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा धारा 15 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से लिया जाता है। अनुभाग एन उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसका संज्ञान

लेने के बाद पालन किया जाना है। अंत में, धारा 23 द्वारा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अपनी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की, जो अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है।

60. यह अदालत, नियाज़ मोहम्मद में। वी. हरियाणा राज्य, (1994) 6

332 , एक नागरिक अवमानना की संकर प्रकृति के बारे में इस प्रकार बात की गई:

" 9. न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 2 (बी) "दीवानी अवमानना" को "जानबूझकर" के अर्थ में परिभाषित करती है।

किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या आदेश की अवज्ञा

एक अदालत की अन्य प्रक्रिया। " जहाँ अवमानना शामिल है

में किए गए न्यायालय के आदेश का पालन या पालन करने में विफलता एक पक्ष का पक्ष लेना, यह एक नागरिक अवमानना है। व्यक्ति या व्यक्तियों में

जिनके पक्ष में ऐसा आदेश या निर्देश दिया गया है, वे आगे बढ़ सकते हैं

अभियुक्त के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत अवमानक, आदेश से बहने वाले अधिकार को लागू करने की दृष्टि से

या प्रश्न में दिशा। .....

10. ..... हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, चौथा संस्करण। , खण्ड. 9 , पैरा 53 , पी। 34 , कहा गया है:

" यद्यपि जानबूझकर की अनुपस्थिति में अवमानना की जा सकती है।

अवमानक की ओर से अवज्ञा, प्रतिबद्ध या जब तक अवमानना में कुछ हद तक गलती या कदाचार शामिल नहीं है, तब तक ज़ब्त करने का आदेश नहीं होगा। "[2021] 14 एस. सी. आर.

यह आगे कहा गया है:

" दुराचार से जुड़ी परिस्थितियों में, नागरिक अवमानना सहन करती है एक दो गुना चरित्र, जिसका अर्थ है पक्षों के बीच

कार्यवाही केवल प्रयोग करने का अधिकार और प्रस्तुत करने का दायित्व

सिविल निष्पादन के एक रूप में, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप से पक्ष के बीच

और राज्य, एक दंडात्मक या अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना है

लोक हित में न्यायालय द्वारा।"

(जोर दिया गया)

टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद (102) v. अशोक खोट,

5) 5 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 33. अवमानना के लिए कार्यवाही अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत और

दंडात्मक। इसका मतलब यह नहीं है कि यह अदालत के लिए खुला नहीं है।

और किसी सरकारी विभाग के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही या आधिकारिक हैसियत में मंत्री या तो व्यक्तिगत या व्यक्तिगत नहीं होगा।

दंडात्मक (यह स्पष्ट रूप से जुर्माना या अलग करने के लिए उचित नहीं होगा)

क्राउन या सरकारी विभाग या एक अधिकारी की संपत्ति

क्राउन की अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्य करना), इसका मतलब यह नहीं है

कि किसी सरकारी विभाग के खिलाफ अवमानना का निष्कर्ष या

अवमानना के निष्कर्ष निकालने के लिए अदालत की शक्तियों का एक उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए। यह अधिकार क्षेत्र

बनाने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ सह-व्यापक होना आवश्यक है

जिन आदेशों को संरक्षण की आवश्यकता होती है जो अधिकार क्षेत्र को करना है

अवमानना के निष्कर्ष प्रदान करते हैं। दीवानी कार्यवाही में अदालत कर सकती है अब आदेश दें (निषेधाज्ञा के अलावा या विशिष्ट के लिए)

निष्पादन) अधिकृत सरकारी विभागों के विरुद्ध या

महान्यायवादी। न्यायिक समीक्षा आदेश के लिए आवेदनों पर कर सकते हैं मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। परिणामस्वरूप ऐसे आदेश होने चाहिए -

इस सिद्धांत को आहत नहीं करने के लिए लिया गया कि क्राउन कथित रूप से कर सकता है गलत नहीं है। समान रूप से, यदि ऐसे आदेश दिए जाते हैं और उनका पालन नहीं किया जाता है, तो

जिस निकाय के खिलाफ आदेश दिए गए थे उसे दोषी पाया जा सकता है उस सिद्धांत को आहत किए बिना अवमानना, जो एकमात्र ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. और ओ. आर. एस. हो सकता है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

अवमानना का निष्कर्ष निकालने के विरुद्ध न्यायोचित बाधा।

(एम. वी. देखें। गृह कार्यालय [(1993) 3 सभी ईआर 537: (1994) 1 एसी 377

: (1993) 3 डब्ल्यूएलआर 433 (एचएल)]) "।

(जोर दिया गया)

61. अवमानना कार्यवाही का वर्णन "अर्ध-आपराधिक" है।

यूआरई की उत्पत्ति आंद्रे के प्रसिद्ध प्रिवी काउंसिल के फैसले में हुई है।

टेरेंस एम्बर्ड बनाम। महान्यायवादी-त्रिनिदाद और

जाओ, ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 141 जिसमें लॉर्ड एटकिन ने अवमानना का उल्लेख किया

अर्ध-आपराधिक के रूप में कार्यवाही (पृष्ठ 143 देखें)।

62. सहदेव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2010) 3 एस. सी. सी. 705, यह न्यायालय

अवमानना कार्यवाही की "अर्ध-आपराधिक" प्रकृति को संदर्भित किया गया

कमियाँ:

" 15. अवमानना की कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होती है।

ऐसे मामले में जहां अदालत द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया जाता है

गलती से, अनजाने में या गलतफहमी से आदेश का अर्थ और उद्देश्य, जब तक कि यह जानबूझकर न हो, कोई शुल्क नहीं

जहाँ अवज्ञा आकस्मिक होती है। अगर ऐसा है तो कोई अवमानना नहीं। [वीडियो बी. के. कर बनाम मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश

उड़ीसा उच्च न्यायालय [ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1367: (1961) 2 क्रि एल. जे.

438] (एयर पी। 1370, पैरा 7)।] XXX XXX XXX

18. सुखदेव सिंह बनाम। तेजा सिंह [ए. आई. आर 1954 एस. सी. 186 1954 सी. आर. आई. एल. जे. 460] यह न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखते हुए

आंद्रे पॉल टेरेंस एम्बर्ड बनाम में प्रिवी काउंसिल। वकील

त्रिनिदाद और तबागो के जनरल [ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 141] ने माना कि

अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही अर्ध हैं प्रकृति में आपराधिक और उन कार्यवाहियों में पारित आदेश हैं -

आपराधिक मामलों में पारित आदेशों के रूप में माना जाए।

19. एस. अब्दुल करीम बनाम। एम. के. प्रकाश [(1976) 1 एससीसी 975: 1976 एससीसी (सीआरआई) 217: ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 859], छोटू राम बनाम। उर्वशी

गुलाटी [(2001) 7 एससीसी 530: 2001 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1196], अनिल रतन

सरकार बनाम. हीरक घोष [(2002) 4 एससीसी 21: ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1405]

दारोगा सिंह बनाम। बी. के. पांडे [(2004) 5 एससीसी 26: 2004 एससीसी

(क्रि) 1521] और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम

वी. एल. के. त्रिपाठी [(2009) 5 एससीसी 417: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 673:

ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1314], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अवमानना कार्यवाही में सबूत का भार और मानक, प्रकृति में अर्ध-आपराधिक होने के कारण, आपराधिक कार्यवाही में आवश्यक सबूत का मानक है, क्योंकि अवमानना कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-आपराधिक है। 20. इसी तरह, मृत्युंजय दास बनाम। सैयद हसीबुर रहमान [(2001) 3 एस. सी. सी. 739: (2006) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 296: ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 1293] इस न्यायालय ने अपनी पिछली अदालतों की एक बड़ी संख्या पर भरोसा करते हुए

वी. जी. निगम बनाम सहित निर्णय। केदार नाथ गुप्ता [(1992) 4 एससीसी 697: 1993 एससीसी (एल एंड एस) 202: (1993) 23 एटीसी 400: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 2153] और मर्रे एंड कंपनी बनाम। अशोक कुमार नेवतिया [(2000) 2 एस. सी. सी. 367: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 473: ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 833] ने अभिनिर्धारित किया कि अदालत को अवमानना का अधिकार क्षेत्र किसी अपराधी को उसके अवमाननापूर्ण आचरण या कानून की महिमा में बाधा डालने के लिए दंडित करने के लिए प्रदान किया गया है, लेकिन अर्ध-आपराधिक प्रकृति के मामले में, आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करना होगा और कथित

अवमानकर्ता संदेह के लाभ का हकदार हो जाता है। कुछ संभावनाओं पर अवमानना कार्यवाही में सजा देना बहुत खतरनाक होगा।

XXX XXX XXX

27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कानून को संक्षेप में कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के पास न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की शक्ति है। हालाँकि, अवमानना कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-आपराधिक होने के कारण, अन्य आपराधिक मामलों की तरह ही सबूत के समान मानक की आवश्यकता होती है। कथित अवमानकर्ता संदेह के लाभ सहित आपराधिक न्यायशास्त्र में प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों/अधिकारों के संरक्षण का हकदार है। किसी पक्ष द्वारा जानबूझकर मामले को उक्त के दायरे में लाने के लिए न्याय के प्रशासन में बाधा डालने का एक स्पष्ट मामला होना चाहिए। प्रावधान। कथित अवमानकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए कि आरोप क्या है, उसे मिलना है। इस प्रकार, विशिष्ट आवेश को सटीक रूप से तैयार करना पड़ता है। कथित अवमानकर्ता न्यायालय से गवाहों यानी शपथपत्रों के प्रतिनिधियों, जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी है, से जिरह करने की अनुमति देने के लिए कह सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि तिरस्कार

कार्यवाहियां अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होती हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके बाद "सीआरपीसी" कहा जाता है) और साक्षय अधिनियम के प्रावधान इस कारण से आकर्षित नहीं होते हैं कि कार्यवाहियां ओ. एच. ए. एन. आर. ए. जे. और ओ. आर. एस. हैं।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। अतः मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। मामला केवल इस पर नहीं टिका होना चाहिए।

सम्माननीय। कार्यवाही को सख्ती से समाप्त किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए बनाए गए वैधानिक नियमों का पालन करना।

मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बनाम। भारत संघ, (2012) 1 एस. सी. सी. उनके न्यायालय ने फिर से "दीवानी" और "आपराधिक" अवमानना का उल्लेख इस प्रकार किया:

" 17. 1971 के अधिनियम की धारा 12 अदालत की अवमानना से संबंधित है।

और इसकी सजा जबकि धारा 15 आपराधिक अवमानना के संज्ञान से संबंधित है। दीवानी अवमानना अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन या किसी की जानबूझकर अवज्ञा होगी।

न्यायालय का निर्णय या आदेश, जबकि आपराधिक अवमानना उन मामलों से निपटती है जहां शब्दों, बोली या लिखित रूप से, संकेत या

आपराधिक और नागरिक अवमानना को बहुत कम और वह भी अकादमिक महत्व का बताया गया है। हालाँकि, अंग्रेजी और भारतीय दोनों कानूनों के तहत ये स्वतः सामान्य कार्यवाही हैं। XXX XXX XXX

19. भारतीय कानून के तहत पक्षों का आचरण,

अवज्ञा और परिचर परिस्थितियाँ प्रासंगिक हैं

इस बात पर विचार करें कि क्या कोई मामला दीवानी अवमानना या आपराधिक अवमानना के तहत आएगा। उदाहरण के लिए, अदालत के आदेश की अवज्ञा सरलीकरण नागरिक अवमानना होगी लेकिन जब इसे पक्षकारों के आचरण के साथ जोड़ा जाता है जो अवमाननापूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण और देश के कानून का घोर उल्लंघन है, तो इसे आपराधिक अवमानना के रूप में माना जा सकता है। अंग्रेजी कानून के तहत भी अदालतों ने

इसके विरुद्ध अपने निर्णय और आदेशों को लागू करने की शक्ति

अवज्ञाकारी पार्टियाँ "।

यह भी कहा गया है कि अवमानना की कार्यवाही "अर्ध-आपराधिक" है

युद्ध सिंह सैनी बनाम। दिल्ली उच्च न्यायालय, (2012) 4 एस. सी. सी. 307 (ग्राफ 38 पर) और टी. सी. गुप्ता बनाम। बिमल कुमार दत्ता, (2014) 14

446 (पैराग्राफ 10 में)।

63. उपरोक्त से जो बात स्पष्ट है वह यह है कि हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है

सिविल और आपराधिक अवमानना के बीच कोई कठोर अंतर हो, फिर भी, उपरोक्त अधिकारियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सिविल अवमानना अनिवार्य रूप से एक ऐसी कार्रवाई है जो उस पक्ष द्वारा की जाती है जिसके हित में एक आदेश अपने व्यक्तिगत अधिकार को लागू करने की दृष्टि से दिया गया था, जहां इस तरह के आदेश के लिए आपत्तिजनक अवहेलना के परिणामस्वरूप - सार्वजनिक हित में अपराधी, जबकि एक आपराधिक अवमानना, संक्षेप में, एक ऐसी कार्यवाही है जो यह देखने में सार्वजनिक हित से संबंधित है कि

64. स्पष्ट रूप से, इसलिए, एक दीवानी अवमानना कार्यवाही की संकर प्रकृति को देखते हुए, जिसे इसके कई निर्णयों द्वारा "अर्ध-आपराधिक" के रूप में वर्णित किया गया है। न्यायालय, परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII के विश्लेषण पर हमारे द्वारा दिए गए कारणों के लिए धारा 138 की कार्यवाही पर एक ही अपील "अर्ध-आपराधिक" लागू होने में कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए, हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के इस कठोर तर्क को अस्वीकार करते हैं कि "अर्ध-आपराधिक" अपील एक गलत नाम है जब यह

यह धारा 138 की कार्यवाही पर आता है और इसलिए इस निर्णय में उद्धृत कुछ मामलों को नए सिरे से देखा जाना चाहिए।

आई. बी. सी. के संबंध में अन्य खंड

आई. बी. सी. की धारा 14 65. श्री मेहता ने तब तर्क दिया कि आई. बी. सी. की धारा 33 (5) को भी देखा जा सकता है, क्योंकि यह धारा 14 (1) (ए) के अनुरूप प्रावधान है। धारा 33 (5) इस प्रकार बताती है:

(5) धारा 52 के अधीन रहते हुए, जब परिसमापन आदेश पारित किया जाता है, तो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। निगमित देनदार:

पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

बशर्ते कि कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही हो सकती है

परिसमापक द्वारा निगमित, निगमित देनदार की ओर से,

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन।

XXX XXX "

यह ध्यान दिया जाएगा कि इस धारा के तहत, अभिव्यक्ति "कोई मुकदमा नहीं या

अन्य कानूनी कार्यवाही "अधिनियमन भाग के साथ-साथ परंतुक दोनों में होती है। पहले परंतुक के अनुसार, इस उद्देश्य को देखते हुए कि परिसमापक को अब एक समापन आदेश पारित होने के बाद कंपनी की ओर से कार्य करना है, जिसमें कंपनी की ओर से मुकदमे दायर करना और अन्य कानूनी कार्यवाही शामिल है, इस बात का कोई सांसारिक कारण नहीं है कि धारा 138/141 की कार्यवाही परंतुक के दायरे से बाहर क्यों होगी। इसके विपरीत, चूंकि अब केवल परिसमापक ही कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि परिसमापन से पहले कंपनी जो कुछ भी कर सकती थी, वह अब परिसमापक में निहित है, और कंपनी को देय धन का एहसास करने के लिए, परिसमापक द्वारा धारा 138/141 स्थापित करने का कोई कारण नहीं है।

कंपनी के चूककर्ता देनदार के खिलाफ कार्यवाही। जाहिर है, इस भाषा को व्यापक रूप में समझने की आवश्यकता है क्योंकि "अन्य कानूनी कार्यवाही" की कोई अवशिष्ट श्रेणी नहीं हो सकती है जिसे परिसमापक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ या परिसमापक द्वारा स्थापित किया जा सकता है जो अब अकेले कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रावधान के उद्देश्य को देखते हुए भी, समाज के सामान्य और गैर-सामाजिक सिद्धांतों को लागू न करने के संबंध में जो पहले कहा गया है, वह इस प्रावधान पर भी पूरी ताकत से लागू होगा।

66. वास्तव में, आई. बी. सी. के कई अन्य प्रावधानों को भी इस संदर्भ में देखा जा सकता है। इस प्रकार, जब किसी संकल्प के कर्तव्यों की बात आती है

पेशेवर जो निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कंपनी का प्रबंधन संभालता है, धारा 25 (2) (बी) में कहा गया है

निम्नलिखित है:

" 25. समाधान पेशेवर के कर्तव्य।

XXX XXX XXX

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, समाधान पेशेवर

निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात् -

(बी) तीसरे पक्ष के साथ कॉर्पोरेट देनदार की ओर से प्रतिनिधित्व करें और कार्य करें, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में कॉर्पोरेट देनदार के लाभ के लिए अधिकारों का प्रयोग करें;
XXX XXX "

यहाँ फिर से, इस तथ्य को देखते हुए कि यह समाधान पेशेवर है

अकेले जिसे अब इस अंतराल में निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को संरक्षित और संरक्षित करना है, समाधान पेशेवर को इसलिए सभी न्यायिक, अर्ध न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में निगमित देनदार की ओर से प्रतिनिधित्व करना और कार्य करना है, जिसमें आपराधिक कार्य शामिल होंगे।

" न्यायिक "तब उनसे रंग लेगा। यह धारा 25 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को हतोत्साहित करेगा और इसके परिणामस्वरूप एक बेतुकी बात होगी, अर्थात्, इस अंतराल के दौरान, कोई भी आपराधिक कार्यवाही में निगमित देनदार का प्रतिनिधित्व या उसकी ओर से कार्य नहीं कर सकता है। इसी तरह, यदि एक कॉर्पोरेट देनदार को एक नए प्रबंधन द्वारा नहीं लिया जा सकता है और उसे होना चाहिए परिसमापन के लिए दोषी, परिसमापक की शक्तियाँ और कर्तव्य, कॉर्पोरेट देनदार का प्रतिनिधित्व करते हुए, धारा 35 में उल्लिखित हैं। धारा 35 (1) (के), विशेष रूप से, निम्नानुसार बताती है:

" 35. परिसमापक की शक्तियाँ और कर्तव्य। - (1) विषय के अधीन

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्देश, परिसमापक के पास होगा

निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य, अर्थात्: —

XXX XXX XXX

(के) की ओर से किसी भी मुकदमे, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही, दीवानी या आपराधिक, को स्थापित करना या उसका बचाव करना।

निगमित देनदार;

XXX XXX "

यह प्रावधान विशेष रूप से "अभियोजन" और "आपराधिक कार्यवाही" की बात करता है। धारा 25 (2) (बी) और धारा 33 (5) के विपरीत, एक तर्क दिया जा सकता है कि अभिव्यक्तियों का अभाव "
धारा 25 (2) (बी) और धारा 33 (5) में अभियोजन "और" आपराधिक कार्यवाही "से पता चलेगा कि उन्हें विधायिका द्वारा जानबूझकर छोड़ दिया गया था। हमने देखा है कि कैसे अनुचित प्रारूपण बेतुके परिणामों या परिणामों की ओर नहीं ले जा सकता है जो किसी प्रावधान के उद्देश्य को बाधित करते हैं, इसकी अन्यथा व्यापक भाषा को देखते हुए। इस प्रकार, एक दूसरे के खिलाफ विभिन्न प्रावधानों को जोड़कर और उन निष्कर्षों पर पहुंचने से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है जो कानून में स्पष्ट रूप से असमर्थनीय हैं।

ओ. एच. एन. आर. जे. और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

अन्य राज्यों के प्रावधानों के तहत मामला कानून

67. श्री मेहता ने तब एस. आई. सी. ए. की धारा और कंपनी अधिनियम की धारा 446 (2) के तहत निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा किया।

737 , जिस निर्णय में कहा गया था कि एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (1) में "वाद" अभिव्यक्ति में धारा 138 की कार्यवाही शामिल नहीं होगी। अदालत ने कहा किकेवल इस अभिव्यक्ति से संबंधित है और इसलिए, अभिनिर्धारित किया:

" 19. उक्त तर्क भी गुण-दोष से रहित है। "सूट" शब्द

धारा 22 (1) में परिकल्पित दंडनीय नहीं हो सकता है।

अभियोजन। इसमें उल्लिखित मुकदमा "धन की वसूली या औद्योगिक कंपनी के खिलाफ किसी भी प्रतिभूति को लागू करने या किसी भी ऋण या अग्रिम के संबंध में किसी भी गारंटी तक सीमित है।

औद्योगिक कंपनी को दिया गया "। चूंकि मुकदमे को प्रावधान में ही स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है, इसलिए संदर्भ किसी अन्य को स्वीकार नहीं करेगा।

खिंचाव प्रक्रिया।

20. आपराधिक अभियोजन न तो धन की वसूली के लिए होता है और न ही किसी भी सुरक्षा आदि को लागू करने के लिए। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 है

एक दंडात्मक प्रावधान जिसका अपराध करने के लिए एक

विधिवत किए गए अपराध के प्रमाण पर दोषसिद्धि और सजा

आपराधिक कार्यवाही। एक बार धारा 138 के तहत अपराध है

अभियोजन की कार्यवाही चेक द्वारा कवर की गई राशि की वसूली के लिए नहीं बल्कि लाने के लिए शुरू की जा सकती है।

दंडात्मक दायित्व के लिए अपराधी। किन बातों पर विचार किया गया महाराष्ट्र ट्यूब्स लिमिटेड में [(1993) 2 एस. सी. सी. 144] यह है कि क्या राज्य वित्त की धारा 29 या धारा 31 में उपचार प्रदान किया गया है।

निगम अधिनियम, 1951 को प्रतिबंध के बावजूद आगे बढ़ाया जा सकता था।

एस. आई. सी. ए. की धारा 22 में निहित है। इसलिए कानूनी सिद्धांत

उक्त निर्णय में उल्लिखित अपीलार्थियों के लिए कोई लाभप्रद नहीं है।

21. उपरोक्त संदर्भ में यह बताना उचित है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 को 1988 में पेश किया गया था जब एस. आई. सी. ए. पहले से ही प्रचलन में था। यहां तक कि जब एन. आई. अधिनियम की धारा 141 में उल्लिखित "कंपनी" शब्द का विस्तार इसके माध्यम से किया गया था

खंड में स्पष्टीकरण जोड़ा गया, संसद ने ऐसा नहीं सोचा

उसके संचालन से। यदि संसद बीमार कंपनियों को अभियोजन कार्यवाही से छूट देने का इरादा रखती है, तो आवश्यक प्रावधान एन. आई. अधिनियम की धारा 141 में शामिल किया गया होगा।

अधिक [2021]

14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उल्लेखनीय रूप से, जब 1994 में एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (1) में संशोधन किया गया था।

शब्दों को जोड़कर

" और धन की वसूली के लिए या औद्योगिक कंपनी या किसी अन्य कंपनी के खिलाफ कोई प्रतिभूति लागू करने के लिए कोई मुकदमा नहीं किसी भी ऋण या अग्रिम के संबंध में गारंटी

औद्योगिक कंपनी "

संसद में विशेष रूप से अभियोजन कार्यवाही शामिल नहीं थी।

उक्त प्रतिबंध के दायरे में "।

यह मामला पूरी तरह से अलग है क्योंकि "कार्यवाही" शब्द विचार के लिए बिल्कुल नहीं आया था। इसके अलावा, एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (1) के उद्देश्य को देखते हुए, जिसे 1994 में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए शब्दों को जोड़कर संशोधित किया गया था, संसद ने कार्यवाही को केवल धन की वसूली आदि के मुकदमों तक सीमित कर दिया, जिससे स्पष्ट रूप से अभियोजन कार्यवाही को शामिल नहीं किया गया, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। पैराग्राफ 20 में निहित टिप्पणियां, कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 एक आपराधिक कार्यवाही में एक दंडात्मक प्रावधान है, अब घटनाओं की प्रगति को देखते हुए अच्छा कानून नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से, 2002 और 2018 के परक्राम्य लिखत अधिनियम में संशोधन, जैसा कि बताया गया है।

इसके ऊपर, और इस न्यायालय के बाद के निर्णय जो परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII की व्याख्या करते हैं।

68. श्री मेहता द्वारा भरोसा किया गया अगला निर्णय कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम में निर्णय है। पेन्नार पीटरसन सिक्योरिटीज लिमिटेड,

(2000) 2 एस. सी. सी. 745, जिसने केवल इस निर्णय का पालन किया (पैराग्राफ 15-18 देखें)।

69. इसी तरह, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446 (2) के तहत उद्धृत सभी निर्णय अलग-अलग हैं। धारा 446 (2) इस प्रकार बताती है:

" 446. सूट समापन आदेश पर बने रहे। —

XXX XXX XXX

(2) न्यायाधिकरण को, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इन पर विचार करने या उनका निपटारा करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(अ)

कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई मुकदमा या कार्यवाही;

(ख)

कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई भी दावा (दावों सहित)

भारत में इसकी किसी भी शाखा द्वारा या उसके खिलाफ); ओहनराज और ओआरएस।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

((ग)

धारा 391 के अधीन या उसके संबंध में किया गया कोई आवेदन

कंपनी;

((घ)

प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या कोई अन्य प्रश्न जो भी हो, चाहे वह कानून या तथ्य का हो, जो इससे संबंधित हो या उत्पन्न हो सकता है

कंपनी के समापन की प्रक्रिया;

क्या ऐसा वाद या कार्यवाही आरंभ की गई है या आरंभ की गई है, या ऐसा दावा या प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न हुआ है या ऐसा आवेदन किया गया है या कंपनी को समाप्त करने के आदेश से पहले या बाद में किया गया है, या कंपनी के आरंभ होने से पहले या बाद में किया गया है।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960।

XXX XXX "

70. एस. वी. कंदईकर बनाम वी. एम. देशपांडे, (1972) 1 एससीसी

" एस. वी. कंदईकर], इस न्यायालय ने बताया कि आयकर संपादन धारा 446 (2) के दायरे से बाहर क्यों होगाः

" 17. अब आयकर अधिनियम की ओर मुड़ते हुए यह उल्लेखनीय है कि धारा 148 अध्याय XIV में आती है जो धारा से शुरू होती है

139 मूल्यांकन और धारा 147 के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।

पलायन आय के निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रावधान

मूल्यांकन। यह धारा आयकर अधिकारी को अधिकार देती है।

धारा 148 से 153 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बची हुई आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करना। इन मूल्यांकनों को करते समय

उप-धारा (1) में "कार्यवाही" और उप-धारा (2) में "कानूनी कार्यवाही" अभिव्यक्ति एक ही अर्थ व्यक्त करती है और दोनों उप-धाराओं में कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जो हो सके

समापन अदालत द्वारा उचित रूप से निपटा जाए। आय

कर अधिनियम, हमारी राय में, एक पूर्ण संहिता है और यह विशेष रूप से आयकर के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के संबंध में है जिसके साथ हम वर्तमान मामले में चिंतित हैं। तथ्य यह है कि एक निर्धारिती द्वारा देय कर की राशि निर्धारित या परिमाणित होने के बाद परिसमापन में एक कंपनी से इसकी प्राप्ति

यह अधिनियम द्वारा शासित है क्योंकि देय आयकर भी एक ऋण होने के नाते कंपनी [2021] 14 एस. सी. आर. से देय अन्य ऋणों के साथ समान श्रेणी का होना चाहिए।

इसका यह अर्थ नहीं है कि कर की राशि की गणना के लिए मूल्यांकन कार्यवाही को ऐसी अन्य कानूनी कार्यवाही माना जाना चाहिए।

जिसे अधिनियम की धारा 446 के तहत परिसमापन अदालत की अनुमति के साथ ही शुरू या जारी रखा जा सकता है। परिसमापन अदालत, हमारी राय में, आयकर अधिकारियों के कार्यों को नहीं निभा सकती है।

निर्धारिती द्वारा देय कर की राशि का आकलन करते समय, भले ही निर्धारिती वह कंपनी हो जिसे न्यायालय द्वारा बंद किया जा रहा हो। निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आयकर अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश आयकर अधिनियम के तहत उच्च पदानुक्रम में अपील के अधीन हैं। उच्च न्यायालय को संदर्भित करने और उच्च न्यायालय के फैसलों से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए भी प्रावधान हैं और फिर आयकर आयुक्त द्वारा संशोधन के प्रावधान हैं। यदि यह बंद हो जाता है तो इसके विसंगत परिणाम होंगे अदालत को निर्धारण कार्यवाही को अपने पास स्थानांतरित करने और कंपनी का आयकर में आकलन करने का अधिकार दिया जाना था। श्री देसाई द्वारा अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि समापन अदालत को अपने विवेकाधिकार में किसी दिए गए मामले में मूल्यांकन कार्यवाही को स्थानांतरित करने से इनकार करने का अधिकार है, लेकिन अधिनियम की धारा 446 की सादे भाषा में शक्ति उस अदालत में निहित होनी चाहिए, जिसका उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब इसे समीचीन माना जाए। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। धारा 446 की भाषा का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि ऐसे चौंका देने वाले परिणामों को समाप्त किया जा सके।

आयकर अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त आयकर अधिकारी की शक्तियों के साथ समापन अदालत को निवेश करने के रूप में, क्योंकि हमारे विचार में विधायिका इस तरह के परिणाम का इरादा नहीं रख सकती थी।

18. यह तर्क कि किसी कंपनी के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही, जिसे समाप्त किया जा रहा है, केवल परिसमापन अदालत की अनुमति से शुरू या जारी रखी जा सकती है, अधिनियम और आयकर अधिनियम दोनों की योजना पर भी है।

अस्वीकार्य है। हमें ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिखाया गया है जिसके आधार पर परिसमापन अदालत को कंपनी द्वारा देय कर की राशि निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन कार्यवाही को रोकने की शक्ति दी जानी चाहिए, जिसे समाप्त किया जा रहा है। परिसमापन अदालत के पास आयकर निर्धारित होने और परिसमापक से इसके भुगतान की मांग के बाद राजस्व के दावे की जांच करने की पूरी शक्ति होगी। परिसमापन अदालत तब यह तय करने के लिए तैयार होगी कि कानून के तहत विभाग द्वारा निर्धारित आयकर की राशि को पी. मोहनराज और ओआरएस पर कानूनी दायित्व के रूप में कितना स्वीकार किया जाना चाहिए।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

परिसमापन में कंपनी की निधियाँ। उस स्तर पर समापन अदालत कंपनी और उसके हितों की पूरी तरह से रक्षा कर सकती है।

अधिनियम के तहत लेनदार। संयोगवश, यह इंगित किया जा सकता है कि बार में कोई भी अंग्रेजी निर्णय हमारे ध्यान में नहीं लाया गया था जिसके तहत मूल्यांकन कार्यवाही को समापन अदालत द्वारा नियंत्रित किया गया था। इस विचार पर कि हमने सेठ स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (परिसमापन में) और मैसूर स्पन सिल्क मिल्स लिमिटेड (परिसमापन में) के मामले में जो निर्णय लिए हैं, वे कानून के सही नियम को निर्धारित करते प्रतीत नहीं होते हैं कि आयकर अधिकारियों को परिसमापन या परिसमापन शुरू करने के लिए परिसमापन अदालत से अनुमति लेनी चाहिए।

निरंतर मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही।

इस फैसले से जो बात स्पष्ट हो जाती है वह यह है कि धारा 446 (2) के तहत बंद करने वाली अदालत को उन सभी मामलों को उठाना है जिन्हें कंपनी अदालत खुद आसानी से निपटा सकती है, न कि किसी ऐसी कंपनी को उजागर करना जो अन्य मामलों में महंगी मुकदमेबाजी के तहत बंद हो रही है।

अदालतें। यह धारा 446 (2) का उद्देश्य होने के कारण, "कार्यवाही" अभिव्यक्ति को एक सीमित अर्थ दिया गया था क्योंकि यह स्पष्ट है कि एक कंपनी अदालत आयकर या किसी अन्य मामले में मूल्यांकन कार्यवाही का निपटारा नहीं कर सकती है।

आपराधिक कार्यवाही। यह आगे सुदर्शन चिट्स (आई) लिमिटेड बनाम में स्पष्ट किया गया है। ओ. सुकुमारन पिल्लई, (1984) 4 एस. सी. सी. 657 (पैराग्राफ 8 पर) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम। एल्मोट इंजीनियरिंग कं., (1994) 4 एस. सी. सी. 159 (पैराग्राफ 14 पर)।

71. श्री मेहता ने डी. के. कपूर बनाम पर भी भरोसा किया। भारतीय रिजर्व बैंक, 2001 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 67: (2001) 58 डी. आर. जे. 424 (डी. बी.) यह निर्णय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446 (1) और (2) को संदर्भित करता है और उसी अधिनियम की धारा 457 में निहित भाषा के साथ उसमें निहित भाषा की तुलना करता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि परिसमापक के पास अदालत द्वारा समाप्त करने की शक्ति होगी।

अदालत, कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से किसी भी मुकदमे, अभियोजन, या अन्य कानूनी कार्यवाही, दीवानी या आपराधिक, को स्थापित करने या उसका बचाव करने के लिए। इस प्रकार,

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा:

" 12. केवल उपरोक्त प्रावधानों पर नज़र डालने से पता चलता है कि एक ओर, अधिनियम की धारा 457 में, विधायिका ने परिसमापक को अदालत की अनुमति के बाद कंपनी के नाम पर और उसकी ओर से किसी भी 'वाद' या 'अभियोजन' या 'अन्य कानूनी कार्यवाही' को दीवानी या आपराधिक बनाने या उसका बचाव करने का अधिकार दिया है; और अधिनियम की धारा 454 (5ए) द्वारा विधायिका ने खुद कंपनी न्यायालय को [2021] 14 एस. सी. आर. के तहत अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार दिया है।

अधिनियम की धारा 454 की उप-धारा (5) और ऐसे अपराधियों पर समन मामलों के मुकदमे के लिए प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाना।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1974; लेकिन दूसरी ओर अधिनियम की धारा 442 और 446 में विधायिका ने केवल "वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। शब्द हैं।

" इन धाराओं में अभियोजन "या" आपराधिक मामले "स्पष्ट रूप से गायब हैं। यह काफी तर्कसंगत प्रतीत होता है क्योंकि अधिनियम की धारा 442 और 446 का उद्देश्य और उद्देश्य कंपनी न्यायालय को कंपनी के मामलों की देखरेख करने और व्यर्थ के खर्च से बचने में सक्षम बनाना है। इसलिए इन धाराओं के तहत विधायिका का इरादा कंपनी के खिलाफ या उसके निदेशकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर कंपनी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। जहाँ भी विधायिका ने प्रावधान करना आवश्यक समझा

इस तरह के अधिकार क्षेत्र ने उचित अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है।

इसके बाद इसने पैराग्राफ 14 में एस. वी. कंदाईकर (ऊपर) में निर्णय दिया और निष्कर्ष निकाला:

" 15. उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाया गया तर्क तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होगा। कंपनी के खिलाफ अन्य कानूनों के दंडात्मक प्रावधानों के तहत शिकायतें (कंपनी अधिनियम के तहत प्रदान किए गए निदेशकों को छोड़कर) कंपनी न्यायालय द्वारा उचित रूप से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। आपराधिक अदालत द्वारा पारित आदेश दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपील और संशोधन आदि के अधीन हैं। अगर बंद हो जाता है

अदालत को इन अपराधियों को स्थानांतरित करने का अधिकार दिया गया है

कार्यवाही अपने आप में विसंगत परिणामों की ओर ले जाएगी। "

यह इस संदर्भ में था कि न्यायालय ने अंततः निर्णय दिया:

" 20. ..... "अन्य कानूनी कार्यवाही" अभिव्यक्ति को धारा 446 में "वाद" अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम। यदि ऐसा पढ़ा जाए तो यह केवल किसी भी दीवानी कार्यवाही को संदर्भित कर सकता है और आपराधिक कार्यवाही को बाहर रखा जाना चाहिए। इसलिए, कंपनी या उसके निदेशकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए कंपनी अदालत से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

72. श्री मेहता की इंडोरमा सिंथेटिक्स (आई) लिमिटेड पर निर्भरता।

महाराष्ट्र राज्य, 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 2611: (2016) 4 एम. एच. एल. जे. 249 भी गलत है, इस कारण से कि बॉम्बे उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि धारा 138 की कार्यवाही को कंपनी अधिनियम की धारा 446 में शामिल नहीं किया गया था, केवल पहले के पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. के तर्क का अनुसरण करता है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कंपनी अधिनियम की धारा 446 के दायरे पर निर्णय। उल्लेखनीय रूप से, कंपनी अधिनियम की धारा 446 के उद्देश्य को देखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 138 की कार्यवाही ऐसी कार्यवाही नहीं है जिसका किसी कंपनी के समापन में परिसंपत्तियों के संग्रह या वितरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष पैराग्राफ 30 में निहित है, जो इस प्रकार है:

" 30. इस प्रकार, इस स्थिति को स्पष्ट करने वाले निर्णयों की एक लंबी कतार है कि कंपनी अधिनियम की धारा 446 (1) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'वाद या कानूनी कार्यवाही' का अर्थ केवल वे कार्यवाहियां हो सकती हैं जिनका समापन में कंपनियों की परिसंपत्तियों पर प्रभाव पड़ सकता है या जिसका इस मुद्दे से कुछ संबंध हो सकता है।

समापन-ऊपर। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक दीवानी कार्यवाही, जिसका समापन कार्यवाही या आपराधिक अपराधों पर कोई असर नहीं है, जहां कंपनी का निदेशक वर्तमान में दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

73. एस. आई. सी. ए. की धारा 22 (1) और कंपनी अधिनियम की धारा 446 (2) की भाषा, उद्देश्य और संदर्भ इससे बहुत दूर हैं।

आई. बी. सी. की धारा 14 (1), उपरोक्त निर्णयों में से किसी का भी आई. बी. सी. की धारा 14 पर कोई अनुप्रयोग नहीं है और इसलिए वे अलग-अलग हैं।

74. श्री मेहता ने तब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर भरोसा किया

इंडिया लिमिटेड बनाम। ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12189: (2018) 246 डी. एल. टी. 485, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत एक पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए धारा 34 का आवेदन आई. बी. सी. की धारा 14 के अंतर्गत नहीं आएगा। यह निर्णय कानून को सही ढंग से नहीं बताता है क्योंकि यह स्पष्ट है कि धारा 34 की कार्यवाही निश्चित रूप से निगमित देनदार के खिलाफ एक कार्यवाही है जिसका परिणाम हो सकता है। निगमित देनदार के खिलाफ एक मध्यस्थता पुरस्कार में बरकरार रखा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप, धन तब निगमित देनदार द्वारा देय होगा। एक धारा 34 कार्यवाही एक मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती देने से संबंधित कानून की अदालत में कॉर्पोरेट देनदार के

खिलाफ एक कार्यवाही है और इसे उसी तरह शामिल किया जाएगा जैसे एक मुकदमे से एक डिक्री में एक अपीलीय कार्यवाही को शामिल किया जाएगा। इसलिए, यह निर्णय कानून को सही ढंग से नहीं बताता है।

75. श्री मेहता ने तब इंद्रजीत सी. पारेख बनाम पर भरोसा किया। वी. के. भट्ट, (1974) 4 एससीसी 313। यह निर्णय एक अधिस्थगन प्रावधान से संबंधित था बॉम्बे राहत उपक्रम (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1958 में निहित। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 76 (ए) के तहत अभियोजन के संदर्भ में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

इसे एक राहत उपक्रम घोषित करने वाली अधिसूचना। उपखंड (iv) द्वारा, राहत उपक्रम के विरुद्ध दायित्व या दायित्व के प्रवर्तन के लिए किसी भी उपाय को निलंबित कर दिया जाता है और जो कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी होती है, उस पर रोक लगा दी जाती है। अधिसूचना का संचालन। धारा 4 (बी) के तहत, अधिसूचना पर बल समाप्त होने पर, ऐसे दायित्व और देनदारियां पुनर्जीवित होती हैं और

उपक्रम "से धारा 2 (2) के तहत एक औद्योगिक उपक्रम अभिप्रेत है जिसके संबंध में धारा 3 के तहत एक घोषणा लागू है। धारा 3 द्वारा, राज्य सरकार को एक औद्योगिक उपक्रम को "बेरोजगारी को रोकने या बेरोजगारी राहत के उपाय के रूप में" राहत उपक्रम घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। राहत उपक्रमों को, जब तक वे जारी रहते हैं, कानूनी कार्रवाई से छूट दी जाती है ताकि उनका काम सुचारू और सुचारू रूप से हो सके।

प्रभावी। इस तरह के उपक्रमों को बेरोजगारी राहत के उपाय के रूप में अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सकता है, यदि उनके मामलों का संचालन

कानूनी कार्यवाही या ऐसी कार्यवाही के खतरे से अछूता। यही अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) (iv) की उत्पत्ति और औचित्य है।

7. इस प्रकार, न तो क़ानून की भाषा और न ही इसका उद्देश्य प्रतिरक्षा के विस्तार को उचित ठहराएगा ताकि निदेशक और अन्य अधिकारियों के व्यक्तिगत दायित्वों और देनदारियों को कवर किया जा सके।

उपक्रम। यदि उन्होंने ऐसे दायित्वों या देनदारियों को वहन किया है, जो उपक्रम के दायित्वों या देनदारियों से अलग हैं, तो वे अपने व्यक्तिगत कार्यों और चूक के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी हैं। उस ओर से उपचार को निलंबित नहीं किया जा सकता है और न ही उनके खिलाफ उनकी व्यक्तिगत क्षमता में पहले से शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती है। वाक़ई, यह अजीब होगा यदि ऐसी कोई बात कानून के विचार के भीतर थी। आम तौर पर, किसी उद्योग को राहत

उपक्रम घोषित करने का अवसर उसके निदेशकों और अन्य अधिकारियों की ओर से चूक से जुड़े कारणों से उत्पन्न होता है। जिन व्यक्तियों की गतिविधियों के कारण पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. की आवश्यकता पड़ी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर रोक की घोषणा करना।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह कहता है कि जो शब्द और अभिव्यक्तियाँ योजना द्वारा परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में सौंपा गया है। उस अधिनियम की धारा 2 (ई) (ii) एक "नियोक्ता" को, सामग्री की सीमा तक, उस व्यक्ति या प्राधिकरण के रूप में परिभाषित करती है, जिसका किसी प्रतिष्ठान के मामलों पर अंतिम नियंत्रण होता है और जहां उक्त कार्य किसी व्यक्ति को सौंपे जाते हैं। प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या प्रबंध अभिकर्ता, ऐसे प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या प्रबंध अभिकर्ता। इस प्रकार निधि में योगदान का भुगतान करने की जिम्मेदारी अपीलार्थियों की थी और यदि उन्होंने राशि का भुगतान करने में चूक की है, तो वे उत्तरदायी हैं -

योजना के पैरा 76 (ए) के तहत मुकदमा चलाया जाता है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी योगदान का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है

योजना के तहत, वह छह महीने के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। इस तरह का व्यक्तिगत दायित्व अधिनियम की धारा 4 (1) (ए) (iv) के दायरे में नहीं आता है।

महत्वपूर्ण रूप से, इस न्यायालय ने यह नहीं माना कि अधिस्थगन प्रावधान आपराधिक दायित्व तक विस्तारित नहीं होगा। इसके विपरीत, इस धारणा पर कि यह इतना बढ़ेगा, व्यक्तिगत दायित्व के बीच एक अंतर किया गया था।

उपक्रम और स्वयं उपक्रम के निदेशकों के लिए, यह कहते हुए कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत "नियोक्ता" के रूप में केवल उन व्यक्तियों को संदर्भित करेगा जो राहत उपक्रम का प्रबंधन कर रहे हैं

और न कि स्वयं राहत उपक्रम, ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तिगत दायित्व

यह अधिस्थगन प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा। इसलिए यह निर्णय भी किसी भी तरह से श्री मेहता का समर्थन नहीं करता है।

76. अंत में, श्री मेहता ने उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली बनाम. एक्सिस बैंक, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 7854:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2019) 259 डी. एल. टी. 500, और विशेष रूप से, पैराग्राफ 127,128 और 146 से 148 पर इस प्रस्ताव के लिए कि धन की रोकथाम के तहत एक अपराध धनशोधन अधिनियम को धारा 14 (1) (ए) के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय का तर्क पैराग्राफ 139 और 141 में निहित है, जो नीचे दिए गए हैं:

" 139. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि चार विधानों के अधिनियमन के उद्देश्य और कारण अलग-अलग हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कोई ओवरलैप नहीं है। जबकि आर. डी. बी. ए. को बैंकों के लिए त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है और वित्तीय संस्थान अपने बकाया की वसूली के लिए, सरफेसी अधिनियम (सुरक्षित लेनदार के पंजीकरण पर अतिरिक्त अध्याय के साथ) का उद्देश्य सुरक्षित लेनदारों को अपने सुरक्षा हित को तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू करने में सुविधा प्रदान करना है। प्रत्येक मामले में, वसूल की जाने वाली राशि दावेदार यानी बैंकों या वित्तीय संस्थानों या सुरक्षित लेनदार को देय है, जैसा भी मामला हो, दावा देनदार (या उसके गारंटर) के खिलाफ है। इसके विपरीत, दिवाला संहिता मुख्य रूप से लेनदारों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें एक पेशेवर (आर. पी.) के माध्यम से समाधान निकालने की जिम्मेदारी सौंपती है, जिसमें उनकी ओर से विफलता अंततः

परिसमापन प्रक्रिया "। XXX XXX XXX

" 141. इस अदालत को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि

पी. एम. एल. ए. द्वारा "अपराध की आय" को जब्त करने के लिए राज्य को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र एक ऐसी संपत्ति से संबंधित है जिसका मूल्य सरकार (केंद्र या राज्य) या स्थानीय प्राधिकरण को देय या देय "ऋण" है। सरकार, जब पी. एम. एल. ए. के तहत अपराध की आय को जब्त करने के लिए कुर्की की मांग करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, तो वह लेनदार के रूप में खड़ा नहीं होता है, जिस व्यक्ति पर धन शोधन के अपराध में संलिप्तता का आरोप लगाया जाता है, उसी तरह एक देनदार का दर्जा प्राप्त नहीं करता है। राज्य इस तरह के अपराधी को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से वंचित करने के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर रहा है, ताकि यह माना जा सके कि वह लूट को साझा कर रहा है, कम से कम उस पर कर लगाने के लिए नहीं, जैसे कि उसे वैधता या वैध कमाई का रंग देना। प्रतिबंधित आपराधिक गतिविधि "।

श्री मेहता द्वारा जिस बात की वकालत की गई है, यह उससे बिल्कुल अलग है। अपराध की आय की जब्ती पी. मोहनराज एंड ओआरएस है।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

सरकार द्वारा वैधानिक रूप से कार्य करना और लेनदार के रूप में नहीं। यह फैसला, फिर से, उनके मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

अन्य प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा कवर किए जाते हैं

आई. बी. सी. की धारा 14

77. जहाँ तक निगमित देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में निदेशकों/व्यक्तियों का संबंध है, एक धारा 138/141 कार्यवाही उनके खिलाफ कॉर्पोरेट देनदार के बिना शुरू या जारी नहीं रखा जा सकता है- अनीता हाडा (ऊपर) देखें। ऐसा इसलिए है क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 प्रभारी व्यक्तियों की बात करती है, और

कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी। न्यायालय, इसलिए, अनीता में

हाडा (सुप्रा) निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः

" 51. हम पहले ही यह विचार रख चुके हैं कि श्योरतन अग्रवाल [(1984) 4 एस. सी. सी. 352 में निर्णयः 1984 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 620] सी. वी. पारेख [(1970) 3 एस. सी. सी. 491 में निर्धारित अनुपात के विपरीत हैः 1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 97] जो एक बड़ी पीठ द्वारा है और इसलिए, एक बाध्यकारी मिसाल है। उपरोक्त अनुपात पर, अनिल में निर्णय

हाडा [(2000) 1 एस. सी. सी. 1: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 174] को सही कानून निर्धारित नहीं करने के रूप में माना जाना चाहिए जहां तक यह कहा गया है कि निदेशक या किसी अन्य अधिकारी पर कंपनी को आरोपित किए बिना मुकदमा चलाया जा सकता है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि मामला एक अलग आधार पर खड़ा होगा जहां कुछ कानूनी बाधा है और लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया का सिद्धांत आकर्षित हो जाता है।

" 56. हमने उपरोक्त परिच्छेदों का उल्लेख केवल इस बात को उजागर करने के लिए किया है कि संबंधित प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए विधायी इरादे के लिए किया जा रहा है क्योंकि यह दंडात्मक प्रावधानों से संबंधित है और व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला जुर्माना नहीं लगाया जाना है, चाहे वह न्यायिक संस्था हो या व्यक्ति, जब तक कि उन्हें अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सजा की शक्ति विधायिका में निहित है और यह धारा में निरपेक्ष है।

141 अधिनियम जो स्पष्ट रूप से कंपनी द्वारा अपराध करने की बात करता है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने जोरदार आग्रह किया है कि "के साथ-साथ" शब्द का उपयोग खंड का बहुत महत्व है और यह कंपनी के साथ-साथ निदेशक और/या अन्य अधिकारियों को भी शामिल करता है जो कंपनी के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं और इसलिए, एक [2021] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साथ ही "संदर्भ में समझना होगा"। XXX XXX XXX

" 58. सख्त निर्माण के सिद्धांत को लागू करते हुए, हमारी राय है कि कंपनी द्वारा अपराध करना है दूसरों के प्रत्यावर्ती दायित्व को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट शर्त पूर्ववर्ती। इस प्रकार, "कंपनी के साथ-साथ" शब्द दिखाई देते हैं

धारा यह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि जब कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो केवल उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है जिनका उल्लेख किया गया है।

अन्य श्रेणियां अपराध के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो सकती हैं।

याचिका में किए गए अभिकथनों और उसके प्रमाण के अधीन रहते हुए। कोई भी इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता कि कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है।

और इसकी अपनी सम्माननीयता है। यदि इसके खिलाफ कोई निष्कर्ष दर्ज किया जाता है, तो यह इसकी प्रतिष्ठा में असंगति पैदा करेगा। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जब एक निदेशक के होने पर निगम की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। दोषी ठहराया गया।

59. हमारे उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए, हम अप्रतिरोध्य पर पहुँचते हैं

निष्कर्ष निकालना कि धारा के तहत अभियोजन बनाए रखने के लिए

141 अधिनियम के अनुसार, एक कंपनी को अभियुक्त के रूप में आरोपित करना है

अनिवार्य है। अपराधियों की अन्य श्रेणियों को केवल प्रत्यावर्ती दायित्व की कसौटी पर ही फंसाया जा सकता है क्योंकि यही प्रावधान में ही निर्धारित किया गया है। हम ऐसा सी. वी. पारेख [(1970) 3 एस. सी. सी. 491 में निर्धारित अनुपात के आधार पर कहते हैं: 1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 97] जो कि तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है। इस प्रकार, श्योरतन अग्रवाल [(1984) 4 एस. सी. सी. 352 में व्यक्त विचार: 1984 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 620] कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है और तदनुसार, इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। अनिल हाडा में निर्णय

[(2000) 1 एससीसी 1: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 174] को क्वालीफायर के साथ रद्द कर दिया गया है जैसा कि पैरा 51 में कहा गया है। मोदी डिस्टिलरी में निर्णय [(1987) 3 एससीसी 684: 1987 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 632] को माना जाना चाहिए

अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित जैसा कि हमारे द्वारा समझाया गया है

इसके ऊपर "।

चूंकि निगमित देनदार को आई. बी. सी. की धारा 14 में निहित अधिस्थगन आदेश द्वारा कवर किया जाएगा, जिसके द्वारा निगमित देनदार के खिलाफ 138/141 कार्यवाही जारी रखी जाएगी और पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. के दौरान उक्त देनदार के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाएगी।

वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया बाधित है, जिसमें क्या कहा गया है अनीता हद (ऊपर) में अनुच्छेद 51 और 59 तब लागू होंगे। आई. बी. सी. की धारा 14 में निहित कानूनी बाधा

निगमित देनदार के खिलाफ ऐसी कार्यवाही जारी रखना या शुरू करना असंभव बना देगा। इस प्रकार, अधिस्थगन की अवधि के लिए, चूंकि कोई भी धारा सांविधिक प्रतिबंध के कारण निगमित देनदार के खिलाफ जारी या शुरू नहीं की जा सकती है, इसलिए इस तरह की कार्यवाही परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 (1) और (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के खिलाफ शुरू या जारी रखी जा सकती है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि आई. बी. सी. की धारा 14 में निहित अधिस्थगन प्रावधान केवल निगमित देनदार पर लागू होगा, धारा 141 में उल्लिखित प्राकृतिक व्यक्ति परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII के तहत वैधानिक रूप से उत्तरदायी बने रहेंगे।

निष्कर्ष

78. अंत में, बॉम्बे उच्च न्यायालय और तायल कॉटन प्राइवेट में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों से असहमत। लिमिटेड वी. राज्य

महाराष्ट्र सरकार, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 2069: (2019) 1 माह एलजे 312 और मेसर्स एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. माणिक चंद सोमानी, सीआरआर

3456/2018 (कलकत्ता उच्च न्यायालय; क्रमशः 16.04.2019 पर निर्णय लिया, हम मानते हैं कि एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ एक धारा 138/141 कार्यवाही है

आई. बी. सी. की धारा 14 (1) (ए) के अंतर्गत आता है। 79. नतीजतन, दीवानी अपील की अनुमति दी जाती है और अपील के तहत निर्णय को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि, इसमें धारा 138/141 की कार्यवाही

कंपनी के साथ-साथ अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामला उपरोक्त पैराग्राफ 77 में हमारे द्वारा दिए गए कारण के साथ-साथ इस तथ्य के लिए भी जारी रहेगा कि दिवाला समाधान प्रक्रिया में एक नया प्रबंधन शामिल नहीं है। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि इस मामले में स्थगन अवधि समाप्त हो गई है।

एसएलपी (आपराधिक) डायरी से उत्पन्न आपराधिक अपील

2019 का No.32585

1. देरी को माफ कर दिया गया। छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. नागमुथु ने हमारे समक्ष विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि उनका पहला निवेदन यह है कि कॉर्पोरेट देनदार डब्ल्यू. ई. एफ. 10.07.2017 के खिलाफ स्थगन लगाया गया है, इसलिए 19.09.2017 पर दी गई धारा 138 की शिकायत को रद्द किया जाना चाहिए।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. इस मामले के तथ्यों पर, तीन चेक-आई. एन. आर. 25,00,000/दिनांकित 31.05.2017, आई. एन. आर. 25,00,000/- दिनांकित 30.06.2017, और आई. एन. आर. के लिए।

23,51,408 / - दिनांकित 31.07.2017 प्रत्यर्थी के पक्ष में अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए थे। इससे पहले कि भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत किए जा सकें, 10.07.2017 पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत एक परिचालन लेनदार की याचिका को स्वीकार कर लिया और इसके तहत रोक लगा दी। धारा 14. तीन चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन 04.08.2017 पर कारण के रूप में "अपर्याप्त धन" का हवाला देते हुए वापस कर दिए गए थे। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कानूनी नोटिस प्रतिवादी द्वारा 12.08.2017 पर जारी किया गया था। चूंकि निर्दिष्ट समय के भीतर कोई भुगतान नहीं आ रहा था, इसलिए प्रत्यर्थी ने 19.09.2017 पर अकेले कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

4. प्रत्यर्थी ने उपरोक्त तिथियों पर विवाद नहीं किया, केवल यह दोहराते हुए कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर एक रद्द याचिका को खारिज करने में सही था। 5. चूंकि वर्तमान मामले में दायर की गई शिकायत अकेले कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ है, इसलिए कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के संचालन के लिए किसी भी प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति के साथ शामिल हुए बिना, 2018 की सिविल अपील No.10355 में हमारे फैसले को देखते हुए शिकायत को रद्द करने की आवश्यकता है। इसलिए अपील के तहत निर्णय, दिनांक 02.04.2019, को दरकिनार कर दिया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है।

एसएलपी (आपराधिक) Nos.10587/2019,10857/2019,10550/2019,10858/2019,10860/2019,10861/2019,10446/2019 से उत्पन्न आपराधिक अपीलें।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इन मामलों के तथ्यों पर, धारा 138 के तहत एक ही अपीलार्थी के विभिन्न लेनदारों द्वारा दायर सभी शिकायतों को धारा 141 के साथ पढ़ा जाता है निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के प्रावधान स्वीकारयोग्य रूप से आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक याचिका को स्वीकार करने और 19.03.2019 पर रोक लगाने से बहुत पहले दायर किए गए थे।

3. 2018 के सिविल अपील No.10355 में हमारे फैसले को देखते हुए, उक्त अधिस्थगन आदेश इन मामलों में अपीलार्थी को शामिल नहीं करेगा, जो है

निगमित देनदार नहीं, बल्कि उसका निदेशक। इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने वाले विवादित आदेश को इस आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

पी. मोहनराज और ओ. आर. एस. वी. एम/एस। शाह ब्रदर्स आईएसपीएटी पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

2020 के एसएलपी (आपराधिक) Nos.2246 2247 से उत्पन्न आपराधिक अपील

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इस मामले में, दो शिकायतों का दिनांक 12.03 था। 2018 और 14.03.2018 परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के साथ पठित धारा 138 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ दायर किया गया था।

निगमित ऋणी का। 14.02.2020 पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ IBC की धारा 9 के तहत एक याचिका स्वीकार की और स्थगन लागू किया। दिनांकित 20.02.2020 का विवादित अंतरिम आदेश दो अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए है।

3. 2018 की सिविल अपील No.10355 में हमारे फैसले को देखते हुए, कॉर्पोरेट देनदार के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए स्थगन प्रावधान का विस्तार नहीं किया गया है, यह अपील भी खारिज हो जाती है।

2020 के एस. एल. पी. (आपराधिक) No.2496 से उत्पन्न आपराधिक अपील

1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान मामले में, धारा 138 के तहत एक शिकायत

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निगमित देनदार के खिलाफ उसके प्रबंध निदेशक और निदेशक के साथ 15.05.2018 पर दायर की गई थी। इसके बाद ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत एक याचिका को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया और 30.10.2018 पर रोक लगा दी गई। दिनांक 1 के विवादित फैसले में कहा गया कि उक्त कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका को खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि आईबीसी की धारा 14 धारा 138 की कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।

3. विवादित फैसले को 2018 की सिविल अपील No.10355 में हमारे फैसले को देखते हुए दरकिनार कर दिया गया है, और शिकायत को निर्देश दिया गया है

क्रमशः प्रबंध निदेशक और निदेशक के खिलाफ जारी रहा।

2020 के एस. एल. पी. (आपराधिक) No.3500 से उत्पन्न आपराधिक अपील

1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान मामले में शिकायत प्रतिवादी द्वारा 28.07.2016 पर दर्ज की गई थी। धारा 7, आई. बी. सी. के तहत एक आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा केवल 20.02.2018 पर स्वीकार किया गया था और उसी तारीख को स्थगन लगाया गया था। विवादित फैसले ने धारा [2021] 14 एस. सी. आर. के तहत एक याचिका को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

482 इस आधार पर कि धारा 138 की कार्यवाही आई. बी. सी. की धारा 14 के अंतर्गत नहीं आती है।

3. विवादित फैसले को 2018 की सिविल अपील No.10355 में हमारे फैसले को देखते हुए दरकिनार कर दिया गया है, और शिकायत को निर्देश दिया गया है

अपीलार्थी के खिलाफ जारी रखा। एसएलपी (आपराधिक) No.5638-5651/2020,5653-5668/2020 से उत्पन्न आपराधिक अपील

छुट्टी दे दी गई।

इन अपीलों में, अपीलकर्ताओं ने विद्वान मजिस्ट्रेट के विवादित आदेशों से सीधे हमसे संपर्क किया है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने

अभिनिर्धारित किया कि आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत कार्यवाही शामिल नहीं होगी

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138। नतीजतन, विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ धारा 431 के साथ पठित धारा 421 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कुर्की के वारंट जारी किए गए हैं, जिनमें निगमित ऋणी और वे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी तब से मृत्यु हो चुकी है। 2018 के सिविल अपील No.10355 में हमारे फैसले को देखते हुए, विवादित फैसलों को दरकिनार करते हुए, हम

2018 की सिविल अपील No.10355 में हमारे द्वारा निर्धारित कानून को लागू करने के लिए इन मामलों को मजिस्ट्रेट को भेजें, और उसके बाद कानून के अनुसार इन मामलों में उत्पन्न होने वाले अन्य सभी बिंदुओं पर निर्णय लें।

लेखन याचिका (आपराधिक) Nos.330/2020,339/2020, लेखन याचिका (नागरिक) No.982/2020, लेखन याचिका (आपराधिक) Nos.297/2020,342/2020, लेखन याचिका (नागरिक) No.1417/2020,1439/2020,18/2021, लेखन याचिका (आपराधिक) संख्या 9/21,26/2021। 1. ये सभी रिट याचिकाएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पूर्व निदेशकों/प्रभारी व्यक्तियों द्वारा दायर की गई हैं।

निगमित देनदार के व्यवसाय के संचालन के लिए उत्तरदायी। वे सभी इस तथ्य पर आधारित हैं कि धारा 138 की कार्यवाही आई. बी. सी. की धारा 14 द्वारा कवर की गई है और इसलिए, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी नहीं रह सकती है।

2. 2018 की सिविल अपील संख्या 10355 में हमारे फैसले को देखते हुए, इन सभी रिट याचिकाओं को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए खारिज किया जाना चाहिए कि

निगमित देनदार के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार और प्रभारी पूर्व निदेशकों/व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही जारी रह सकती है।

मामलों का

निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे